Monday, 27 August, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
F. No.
On 24-8-92
Parliament Library

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची /CONTENTS

अंक 23, सोमवार, 27 अगस्त, 1973/5 भाद्र, 1895 (शक)

No. 23, Monday, August 27, 1973/ Bhadra 5, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
441 जापान में धान खेती विस्तार सेवा के संबंध में दो कृषि अधिकारियों का प्रशिक्षण रद्द किया जाना	Cancellation of training of two agricultural Officers in connection with paddy cultivation extension service in Japan	1
442 ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबंध	Ban on Import of Tractors .	3
443 उड़ीसा के किसानों को डीजल से बिजली उत्पन्न करने वाले इंजनों की खरीद के लिये सहायता	Help to Farmers of Orissa for purchase of Diesel Generating Sets . . .	5
444 भारत के तटीय एवं विदेश व्यापार में भारतीय तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों का हिस्सा और इन कम्पनियों को दिया गया भाड़ा	Share of Indian and Foreign Shipping in India's Coastal and Foreign Trade and Frieght paid to these Companies . .	6
445 जगन्नाथ मंदिर की मरम्मत के लिये धन देने के बारे में निर्णय	Decision regarding Financing of Repair Work of Jagannath Temple . .	9
447 चौथी योजना में उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में अग्रिम परियोजनायें	Pilot projects in Tribal Areas of Orissa during Fourth Plan	11
454 दादरा और नागर हवेली में भूमि सुधार विनियमन अधिनियम, 1971 के संबंध में की गई कार्यवाही	Action taken on Land Reforms Regulation Act, 1971 in Dadra and Nagar Haveli	13
457 चावल के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के परिणामस्वरूप चावल की खरीद के लिए किसानों को भुगतान	Money required for payment to Cultivators for purchase of Rice consequent on Rice Trade Take over . . .	14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT-NOTICE QUESTION	
	बिहार के तिरहुत डिवीजन में गन्ने की फसल को पायरेला रोग से क्षति	Damage to Sugar Cane in Tirhut Division of Bihar due to Pyrilla Pest . .	16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
446	गन्ना, चीनी, खंडसार और गुड़ का उत्पादन	Production of Sugarcane, Sugar, Khandsari and Gur	19
448	हिन्दुस्तान शिपयार्ड की प्रगति में अव्यवस्था	Progress of Hindustan Shipyard in Disarray	21
449	जुलाई, 1973 के दौरान अंतमंत्रालयीय समिति में चर्चित गेहुं वसूली और स्टाक को उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचाने के संबंध में हुई प्रगति	Progress of Wheat procurement and movement of Stocks from producing to consuming Centres as discussed in Inter-Ministerial Committee during July, 1973	21
450	रासायनिक उर्वरकों के आयात में वृद्धि	Increase in Import of Chemical Fertilizers	22
452	बेपोर पत्तन के लिये ड्रेजर	Dredger for Beypore Port .	23
453	कीटनाशक औषधियों की कमी	Shortage of Pesticides	23
455	देश में भूमि हड़पने के मामलों की जांच	Probe in Land Grabbed in the country	24
456	सलबोनी डेरी तथा फौडर फार्म, मिदनापुर	Salboni Dairy and Foder Farm, Midnapore	24
458	पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई करने के वायदे को पूरा करने में केन्द्र की कथित असफलता	Alleged Failure of Centre to meet Commitments of supply of Rice to West Bengal	25
459	लैटिन अमरीकी देशों से सांस्कृतिक मंडलियों की भारत यात्रा	Cultural Troops from Latin American Countries Visited India	25
460	राज्यों में पारस्परिक सौहार्द्र उत्पन्न करने के लिये सांस्कृतिक और रहन-सहन संबंधी अनुभव तथा प्रयोग	Cultural and Living Experience and Experiments in achieving Inter-State Understanding	26

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4324	बिड़ला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कमला नगर, दिल्ली के कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of Staff of Birla Higher Secondary School, Kamla Nagar, Delhi	27
4325	सरकारी कर्मचारियों को अपने मकान बड़े करने के लिए ऋण देना	Advance of Loans to Government Employees for the Enlargement of Existing Houses owned by them. . .	28
4326	ग्लोब मोटर्स, दिल्ली द्वारा डी० डी० ए० के नियमों का उल्लंघन	Violation of DDA Rules by Globe Motors, Delhi	28
4327	कृषि मंत्रालय के अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय में रिक्त पड़े प्रथम श्रेणी के पद	Class I Posts lying vacant in Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture	29
4328	जहाजों की अनुपलब्धता के कारण मछली के निर्यात में असमर्थता	Inability to Export Fish due to Non-availability of Ships	29
4329	भारतीय जहाजों में प्रशीतित वस्तुओं के निर्यात की सुविधा	Facility to Export Frozen Goods in Indian Ships	30
4330	मत्स्य नौकाओं का आयात	Import of Trawlers	30
4331	पालामऊ, बिहार में भूख से मौतें	Starvation Death in Palamau, Bihar .	31
4332	1973-75 में बिहार में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं	Branches of FCI in Bihar during 1973—75	31
4333	दिल्ली की यमुना पार कालोनियों में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ	Milk Booths of DMS in Transjamuna Colony of Delhi	32
4335	दादरा और नागर हवेली के वरिष्ठ पंचायतों के सुझाव की क्रियान्विति	Implementation of Suggestion of Varishta Panchayats of Dadra and Nagar Haveli	32
4336	दादरा और नागर हवेली में वरिष्ठ पंचायत को परामर्शदात्री अधिकार देना	Vesting of Consultative Powers in Varishta Panchayat in Dadra and Nagar Haveli	33
4337	अध्ययन के लिए सोनीपत तथा गाजियाबाद जाने वाले विद्यार्थियों को रियायती पासों का जारी किया जाना	Issue of Concessional Passes for students going for Study to Sonepat and Ghaziabad	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4338	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के संडवा चन्दिकन ब्लाक में धनराशि का दुरुपयोग	Misappropriation of Funds in Sadwa Chandikan Block, Pratapgarh, Uttar Pradesh	34
4339	ग्राम उखलस्सी, मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) स्थित सहकारी समिति के सुपरवाइजर का स्थानान्तरण	Transfer of Supervisor of Co-operative Society, Ukhlarsi, Muradnagar, U.P. .	34
4340	जयदेव पार्क, दिल्ली-35 में नागरिक सुविधाएं	Civic Amenities in Jaidev Park, Delhi-35 .	35
4341	जयदेव पार्क, दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक/मिडिल स्कूल खोला जाना	Opening of Higher/Middle School at Jaidev Park, Delhi	35
4342	राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली की मांग	Demand of Government Secondary Arts Teachers Association, Delhi . .	36
4343	डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति मुबारकपुर, दिल्ली के प्रबंधक समिति का चुनाव	Election to Managing Committee of the Dera Ismail Khan Cooperative Housing Society, Mubarakpur, Delhi . .	36
4344	परामर्शदात्री संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से भेदभाव के तथा-कथित मामले	Alleged Cases of Discrimination to SC/ST Officers in Advisory Cadre .	36
4345	नई दिल्ली के डी० आई० जैड क्षेत्र में दुग्ध बूथों का निर्माण	Construction of Milk Booths in DIZ Area, New Delhi	37
4346	मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय	Moti Nagar CGHS, Dispensary .	37
4347	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अशोक निकेतन (नारायणा) दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लिये बनाये गये मकानों का दोषपूर्ण निर्माण	Defective Construction of Low Income Group DDA Flats in Ashok Niketan (Nariana), Delhi	38
4348	कृषि मूल्य आयोग का गठन	Composition of Agricultural Prices Commission	38
4349	बसंत विहार, नई दिल्ली में अपमिश्रित खाद्य वस्तुओं की बिक्री	Sale of Adulterated Food Articles in Vasant Vihar, New Delhi . . .	39
4350	मध्य प्रदेश में स्कूलों तथा कालेजों के लिये स्थान	Accommodation for Schools and Colleges in Madhya Pradesh . . .	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4351	पूर्व निमाड़ जिले (मध्य प्रदेश) में असिरगढ़ किले पर किया गया व्यय	Amount spent on Asirgarh Fort in East Nimar District (M.P.) . . .	40
4352	साउथ/नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लेटों के सर्वेन्ट क्वार्टरों में छत के पंखों की व्यवस्था करना	Provision of Ceiling Fans in Servants quarters of M.Ps flats in South/ North Avenues, New Delhi . .	40
4353	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा तीन टायर सहकारी ऋण पद्धति की बकाया राशि के बारे में अध्ययन	Study of the Overdues of the three Tier Co-operative Credit System by Reserve Bank of India	41
4354	उर्वरक के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Fertiliser	41
4355	सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत-रूस के बीच आदान-प्रदान	Indo-Soviet Exchanges in Social Sciences	41
4356	नर्मदा में आई बाढ़ के कारण गुजरात में कपास के पौधों की क्षति	Damage to Cotton seedings in Gujarat due to Narmada Floods . . .	42
4357	उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की पेंशन में वृद्धि	Increase in Pension of Teachers of Uttar Pradesh	42
4358	चीनी का कृत्रिम अभाव	Artificial Scarcity of Sugar . . .	43
4359	उत्तर प्रदेश में लघु चीनी मिलें स्थापित करने की अनुमति	Permission to set up mini sugar mills in U.P.	43
4360	प्रशासन सामग्री में हैक्साक्लोरोफोन के प्रयोग पर रोक	Ban on use of Hexa Chlorophene in Cosmetics	44
4361	उत्तर प्रदेश में भूमि विकास करों से राजस्व की प्राप्ति	Receipt of revenue from land development taxes in Uttar Pradesh . .	44
4362	भारत में नगरों को विशाल महानगरों में परिवर्तित होने से रोकने के लिये कानून बनाना	Legislation to prevent transformation of cities in India into Megalopolis . .	44
4363	दिल्ली में बेकरियों को दिये गये गेहूं का कोटा	Quota of wheat given to bakeries in Delhi	45
4364	मध्य प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों और छोटे किसानों को कुएं, पम्प लगाने के लिये ऋण देने की स्वीकृति	Funds sanctioned for wells, pumps for Harijans, Adivasi small cultivators in Madhya Pradesh	45
4365	उड़ीसा समुद्र तट में मत्स्य उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Fishing Industry on Orissa Sea Coast	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4366	उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम और कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Agro Industry Corporation and Agro Service Centres in Orissa .	46
4367	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizer	47
4368	संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात-निधि द्वारा सहायता देना	Assistance by UNICEF. . .	47
4369	मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की दैनिक मजूरी	Daily Wages of Relief Workers in Drought Affected Areas of Madhya Pradesh	48
4370	राज्यों में मैदा उपलब्ध न होने के कारण बिस्कुट बनाने वाली फैक्टरियों का बंद होना	Biscuit Factories Closed due to Non-availability of Maida in States . .	48
4371	अपना रोजगार चलाने की योजना	Self Employment Scheme . . .	48
4372	मैसूर में राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की दैनिक मजूरी	Daily Wages of Relief Workers in Mysore	49
4373	केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यक्रम को रोके जाने के बारे में राज्यों को निदेश	Directives to the States from Centre to stop works under Drought Prone Area Programme in States . . .	49
4374	मनीपुर में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था किये बिना जूनियर हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Junior High Schools in Manipur without providing Additional Staff	50
4375	मनीपुर राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान अतिदेय राशि	Amount of Overdues for Repayment to Manipur State Co-operative Bank .	51
4376	मनीपुर में विद्यालयों को तदर्थ आधार पर मान्यता देना और मान्यता वापस लेना	Ad hoc Recognition and De-Recognition of Schools in Manipur . . .	51
4377	खरीफ की फसल के लिये किसानों को समय पर उर्वरकों और बीजों की सप्लाई	Timely Supply of Fertilizer and Seeds to Farmers for Kharif Season . .	52
4378	भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा उपार्जित स्टीमर 'एम० बी० चिदाम्बरम' का कार्यसंचालन	Operation of Steamer M.V. Chidambaram acquired by Shipping Corporation of India	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4379	रबी की फसल का उत्पादन लक्ष्य और इसके अंतर्गत राज्यों के लिये नियत की गई धन राशि	Target of Production of Rabi Crop and Allocation to States . . .	54
4380	उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना	Implementation of Drought Prone Area Programme with World Bank aid in Orissa	54
4381	कोणार्क मन्दिर में बाढ़ से बचाव की व्यवस्था	Flood Lit arrangement at Konark Temple	55
4382	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति	International reputation of AIIMS, New Delhi	55
4383	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी इंजीनियरों के रिक्त पद	Vacancies of Executive Engineers in CPWD	56
4384	पांचवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	Establishment of Health Centres in Tribal Areas during the Fifth Plan . .	57
4385	पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Development of Roads in Tribal Areas during the Fifth Plan .	58
4386	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी संस्कृति के लिये नियत धनराशि	Allocation for Tribal Culture in Fifth Five Year Plan	58
4387	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के शिक्षा विकास के लिये नियतन	Allocation for educational development of Tribals in Fifth Five Year Plan .	59
4388	विषाक्त अन्न खाने से देश में हुई मौते	Deaths due to food poisoning in the country	59
4389	आटो रिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया लेना	Excess charge by Auto Rickshaw Drivers in Delhi	60
4390	'ग्राउंडनट इज़ पायज़नस वेन स्पायल्ड' शीर्षक से समाचार	News item captioned Groundnut is poisonous when spoiled	60
4391	हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बड़े जहाजों का निर्माण	Construction of Giant Ships by Hindustan Shipyard	61
4392	"दिल्ली जू एम्पलाइज आन वार पथ" शीर्षक से समाचार	News item Delhi Zoo Employees on Warpath	61

अता० ० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4393	सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक	Meeting of Transport Ministers of all States	62
4394	गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Shipping Companies in Private Sector	62
4395	भवन निर्माण उद्योग के श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में केन्द्रीय विधान	Central Legislation concerning the Safety of Workers in building industry . .	62
4396	दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप	Political parties interference in Delhi University Affairs	63
4397	वर्षा ॠतु के दौरान डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली के टाइप दो के क्वार्टरों में सफेदी	White washing of Type II Quarters in DIZ Area, New Delhi during Rainy Season .	63
4398	अशोक निकेतन (नारायणा) में अल्पआय वर्ग के फ्लैटों में स्कूटर साईकिल शैड की व्यवस्था	Provision of Scooter/Cycle Sheds in Ashoka Niketan (Naraina) Flats for Low Income Group	64
4399	श्री चिंतालापति बापीराझ धर्म संस्था के प्रबंध में शैक्षिक संस्थान	Educational Institutions managed by Sri Chintalapati Bapirajh Dharma Samstha	64
4400	दादरा और नागर हवेली में चीनी मिल खोलना	Opening of Sugar Mill in Dadra and Nagar Haveli	65
4401	दादरा और नागर हवेली में समाज कल्याण केन्द्र	Social Welfare Centres in Dadra and Nagar Haveli	65
4402	सुपर बाजार, दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं की अधिक मूल्य पर बिक्री	Sale of Essential Commodities from Super Bazar, Delhi at High Price .	66
4403	'इंडिया आफिस लायब्रेरी' का प्राप्त किया जाना	Acquisition of India Office Library.	66
4404	समुद्री सेवा के अधिकारियों की मांग पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने हेतु कलकत्ता पत्तन आयुक्तों का अनुरोध	Request from Calcutta Port Commissioners for Appointment of a Committee to go into Demands for Officers of marine Services	66
4405	गुजरात के सेन्ट्रल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instructions in Central Schools in Gujarat	67

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4406	राज्यों द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम का स्वीकार न किया जाना	Non Acceptance of Wild Life Protection Act by States	7
4407	लैटिन अमरीकी देशों से सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को आमंत्रित करने के लिये कार्यक्रम	Programme for Inviting Cultural Delegations from Latin American countries.	68
4408	विभिन्न परिवार नियोजन शिविरों में नसबंदी	Sterilization at various Family Planning Camps	68
4409	उत्तर प्रदेश की आटा मिलों में पड़ा भीगा हुआ गेंहूँ	Soaked wheat lying with flour mills in U.P.	69
4410	त्रिवेन्द्रम स्थित नेपियर संग्रहालय से वस्तुओं की चोरी	Articles stolen from Napier Museum at Trivandrum	69
4411	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के लिये सहायता	Assistance for setting up of Naturopathy Centres	70
4412	वर्ष 1972-73 के दौरान आदिवासियों में वितरित भूमि	Land Distributed among Adivasis during 1972-73	70
4414	विदेशों में भेजे गये आदिवासी छात्र	Adivasi Students sent Abroad	71
4415	निर्माण और आवास मंत्रालय के नियंत्रण में तकनीकी संगठन	Technical Organisation under the Control of Ministry of Works and Housing	71
4416	दिल्ली में दो पहिए वाले स्कूटर	Two Wheeler Scooters in Delhi . .	72
4417	विभिन्न राज्यों के भारतीय खाद्यय निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by FCI Employees by various States	72
4418	खरीफ की फसल और रबी की फसल प्रभावी वसूली के लिये मंजूर किये गये पद	Posts sanctioned for Effective procurement of Kharif Crop and Rabi Crop	73
4419	भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees working in F.C.I. Calcutta	74
4420	रबी की फसल की वसूली के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किये गये वसूली केन्द्र तथा सीधी खरीद करने वाले केन्द्र	Procurement Centres and Direct Purchase Centres set up by FCI for Procurement of Rabi Crop . . .	74

अता० प्र० सख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
4421	आगामी खरीफ की फसल के लिये वसूली लक्ष्य	Target for Procurement of Next Kharif Crop	76
4422	'करमोहम' कान्फ्रेंस द्वारा मुद्रा समायोजन अधिभार में वृद्धि करने का निर्णय	Decision by Karmahom Conference to raise surcharge on currency adjustment	76
4423	खाने के तेल के साथ दोबारा तैयार किये गये स्पिंडल तेल की मिलावट	Mixing Edible Oil with Reprocessed Spindle Oil	77
4424	पांचवी योजना के दौरान ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम का रद्द किया जाना	Scrapping of Crash Programme for Rural Employment during Fifth Plan	77
4425	दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 'आल रूट' रियायती पास देना	Issue of All Route Concession Passes to Stunents belonging to Correspondence Courses in Delhi . . .	77
4426	भारतीय जहाजरानी निगम की मद्रास पोर्ट ब्लेयर सेवा में घाटा	Madras Port Blair Service at a Loss by Shipping Corpn. of India . . .	78
4427	सूखे से प्रभावित राज्य	States affected with Drought . .	79
4428	चावल और मुंगफली का निर्माण	Export of Rice and Groundnuts . .	80
4429	फसल में और उसके बाद कृषि वस्तुओं के मूल्यों में घटबढ़	Prices Fluctuations in Agricultural Commodities at Harvest and Post Harvest Period	81
4430	लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of Lucknow University	82
4431	महाराष्ट्र में कमी और अकाल राहत कार्य में लग श्रमिकों की मंजूरी की दरों में कटौती किया जाना	Cut in Rates of Wages of Labour Engaged in Scarcity and Famine Relief work in Maharashtra	82
4432	बिहार और उत्तर प्रदेश में भुखमरी के कारण मौते और आत्महत्याएं	Starvation Deaths and Suicides in Bihar and Uttar Pradesh	83
4433	छात्रों में नशीली दवा लेने की आदत	Drug addiction among students . .	84
4434	फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े निर्माण	Construction Equipment lying idle for want of Spare parts	84
4435	जमाखोरी के उद्देश्य से रखे गये मूंगफली के बोरों का पकड़ा जाना	Seizure of Hoarded Groundnut Bags .	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4436	कृषि शिक्षा (फार्म एजूकेशन) पर केन्द्र नियंत्रण के लिए आई० सी० ए० आर० संबंधी गजेन्द्रगड़कर समिति द्वारा सिफारिशें	Central Control of Farm Education Recommended by Gajendragadkar Committee on ICAR	85
4437	आगरा डिवीजन, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने संबंधी योजना	Scheme for Drinking Water in Rural Area of Agra Division, U.P. . .	85
4438	ट्रैक्टरों की कमी	Shortage of Tractor .	86
4439	ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों (स्पेयर पार्टस) की कमी	Shortage of Spare Parts of Tractors.	86
4440	केन्द्रीय सरकारी पुस्तकालयों की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Condition of Central Government Libraries. . .	86
4441	विदेशों से गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए मत्स्य नौका खरीदने के लिये ऋण सुविधायें	Credit Facilities for purchase of Deep Sea Trawlers from Abroad. . .	87
4442	दिल्ली में मकानों की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण	Survey about the Requirement of Houses in Delhi	87
4443	पुस्तक वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Book Finance Corporation	88
4444	दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में महिला छात्र के साथ छेड़ छाड़ करने का समाचार	Alleged Molesting of a Female in Deptt. of Urdu of Delhi University . . .	88
4445	मैसूर में सूखा ग्रस्त क्षेत्र	Drought Affected Areas in Mysore.	89
4446	खेलकूद के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for Sports . .	89
4447	छिपे खाद्यान्न को निकालने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to De-hoard Hidden Foodgrains	89
4448	खम्बाटकी पहाड़ी (महाराष्ट्र) के बीच से सुरंग	Provision of a Tunnel through Khambataki Hill (Maharashtra) . . .	90
4449	कटराज और खम्बाटकी के बड़े घाटों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई योजना	Scheme sent by Maharashtra Government for Major Ghats of Katraj and Khambataki	90
4450	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल का खराब होना	Failure of Kharif Crop in Allahabad, U.P.	91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विशय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4451	उत्तर प्रदेश में डेरी और पशुपालन की गहन योजनाएं	Intensive Dairy and Animal Husbandry Schemes in Uttar Pradesh . . .	91
4452	उत्तर प्रदेश में चारे की स्थिति	Fodder Situation in Uttar Pradesh .	92
4453	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तनों पर अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पत्तन कार्यकारी दल के सुझाव	Suggestion by working Group on Ports for better port facilities during Fifth Plan	93
4454	पांचवीं योजना में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए परिव्यय के बारे में सहयोग संबंधी कार्यकारी दल	Working Group on Cooperation on Outlay to strengthen cooperative Sector during Fifth Plan . . .	93
4455	भारत और यूगोस्लाविया के बीच सांस्कृतिक करार	Cultural accord between India and Yugoslavia	94
4456	"हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "आर्डर पैक्स प्राफिट फोर बिग ड्रग मेकर्स" शीर्षक से समाचार	News item "Order Packs profit for Big Drug Makers" Appearing in Hindustan Times	94
4457	गेहूं को उपभोग के अनुपयुक्त बनाने के लिये ब्रिटिश सरकार की योजना	British Government Planning to make Wheat Unfit for consumption . .	95
4458	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ट इंजीनियरों के कार्य-कालावधि स्थानान्तरण संबंधी नियम	Tenure transfer Rule for Junior Engineers in CPWD	95
4459	दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय के साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों के क्वार्टर	CPWD Staff Quarters attached to CPWD Enquiry offices in Delhi . . .	96
4460	बिहार स्टेट डैमान्स्ट्रेटर्स एसोसिएशन भागलपुर द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted to UGC by Bihar State Demonstrators Association, Bhagalpur	97
4461	पटना नगर में जल का अत्यधिक संकट	Acute Water Crisis in Patna Town .	98
4462	कत्थक केन्द्र का नई दिल्ली की नई इमारत में स्थानान्तरण	Shifting of Kathak Kendra to a New Premises at New Delhi . . .	98
4463	1973-74 में फसल उत्पादन की संभावनाएं	Prospects of Crop Production for 1973-74	98
4464	ग्रेटर कैलाश भाग दो नई दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिए अनुमति	Permission for construction of Houses in Greater Kailash, Part II, New Delhi	99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4465	भारत रक्षा नियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण और अनाज की चोरबाजार में बिक्री को रोकना	Controlling Adulteration of Food Articles and Sale of Foodgrains at Black Market under provisions of Defence of India Rules	100
4466	"प्रोक्योरमेंट बाई इन्टिमिडेशन" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	News Item Captioned "Procurement by Intimidation"	100
4467	दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर एक बूथ और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Booth and Telephone Facilities at Trinagar DTC Bus Stop . .	100
4468	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों के आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग की मांग	U.P. Muslim League Demand for Reservation for Muslims in AMU . .	101
4469	लैटिन अमरीकी देशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegations sent to Latin American Countries	101
4470	ईराक से शैक्षिक प्रतिनिधिमंडल	Educational Delegation from Iraq .	102
4471	शिक्षा संस्थाओं में मैदान में खेले जाने वाले खेलों को अनिवार्य बनाने की योजना	Scheme for Compulsory Outdoor Games in Educational Institutions . .	102
4472	देश में गैण्डे तथा उनकी सुरक्षा	Rhinos in the Country and their Protection	102
4473	ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम के अधीन जनता के कमजोर वर्ग के लिये आवास परियोजनाएं	Housing Projects for Weaker Sections of the Population under Crash Programme for Rural Employment . .	103
4474	जापान और श्रीलंका की तरह फसल का बीमा किया जाना	Crop Insurance on Pattern of Japan and Sri Lanka	104
4475	नई दिल्ली के सुपर बाजार में ग्लैक्सो दूध का अभाव	Shortage of Glaxo Milk Food at Super Bazar, New Delhi	104
4476	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों के डिमांस्ट्रेटर्स के लिये प्रस्तावित वेतन-मान	Pay Scales of Demonstrators of Colleges as Suggested by UGC . . .	104
4477	कालेजों के डिमान्स्ट्रेटर्स को उच्च शिक्षा और पदोन्नति की सुविधाएं देने का प्रस्ताव	Proposal to Extend Facilities to Demonstrators of Colleges for Higher Studies and Promotion . .	105

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4478	'स्लेब सिस्टम' से अनिवार्य उद्ग्रहण के आधार पर विपणन योग्य फालतू गेहूं की सरकार द्वारा स्वयं खरीद	Monopoly purchase of Marketable Surplus Based on Compulsory Levy on 'Slab System'	105
4479	उत्तर प्रदेश में वर्षा के कारण फसल को क्षति	Loss or Damage to Crops due to Rains in U.P.	106
4480	उच्चतर शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी पर विचार करने के लिये समिति	Committee to examine the Central responsibility in Higher Education	106
4481	भारतीय कृषि अनुसंधान परिसद् के भूतपूर्व वैज्ञानिक द्वारा लगाये गये आरोपों पर बाद में की गई कार्यवाही	Follow-up Action on Charges levelled by Ex-Scientists of ICAR	107
4482	आर० के० पुरम, सैक्टर छ: नई दिल्ली में धार्मिक शिक्षा उद्देश्यों के लिये सरकार द्वारा प्लाटों का नियतन और आवंटन किया जाना	Plots Earmarked and allotted by Government for religious purpose in Sector VI, R.K. Puram, New Delhi	107
4484	पुस्तकों के आयात के लिए पुस्तक प्रतिष्ठान (बुक फाउंडेंशन) की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to Establish a Book Foundation for dealing with Import of Books	108
4485	भारत सुरक्षा नियमों के अधीन अतिरिक्त गेहूँ के भंडारों को कब्जे में करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश	Orders Issued by U.P. Government to Seize Excess Wheat Stocks under DIR	108
4486	गेहूँ के लिए बिहार से आया प्रतिनिधिमंडल	Delegation from Bihar for Wheat	109
4487	दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही बसें	Buses by Co-operative Societies in Delhi	109
4488	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	National Capital Region	110
4489	अखबारी कागज से लदे रूसी मालवाहक पोत वी/ओ लेनिनग्राड को अनुमति पत्र की प्रतीक्षा	Wait for berth clearance by Russian Freighter V/o Leningrade carrying Newsprint	110
4491	गैर-सरकारी क्षेत्र में मकानों का निर्माण करने संबंधी योजना	Scheme for the Construction of Houses in Private Sector	110

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
4492	नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाईज़ेशन, नई दिल्ली और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट रूड़की पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on National Buildings Organisation, New Delhi and the Central Building Research Institute, Roorkee	111
4493	भूमिगत जल विभाग के कार्यकरण पर व्यय	Expenditure on the working of Ground Water Department	112
4494	राजस्थान को धान की सप्लाई	Supply of Paddy to Rajasthan	113
4495	अस्वस्थता (मैडिकल) के आधार पर पारी के बिना सरकारी आवास का आवंटन	Out of Turn Allotment of Government Accommodation on Medical Grounds	113
4496	शाहदरा (दिल्ली) में 500 बिस्तर वाला अस्पताल तथा उस पर होने वाला व्यय	500 Bed Hospital in Shahdara, Delhi and expenditure thereon . . .	113
4497	1973-74 के लिए खरीफ और रबी की फसलों के लक्ष्य	Target for Kharif and Rabi Crops for 1973-74	114
4498	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters for Government Employees in Delhi . .	114
4499	अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उत्पादकता में कमी	Decline in Productivity of High Yielding varieties of seeds . . .	115
4500	नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के सामने खाद्य वस्तुओं अनधिकृत खोमचे वालों द्वारा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का बेचा जाना	Sale of unhygienic foodstuffs by unauthorised food vendors in front of North Blocks, New Delhi . . .	115
4501	सरकारी क्वार्टरों के बरामदों के शीशेदार खिड़कियों के लगाये जाने के सम्बंध में कथित भेदभाव	Alleged Discrimination in Glazing Verandahs of Government Quarters .	116
4502	पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civil Amenities in Shanker Garden Colony of West Delhi by DDA	116
4503	वर्ष 1972 के दौरान क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन	Construction and Allotment of quarters during 1972 . . .	117

25 LSS/73—2

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.		SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4504	शिक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Education Ministry	118
4505	समुद्रपार व्यापार में लगे जहाज और अर्जित विदेशी मुद्रा	Ships engaged in overseas trade and foreign exchange earned	118
4506	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति	Appointment to Post of Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology	119
4507	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में तदर्थ नियुक्तियां	Ad-hoc Appointments in Central Hindi Directorate	119
4508	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा न्यायालय को भेजे गये मामले	Cases Referred to Court by CHD . .	120
4509	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिन्दी के बारे में राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करना	Implementation of Presidential Orders in Respect of Hindi By Central Hindi Directorate	120
4510	किराए और किराएदारी सुधारों का विनियमन	Regulation of Rent and Tenancy Reform	121
4511	समाज कल्याण के लिए सरकार और स्वयंसेवी संगठनों में सहयोग	Coordination between Government and Voluntary Organisations towards Social Welfare	121
4512	परिवार नियोजन की तकनीकों का विकास	Development of Family Planning Techniques	121
4513	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों का रिहायसी क्षेत्रफल	Living Area of Quarters for Class IV Employees	122
4514	वेतन के नियमित भुगतान के लिए आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कालेज अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Private College Teachers in Andhra Pradesh for Regular payment of Salaries . . .	123
4515	उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की अनिवार्य नियुक्ति के आदेश	Orders re. Compulsory Appointment of Urdu Teachers in Primary Schools of U.P.	123
4516	अगली फसल के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारण	Fixation of price for sugarcane for Next Crop	124
4517	बड़ा गड्डा, उत्तरकाशी के अधीन चीड़ वन क्षेत्र में आग	Fire in Pine Forests in Bara Gaddi, Uttarkashi	124

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4518	भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी में अनुसंधान सुविधायें	Research Facilities at Indian Pasture and Fodder Research Institute, Jhansi, U.P.	125
4519	दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति संबंधी नियम	Rules Governing Appointment of Vice Chancellor of Delhi University . .	126
4520	दसवीं कक्षा की योजना को लागू करने के कारण हुई छंटनी	Retrenchment due to Introduction of 10th Class Scheme	126
4521	सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ग्राफ इंडियन लेंगवजेज़ इन मैसूर	Central Institute of Indian Languages in Mysore	127
4522	डेरा इस्माइल खां (सहकारी) गृह निर्माण समिति के अंशधारियों को विकसित भूमि का आवंटन	Distribution of Developed Land to the Share Holders of Dera Ismail Khan (Coop) Housing Society, Delhi . .	128
4523	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन मनोपुर में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Teachers in Manipur under Centrally Sponsored Scheme	128
	बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में एक केन्द्रीयमंत्रीके विरुद्ध लगाए गये कतिपय आरोपों के बारे में	Re. certain charges against a central Minister in the Report of Estimates Committee of Bihar Assembly . .	129
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	132
	सभा की बैठक से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sittings of the House	135
	नियम 377 के अंतर्गत मामला	Matter under Rule 377 .	135
	तमिलनाडु में माचिस कारखानों को पोटाशियम क्लोरेट का उपलब्ध न होना	Non-availability of Potassium Chlorate to Match factories of Tamil Nadu .	135
	बम्बई में डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने के बारे में	Re. Strike by Doctors in Bombay .	136
	विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक	Foreign Exchange Regulation Bill .	137
	श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	137
	श्री वीरेंद्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	139

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni .	140
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterji	141
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatia .	143
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	144
श्री बी० पी० नायक	Shri B. P. Naik.	149
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	150
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia .	150
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	151
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	152
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Joint Committee	155
खंड 2 से 81 और 1	Clauses 2 to 81 and 1	155,162
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	162
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	162
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	164
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	164
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . . .	165
भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक —	Reserve Bank of India (Amendment) Bill —	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	165
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	165
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan .	166
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1 .	167
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	167
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (उड़ीसा) 1973-74	Supplementary Demands for Grants (Orissa) 1973-74	167
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	168

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	169
श्री बनमाली पटनायक	Shri Vanamali Patnaik . .	170
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	171
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra .	172
ग्राधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
केरल में राशन की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Rationing conditions in Kerala	172
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	172
श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	174

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 27 अगस्त, 1973/5 भाद्र, 1895 (शक)

Monday, August 27, 1973/Bhadra 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जापान में धान खेती विस्तार सेवा के संबंध में दो कृषि अधिकारियों का प्रशिक्षण रद्द किया जाना

***441. श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जापान में धान की खेती तथा विस्तार सेवा में 10 महीने का प्रशिक्षण लेने के लिये दो कृषि अधिकारियों को, एक मनीपुर से तथा दूसरा बंगाल से, जिनका चयन केन्द्रीय सरकार ने किया था, जापान ने सरकार द्वारा उस वर्ष समय पर जांच पड़ताल न करने के कारण लेने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार उन अधिकारियों को विदेशों में ऐसे ही प्रशिक्षण के लिये नए अवसर देने का विचार करती है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अवसर कब तक उपलब्ध होगें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख). जापान सरकार ने "चावल की खेती तथा इसके विस्तार" के संबंध में भारत के एक अधिकारी को दिनांक 5 अप्रैल, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक शिक्षण देने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा था । पश्चिम बंगाल के एक कृषि अधिकारी को नामजद करने का निर्णय किया गया

था और राज्य सरकार से दिनांक 19 फरवरी, 1973 को अनुरोध किया गया था कि वह 28 फरवरी, 1973 तक नामांकन सम्बन्धी कागज-पत्र भेज दें। राज्य सरकार को दो स्मरण-पत्र भेजे गये थे। अन्ततः दिनांक 29 मार्च, 1973 को राज्य सरकार से कागज-पत्र प्राप्त हुए थे।

पश्चिम बंगाल के अधिकारी के मामले पर विचार करते समय यह भी निर्णय किया गया था कि मणिपुर की तकनौलोजिकल सहायता की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए वहां के एक अधिकारी को भी नामजद किया जाए। 8 मार्च, 1973 को मणिपुर सरकार से अनुरोध किया गया कि वे 15 मार्च, 1973 तक अधिकारी के कागज-पत्र भेज दें। स्मरण-पत्र जारी करने के पश्चात् दिनांक 24 मार्च, 1973 को मणिपुर सरकार से कागज-पत्र प्राप्त हुए थे।

राज्य सरकारों की ओर से देरी होने तथा बहुत कम समय बचने के कारण जापान सरकार को अधिकारियों के आवश्यक ब्यौरे अनौपचारिक रूप से ही भेजे गये, ताकि वह राज्य सरकारों आदि की उचित स्वीकृति से पहले ही इन दो अधिकारियों के विषय में विचार कर सके और 17 मार्च को जापान दूतावास को इस बात की पुष्टि भेज दी गई थी। जापान सरकार ने इन अधिकारियों के नामांकन पर विचार करने के पश्चात् लगभग एक महीने के बाद इस मंत्रालय द्वारा चुने गये अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये स्थान देने के संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट की।

(ग) तथा (घ). दिनांक 16-7-73 को राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे 15 अक्तूबर 1973 तक कोलम्बो योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये अपने नामांकन भेजें। यदि चाहे तो मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल की सरकार भी विदेश प्रशिक्षण के लिये फिर से दो अधिकारियों की सिफारिश कर सकती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले नामांकनों के साथ उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री एन० टोम्बी सिंह : बड़े दुख की बात है कि सरकार की चाहे राज्य स्तर पर रही हो चाहे केन्द्र स्तर पर असमर्थता,. के कारण ऐसा दुर्लभ अवसर नष्ट हो गया है। विवरण में परिस्थितियों की विस्तृत व्याख्या दी गई है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान विवरण के एक स्पष्ट विरोधाभास की ओर दिलाना चाहता हूं। विवरण के तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है :

"राज्य सरकार स्तर पर विलम्ब को ध्यान में रखते हुये तथा जो थोड़ा सा समय शेष था, अधिकारियों से सम्बन्धित आवश्यक विवरण अनौपचारिक रूप में जापान सरकार के पास भेज दिया गया था" . . .

पहले दो पैराग्राफों में भी यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना 29 मार्च को प्राप्त हुई और मणिपुर सरकार से 24 मार्च, 1973 को कागज़ात प्राप्त हुए।

कागज़ात प्राप्त किये बिना भारत सरकार द्वारा विवरण भेजा जाना सम्भव नहीं था। केन्द्र सरकार इसमें राज्य सरकार की गलती कैसे बता सकती है जबकि जापान सरकार के पास अनौपचारिक रूप से भेजने के लिये आवश्यक विवरण उन्हीं के पास था।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की इस विषय की चिन्ता की सराहना करता हूं कि प्रशिक्षण के लिये मणिपुर जैसे क्षेत्र से भी व्यक्ति चुने जाने चाहियें और मैं माननीय सदस्य को

आश्वस्त करा सकता हूं कि तथापि विचारधारा इस विषय में सदैव सहायक होगी । परन्तु ऐसे मामलों में इस बात की ओर ध्यान दिया जाना है कि यह निर्णय उन देशों पर निर्भर करता है जहां प्रशिक्षार्थी भेजे जाने हैं । यहाँ तक की उन मामलों में भी जिनमें विलम्ब हो जाता है क्योंकि राज्य सरकारें उपयुक्त समय में नाम नहीं भेज पाती है, कभी-कभी बाहर के देश विलम्ब को क्षमा करके प्रशिक्षार्थियों को स्वीकार करने के लिये उद्यत हो जाते हैं । परन्तु कभी-कभी, यदि हम नाम उपयुक्त समय पर भी भेज देते हैं वे देश कहते हैं कि वे प्राशिक्षार्थियों को नहीं ले सकते । इस मामले में क्योंकि राज्य सरकार की ओर से विलम्ब हुआ, हमने अधिकारियों के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया । माननीय सदस्य ने पूछा था कि विवरण किस प्रकार भेजा गया । हमारे पास कुछ जानकारी थी और हमने उसे आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से जापानी दूतावास के पास भेजा है । बाद में उन्होंने प्राशिक्षार्थियों के स्वीकार करने में अपनी अक्षमता पर खेद प्रकट किया ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या इन अभागे अधिकारियों को, जो अन्य दूसरे ढंगों से प्राशिक्षण प्राप्त कर सकते थे, कोलोम्बो योजना के अन्तर्गत आगामी चयन में प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार की तथा राज्य सरकार की भी मणिपुर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के प्रत्याशियों के साथ पूरी सहानुभूति होगी ।

ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबंध

*442. **श्री रामभगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) ट्रैक्टरों के आयात के पूरे प्रश्न को इसके सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है

श्री रामभगत पासवान : वर्ष 1973-74 में ट्रैक्टरों की मांग कितनी थी और सरकार ने उसे पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये । मैं यह बात भी जानना चाहता हूं कि हमारे देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं । क्या देश में छोटे अथवा मिनी ट्रैक्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे इनका अधिक उपयोग हो सके और क्या सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रैक्टर कारखाना खोलने का विचार है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक निर्माण की बात है हमने देश में गत वर्ष 21,000 ट्रैक्टर बनाये और इस वर्ष 30,000 ट्रैक्टर बनाये जाने की आशा है । भारी उद्योग मंत्रालय का अनुमान 40,000 ट्रैक्टरों का है ।

जहां तक छोटे ट्रैक्टरों की बात है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा छोटे ट्रैक्टर बनाये जा रहे हैं और हमने विद्युत चालित टिलर्स बनाने के बहुत सी फर्मों को लाइसेंस दिये हैं । माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रैक्टर कारखाना खोलने का विचार है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स सार्वजनिक क्षेत्र का ही एक उपक्रम है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह सच है कि देश में ट्रैक्टरों की मांग में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी कमी हुई है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हाल में ट्रैक्टरों की मांग अवश्य बढ़ी है । परन्तु एक ढंग से माननीय सदस्य की बात सही है । यदि गत दो, तीन वर्षों की मांग पर ध्यान दिया जाये तो मांग में कुछ कमी हुई प्रतीत होती है क्योंकि आशा यह थी कि मांग तेजी से बढ़ेगी । परन्तु ट्रैक्टरों के मूल्य बढ़ जाने से तथा आयातित ट्रैक्टरों पर भारी शुल्क जो निश्चित रूप से राष्ट्रहित में है और जैसा कि कुछ राज्य सरकारों का विचार है, भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विचारविमर्श के कारण ट्रैक्टरों की मांग में कुछ कमी अवश्य हुई है । परन्तु हाल ही का हमारा अनुभव यह है कि ट्रैक्टरों की मांग में फिर से वृद्धि हो रही है और आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण से छोटे ट्रैक्टरों की मांग में वृद्धि हुई है । देश में छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन कितना है और उनमें स्वदेशी निर्माण की प्रतिशतता कितनी है ? यदि स्वदेशी निर्माण नहीं होता है तो क्या सरकार का विचार विदेशों से छोटे ट्रैक्टरों का आयात करने का है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इनमें से बहुत से प्रश्न भारी उद्योग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं । मैं केवल इतना ही बता सकता हूं क्योंकि हमारा मंत्रालय उपभोक्ता किस्म का मंत्रालय है जो ट्रैक्टरों की मांग करता है । जहां तक छोटे ट्रैक्टरों का प्रश्न है इससे यह प्रश्न उठता है कि यह किस प्रकार निश्चित किया जाये कि कौन-सा ट्रैक्टर छोटा है कौन-सा बड़ा । यदि यह 15 हार्सपावर से कम है तो हम इसे विद्युत्त चालित टिलर कहते है । जो भी ट्रैक्टर बनाये जाते हैं··· (**व्यवधान**) इस वर्ष हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से, जहां इस समय ट्रैक्टरों का निर्माण होता है, 8000 से 10,000 ट्रैक्टरों के उत्पादन की आशा है ।

श्री डी० एन० तिवारी : मांग कितनी है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सौंपा गया था। उन्होंने मामले की पूरी तरह जांच की और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । उनके अनुमानुसार, चालू वर्ष में, कुल मांग 38,000 और 40,000 ट्रैक्टरों के बीच होगी ।

Shri R. S. Pandey: There are very few big farmers in the country who may afford to have big tractors. Therefore, in view of the demand for small tractors in the country, may I know the minimum price the Government propose to fix.

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है । परन्तु आपने प्रश्न का बहुत विस्तार कर दिया है ।

Shri R. S. Pandey: I am making it short. May I know whether there is any provision in current or next five year Plan to assist the small farmers by way of providing low cost tractors to them?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं केवल इतना बता सकता हूं कि यदि ट्रैक्टर छोटा भी है तो भी उसका मूल्य 8,000, 10,000, 12,000 के बीच होगा जो छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से अधिक है । भारत सरकार का विचार उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोलने का है जहां छोटे किसानों को सार्वजनिक क्षेत्र की सहकारिताओं से अथवा बेरोजगार इंजीनियरों से किराये पर ट्रैक्टर उपलब्ध हो सकेंगे । भारत सरकार का विचार बड़ी संख्या में सेवा केन्द्र खोलने का है ।

श्री एस० बी० गिरी : छोटे किसानों की कम क्षमता को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक किसान बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता । क्या सरकार का विचार छोटे ट्रैक्टरों का आयात करने का है, क्योंकि हमारे

पास छोटे ट्रैक्टर नहीं हैं, इन्हें बनाने में कुछ समय लगेगा, जिससे कि छोटे किसान सीधे अथवा मासिक किश्तों पर अथवा किराया खरीद पर ये ट्रैक्टर खरीद सकें ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश में ट्रैक्टर बनाने की हमारी अपनी योग्यता तथा क्षमता के कारण हमारा विचार छोटे ट्रैक्टरों का आयात करने का नहीं है । हमें निर्माण के लिये अपने लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिये ।

उड़ीसा के किसानों को डीजल से बिजली उत्पन्न करने वाले इंजनों की खरीद के लिए सहायता

*443. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसानों को सरकार से डीजल से बिजली पैदा करने वाले इंजनों की खरीद के लिये वित्तीय सहायता मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सहायता उड़ीसा में बिजली की कमी के कारण ही दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । उड़ीसा में किसानों को डीजल जेनरेटिंग सैट खरीदने के लिये इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि उड़ीसा में अधिकांश किसान व्यक्तिगत रूप में हाईडिल अथवा डीजल के अपने जेनेरेटिंग सैट नहीं लगा सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां अभी तक बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है डीजल जेनेरेटिंग सैट उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने किसानों की सहकारिताओं को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

प्रो० शेर सिंह : डीजल सैटों द्वारा उत्पादित बिजली का मूल्य तुलनातमक रूप में बहुत अधिक है । व्यक्तिगत रूप से किसानों के लिये, यहां तक कि उनकी सहकारिताओं के लिये भी इस प्रकार के जेनेरेटिंग सैट लगाना तथा उसे चलाना संभव नहीं है । अधिकांशतः जहां विद्युत की कमी होती है वहां राज्य विद्युत बोर्ड कभी-कभी यह कार्य करती है । उदाहरण के लिये हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में कुछ डीजल जेनेरेटिंग सैटों का आयात किया गया था । परन्तु किसानों अथवा उनकी सहकारिताओं के लिये यह सभंव नहीं है । केवल राज्य विद्युत बोर्ड ही ऐसा कर सकती हैं । जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है वहां बिजली की कमी नहीं है । हाल ही में 16 मेगावाट की एक यूनिट 14 अगस्त, 1972 को बालीमेला में चालू की गई है । 60 मेगावाट की दूसरी यूनिट अक्तूबर, 1973 में चालू होने वाली है । अतः जहां तक उड़ीसा की बात है वहां बिजली की कमी नहीं है ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि डीजल पम्पिंग सैट तथा पम्प्स आदि, छोटे सैट भी, काफी मात्रा में बनाये जा रहे है क्या उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में किसानों को किराया खरीद पर डीजल सैट उपलब्ध कराने की किसी योजना पर मंत्री महोदय ने विचार किया है? कम से कम इस दिशा में सरकार का क्या रवैया है ।

प्रो० शेर सिंह : जहां तक डीजल पम्पिंग सैट्स की बात है, राज्य सरकार के पास भी योजनायें हैं और राज्य सरकार ने हाल ही में एक विश्व बैंक ऋण परियोजना बनायी है । जिसमें अन्य मदों के अतिरिक्त 40,000 डीजल पम्पिंग सैटों का वितरण भी सम्मिलित है और यह परियोजना शीघ्र ही विश्व बैंक के समक्ष उनके मूल्यांकन के लिये प्रस्तुत की जायेगी । अतः डीजल पम्पिंग सैट किसानों को व्यक्तिगत रूप में सप्लाई किये जायेंगे और उसके लिये योजना है ।

भारत के तटीय एवं विदेश व्यापार में भारतीय तथा विदेशी नौवहन कंपनियों का हिस्सा और इन कंपनियों को दिया गया भाड़ा

*444. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51, 1960-61 और 1972-73 में भारत के तटीय और 'विदेश व्यापार में, क्रमशः भारतीय एवं विदेशी नौवहन कम्पनियों का कितना-कितना हिस्सा था ;]

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, भारत के विदेशी तथा तटीय व्यापार के कारण भारतीय तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों को कुल कितने भाड़े का भुगतान किया गया; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में क्या स्थिति होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) तटीय व्यापार में भारतीय तथा विदेशी नौवहन का शेयर निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सूखा माल		तेल माल	
	भारतीय कम्पनियां	विदेशी कम्पनियां	भारतीय कम्पनियां	विदेशी कम्पनियां
1951	94%	6%	तेल पदार्थों का कोई अधिक आवागमन नहीं था	
1961	100%	शून्य	27.7%	72.3%
1972	100%	शून्य	51.2%	48.8%

भारतीय समुद्र पारीय व्यापार में भारतीय तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों का शेयर निम्न प्रकार है :—

वर्ष	भारतीय कम्पनियां	विदेशी कम्पनियां
1950-51	उपलब्ध नहीं, परन्तु भारतीय कम्पनियों का शेयर संभवतया बहुत कम था क्योंकि उनके पास बहुत ही कम जहाज थे ।	
1960-61	9%	91%
1970-71	19.87%	80.13%

(1972-73 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है)

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों को दिया गया भाड़ा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	समुद्र पारीय व्यापार		तटीय व्यापार		
	भारतीय कम्पनियां	विदेशी कम्पनियां	भारतीय कम्पनियां	विदेशी कम्पनियां	(रुपये करोड़ों में)
1969-70	122.95	180.66	8.18	2.85	(1969 के लिए)
1970-71	145.30	169.53	7.15	3.49	(1970 के लिए)
1971-72	159.76	162.93	11.21	4.40	(1971 के लिए)

भारत के समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय नौवहन कम्पनियों को दिये गये भाड़े के आंकड़ों में मार्ग पत्तनों से उठाये गये माल पर लाईनर नौवहन कम्पनियों दवारा कमाया गया भाड़ा भी शामिल हैं ।

(ग) नौवहन के लिए पांचवीं योजना का लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है । परन्तु हमारा लक्ष्य यह है कि भारतीय नौवहन, पांचवीं योजना के अंत तक आयाती कच्चे तेल का 100% खुले माल व्यापार का 50% लाईनर व्यापार का 40—45% और तटीय व्यापार का 100% ढोये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्रालय के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन के अनुसार भारत के समुद्री व्यापार का 20 प्रतिशत व्यापार भारती जहाजों के द्वारा किया जाता है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सही स्थिति क्या होगी ?

श्री राजबहादुर : स्थिति विवरण में विस्तार से बताई गई है । परन्तु 1969-70, 1970-71 तथा पूर्व के वर्ष 1968-69 के तीन वर्षों में यह 19.86 प्रतिशत था । भारत पाकिस्तान युद्ध तथा हमसे की गयी अन्य मांगों के कारण वर्ष 1971-72 असाधारण वर्ष रहा है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

श्री राजबहादुर : जहां तक पांचवीं योजना का प्रश्न है हम 100 प्रतिशत अपना समुद्रतटीय व्यापार 50 प्रतिशत समुद्र पारीय व्यापार स्वंय अपने पोतों से करने की आशा रखते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि खुले माल व्यापार का 50 प्रतिशत तथा लाईनर व्यापार का 40—50 प्रतिशत ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वर्ष 1972-73 के मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय पोतों से हमारे समुद्री व्यापार का 20 प्रतिशत माल ढोया जाता है । मैं समुद्र तटीय व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं । मैं देश के आन्तरिक व्यापार की बात कर रहा हूं । भारतीय पोतों से चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में तथा सम्पूर्ण पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितना माल ढोया जायेगा । मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को छुआ तक नहीं है।

श्री राजबहादुर : मैंने पांचवी योजना के बारे में बताया है । मेंनें उनके प्रश्न से अधिक तथ्य बताये हैं । यतः वह समुद्रपारीय व्यापार में रूचि रखते हैं तो लाइनर व्यापार 40—50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत खुला माल व्यापार किया जायेगा ।

जहां तक समुद्रपारीय व्यापार का प्रश्न है, खुला माल व्यापार 50 प्रतिशत तथा तेल व्यापार (तेल आयात) 100 प्रतिशत होगा । लाइनर व्यापार 40-50 प्रतिशत हो सकेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्रालय के प्रतिवेदन में स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय पोतों से हमारा 20 प्रतिशत समुद्री व्यापार चल पाता है । मंत्री महोदय अशोधित तेल की बात करते हैं । तेल लाने तथा खुले माल व्यापार की बात करते हैं ।

श्री राजबहादुर : मैंने ब्यौरेवार बताया है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर करता है । दूसरे ढंग से भी मोटे रूप में यह 50 प्रतिशत ही होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस बारे में विरोध करना नहीं चाहता । मेरा दूसरा प्रश्न है ...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न अभी चल ही रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, हम क्या कर सकते हैं ? आप नियमों में परिवर्तन कर दीजिये ।

विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्यात व्यापार में विदेशों का भाग यदि वर्ष 1970 और 1971 के आंकड़ों की तुलना की जाये, 20 प्रतिशत बढ़ गया है । इसका क्या कारण है ? दूसरे, कुल 162 करोड़ रुपये तथा 4.40 करोड़ रुपये की आय में से कितनी राशि विदेशों में भेजी गयी है ?

श्री राजबहादुर : उनका यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशियों के शेयर बढ़ गए हैं । मैंने भारतीय जहाज मालिकों द्वारा चार्टर-भाड़े, क्रास-व्यापार और यात्रियों से आय सहित समुद्रपार व्यापार के ठीक-ठीक आंकड़े दिए हैं वे हैं—1969-70 में 136.52 करोड़ रुपये और विदेशी जहाज कंपनियों को भारतीय समुद्रपार व्यापार ढोने के लिए भाड़े के रुप में 180.66 करोड़ रुपये (लगभग) दिए गए । 1970-71 में ये आंकड़े क्रमश: 168.11 करोड़ रुपये और 169.53 करोड़ रुपये थे और 1971-72 में 174.80 और 162.93 करोड़ रुपये थे ।

मोटे तौर पर विदेश व्यापार का आयात और निर्यात किए गए माल के मूल्य का 10 प्रतिशत भाड़े पर खर्च हुआ माना जाता है । हमारा कुल व्यापार 3,375 करोड़ रुपये का था और उक्त आधार पर भाड़े पर 337.5 करोड़ रुपये खर्च हुए जिनमें से भारतीय कंपनियों ने 174.80 करोड़ रुपये और शेष विदेशी कंपनियों ने कमाये । इस प्रकार भारतीय कंपनियों ने 50 प्रतिशत से कुछ अधिक ही कमाया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विवरण के अनुसार विदेशी जहाज कंपनियों ने 1970 में 3.49 करोड़ रुपये और 1971 में 4.9 करोड़ रुपये कमाये । दूसरे इन विदेशी कंपनियों द्वारा अर्जित कितना लाभ बाहर भेजने दिया गया है ?

श्री राजबहादुर : सदस्य महोदय समुद्रपार और तटीय ढुलाई में कोई भेद नहीं रख रहे हैं । जहां तक तटीय सेवा का संबंध है, केवल हमारे जहाज़ ही सभी लाभ कमाते हैं जो 1969-70 में 8.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 1971-72 में 11.21 करोड़ रुपये हो गया है यद्यपि विदेशी कंपनियों की आय भी 2.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.40 करोड़ रुपये हो गया है । इस बीच पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई की मात्रा भी 1969 में 9.15 लाख टन से बढ़कर 1971 में 10.37 लाख टन हो गयी है और यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बीच विदेशी जहाज़ों द्वारा ढोई गई मात्रा 1969 में 24.86 लाख टन से घटकर 1971 में 16.89 लाख टन रह गयी है । इस प्रकार कि ढुलाई में काफी वृद्धि हुई है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही कठिन प्रश्न है और अब श्री बसु बैठ जाएं। श्री बयालार रवि।

श्री बयालार रवि : यह बताया गया था कि पांचवी योजना में लक्ष्य कच्चे तेल का पूरा-पूरा आयात और बड़ी मात्रा में व्यापार की आधी मात्रा की ढुलाई भारतीय जहाजों द्वारा की जाएगी । तो पांचवी योजना में ढुलाई में कुल कितनी वृद्धि होगी—गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी और सरकारी क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री राजबहादुर : जहां तक मंत्रालय के प्रस्तावों का संबंध है कुल वृद्धि 40 लाख से 106 लाख टन करने का प्रस्ताव है परन्तु आशा है कि पांचवी योजना के अंत तक कुल वृद्धि 96 लाख टन की होगी जिसमें अधिकांश काम सरकारी क्षेत्र में होगा ।

श्री मधु दंडवते : क्या मैसर्स चोगुले स्टीम शिप कंपनी जैसी कुछ कंपनियां अपने माल व्यापार में तो भारी लाभ कमा रही हैं परन्तु आन्तरिक तटीय व्यापार के लिए वे सरकार से किराये में वृद्धि की अनुमति मांग रही हैं ?

श्री राज बहादुर : सरकारी या गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की जहाज कंपनियां लाभ कमाना चाहती हैं और तटीय सेवा में वे हानि नहीं उठाना चाहती हैं । साथ ही हम समुद्र पार की सेवाओं में उनका लाभ कमाने नहीं देना चाहते । बनाई गई एक समिति ने किरायों में 20 प्रतिशत वृद्धि करने की सलाह दी है । अब भी हम इस सेवा को किफायत आधार पर चलाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं ।

श्री मधु दंण्डवते : मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री राजबहादुर : मैसर्स चौगुले ने 43 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है ।

डा० हेनरी आस्टिन : टन-भार क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि में क्या कोयला, चावल जैसी वस्तुएं अभाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के प्रयास भी शामिल हैं क्योंकि रेल-डिब्बों की कमी अनुभव की जाती है ?

श्री राज बहादुर : तटीय जहाज सेवा द्वारा पूर्वी भारत से पश्चिमी भागों में 65 लाख टन कोयला पांचवी योजना के अंत तक ले जाने की मांग रखी गई है । हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : चौथी योजना के लक्ष्य की अपेक्षा वित्तीय और भार संबंधी लक्ष्य में कितनी कमी रही है और पांचवी योजना में प्रस्तावित वृद्धि क्या है. ?

श्री राजबहादुर : कुल लक्ष्य 40 लाख टन था जिसमें से 35 लाख टन स्वयं ढोना था और 5 लाख टन के लिए दूसरों से आदेश मिलने थे । लगभग 27.62 लाख टन माल ढोया जा रहा है । आशा है कि इस वर्ष के अंत तक यह मात्रा 31 लाख टन हो जाएगी । हमें इस समय तक 21.17 लाख टन के आदेश मिल चुके हैं । इस प्रकार 40 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 48.79 लाख टन कुल माल ढोया जाएगा ।

जगन्नाथ मंदिर की मरम्मत के लिये धन देने के बारे में निर्णय

***445. श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री पुरी के श्री जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत के संबंध में 16 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पुरी के जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत के लिये धन देने के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां, मंदिर की मरम्मत करने के लिये सरकार ने निर्णय लिया है । विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने और जांचने के बाद ब्यौरें निश्चित किए जाएगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अर्जुन सेठी : यद्यपि श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी की मरम्मत के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है परन्तु इसकी कोई बैठक अभी तक नहीं हुई है । तो मंदिर म हुई दुर्घटना को देखते हुए क्या इसकी बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी ताकि मरम्मत का काम आरंभ हो सके ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : पहले जो समिति बनाई गई थी उसमें एक सदस्य था जो तमिलनाडु सरकार की सेवा में था । मुझे बताया गया है कि वह बहुत उत्तम कलाकार और इस मंदिर के वास्तु-शिल्प का ज्ञाता है और हम तमिलनाडु सरकार की अनुमति और अनुमोदन उसकी समिति में सेवा के लिए प्राप्त कर रहे हैं । साथ ही, उड़ीसा सरकार चहाती है कि उक्त मंदिर के प्रसासक और पुरी के कलक्टर को भी समिति में रखा जाये । सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया है और तमिलनाडु सरकार का उत्तर मिलते ही हम इस समिति को बैठक बुलाएंगे ।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा में अनेक असाधारण मंदिर हैं और उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से इन मंदिरों की देख रेख करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय मंडल उड़ीसा में बनाने का अनुरोध किया है । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो भिन्न है ।

अर्जुन सेठी : यह प्रश्न इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंदिर की मरम्मत का काम शीघ्र आरंभ करने की आवश्यकता है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस मंदिर की मरम्मत के काम की पर्याप्त निगरानी के लिए एक महत्व-पूर्ण अधिकारी भेजा जाएगा । पृथक मंडल के बारे में, इस समय 10 मंडल हैं और हम एक और मंडल बनाना चाहते हैं परन्तु आर्थिक कठिनाई आड़े आ रही है । हम इन 11 मंडलों में समान संख्या में प्राचीन इमारतों का वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कांत झा : मंत्री महोदय के अनुसार इस विशेषज्ञ समिति की बैठक अभी होनी है और इसके लिए तमिलनाडु सरकार को लिखा हुआ है जबकि सदस्य महोदय के अनुसार मंदिर में दरारें पड़ गई हैं और इसकी मरम्मत शीघ्र होनी चाहिए तो उसकी रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी और मिल जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री शंकर राव सांवत : मरम्मत पर कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने से पूर्व यह बताना कठिन है ।

श्री पीलू मोदी : अनुमानानुसार ही कुछ बता दें ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जितना भी व्यय होगा सरकार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो पहले अधिक आवश्यक काम पूरा किया जाएगा और बाद में कम आवश्यक काम पूरा होगा ।

Smt. Sahodrabai Rai: I want to know where the offerings worth lakhs of repees go? Cannot it be spent on its repairs?

Prof. S. Nurul Hasan: The temple is run under Sri Jagannath Temple Act, 1954 of Orissa where-under a managing committee has been constituted by the state Government which runs the temple.

Shri Jagannath Misra: The hon. Minister has stated that they are responsible for its repair and that a Committee has been constituted therefor. Therefore, what management are proposed to take its repairs at once?

Secondly, what is the nature of responsibility of the State Government as far as the maintenance of the temple is concerned ?

Prof. S. Nurul Hasan: It is not Centre's responsibility because it is not under Centre's protection (*Interruptions*). There is difficulty in bringing it under Centre's protection. The original temple was renovated after four repairs. White-washing and plastering during the past century has altered the original shape of the temple, that is why there is considerable difficulty in bringing it back to its original shape. However, in view of its importance on receipt of news of cracks therein, we at once decided that instead of starting a controversy whether it should be brought under Centre's protection or remain with the Committee constituted by the Orissa Assembly, in order to undertake repairs, we should offer all technical assistance and for that an Expert Committee was appointed consisting of D.G., Archaeological Survey, Chief Engineer, P.W.D., Director, Cultural Affairs, Orissa, Chief Archaeological Engineer, Superintendent, Archaeologist. Eastern Circle, Superintendent, School of Arts and Crafts, Mahabalipuram, and Collector of Puri District.

Some portions of the temple shall have to be closed down during repairs and pilgrims would not have easy access to the temple. Despite some earlier misunderstanding resulting in assault of a photographer, all matters were amicably settled due to the keen interest shown by Shri J. V. Patnaik, the Deputy Minister in the Ministry of Defence, and we decided to meet full cost of repairs and complete this work as early as possible with the help of expertise.

Shri Jagannath Misra: May otherwise whether this being done as part of their own responsibility or as a favour?

Mr. Speaker: He has clarified the position. That is all.

चौथी योजना में उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में अग्रिम परियोजनायें

*447. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

25 LSS/73—3.

(क) क्या उनके मंत्रालय को चौथी योजना में उड़ीसा के जन जाति जमाव वाले क्षेत्रों में 15 नई अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अग्रिम परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई ; **और**

(ग) क्या धन का नियतन इस समय चल रही अग्रिम परियोजनाओं की भांति खंडों के **अनुसार** किया जायेगा, और यदि हां, तो एक अग्रिम परियोजना के अंतर्गत कितने खंड आयेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। परन्तु उड़ीसा सरकार से पांचवी योजना में 15 नई मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) उस प्रस्ताव की अन्य सरकारों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गिरीधर गोमांगो : क्या विकास कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त धन की दृष्टि से 15 मार्ग-दर्शी योजनाओं में से प्रत्येक पर क्षेत्र के अनुसार अमल किया जाएगा या जनसंख्या के अनुसार ?

प्रो० शेर सिंह : भाग (क) के उत्तर में जैसा बताया गया है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनाएं विचाराधीन हैं। जो 6 मार्गदर्शी योजनाएं चल रही हैं उनमें से प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

श्री गिरीधर गोमांगो : प्रत्येक ऐसी योजना का क्षेत्र समान नहीं है क्योंकि उड़ीसा की दो योजनाओं के अंतर्गत 19 खंड हैं जबकि बिहार और आंध्र में यह क्षेत्र 4 और 6 खंडों का है। तो क्या इस कारण पंचवर्षीय योजना में इन दो योजनाओं के लिए नियतन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ?

प्रो० शेर सिंह : ये दोनों योजनाएं चौथी योजना में मंजूर की गई थीं और जैसा मैंने बताया प्रत्येक के लिए दो करोड़ रुपये रखे गए हैं 1.5 करोड़ अत्यावाश्यक कार्यों के लिए और .50 करोड़ रुपये सामाजिक कार्यों के लिए (**व्यवधान**) गंजम जिले की पहली योजना पर अब तक केवल 56,78,000 रुपये खर्च हुए हैं और दूसरी पर 56.85 लाख रुपये खर्च हुए हैं। अतः अब भी काफी धन व्यय किए जाने के लिए उपलब्ध है।

श्री एस० बी० गिरी : तेलेंगाना में 15 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है। तो क्या उन्हें आंध्र सरकार से इनके कल्याण हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल उड़ीसा के बारे में था। अतः आप इसे पृथक सूचना भेजकर पूछें।

श्री डी० बसुमतारी : क्या आदिवासी-बहुमत वाले क्षेत्रों में आदिवासी खंड बनाने के बाद से उनकी भूमि उनसे छीनी जा रही है और क्या सरकार वहां ये योजनाएं चलाने से पूर्व उनकी भूमि साहूकारों बचाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

प्रो० शेर सिंह : मेरे विचार में यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री डी० बसुमतारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इन घटनाओं की ओर दिलाया गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने फिर बोलना शुरु कर दिया है । मंत्री महोदय को तो कुछ बताने दीजिए (**व्यवधान**) अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री डी० बसुमतारी : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनकी भूमि छीने जाने से बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न योजनाओं के लिए नियतन के बारे में है । यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो पृथक सूचना भेजें ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्योंकि मंत्री महोदय ने इन योजनाओं के दो भागों का उल्लेख किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि मूलभूत अंग और दूसरा अंग क्या-क्या है और उनमें कौन-कौन से कार्य शामिल हैं और क्या उक्त प्रथम अंग में आदिवासियों को सभी प्रकार के शोषण आदि से बचाना भी शामिल है ?

प्रो० शेर सिंह : मूलभूत कार्यक्रम में आदिवासियों का आर्थिक विकास आता है जो मुख्यतः कृषि और बागवानी विकास, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाना, भूमि विकास और भू-संरक्षण, भूमिहीन आदिवासियों का पुनर्वास, लघु सिंचाई कार्यक्रम भू-अभिलेखों का नवीकरण, ऋण-वसूली, बंदोबस्त, खेती-बदलना, पशुपालन-विकास, डेरी फार्मिंग आदि से संबंधित है । दूसरा कार्य सड़कों आदि से संबंधित है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय के अनुसार केवल चौथाई धन ही खर्च हुआ है, अर्थात 2 करोड़ रुपयों में से केवल 56 लाख रुपये तो इतना कम खर्च होने के क्या कारण हैं और सरकार चौथी योजनावधि में पूरी राशि खर्च करने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

प्रो० शेर सिंह : काफी समय तो परियोजना अधिकारी और उनके स्टाफ को वहां पहुंचने और लाभान्वित होने वालों का पता लगाने में लग गया । एक परियोजना में 12,500 ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया गया और दूसरी में 12,735 व्यक्तियों का। अब काम काफी तेजी से हो रहा है । (**व्यवधान**) उड़ीसा में अब ये योजनाएं काफी अच्छी गति से चल रही हैं।

दादरा और नागर हवेली में भूमि सुधार विनियम अधिनियम, 1971 के संबंध में की गई कार्यवाही

*454. **श्री रामूभाई पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि सुधार विनियमन अधिनियम, 1971 की उद्घोषणा 8 दिसम्बर, 1971 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दादरा और नागर हवेली में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). दादर तथा नागर हवेली भूमि सुधार विनियमन, 1971 की जुलाई 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कृषि जोतों के संबंध में अधिकतम सीमा संबंधी सिफारिशों पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः जांच की गई है । इसमें शीघ्र संशोधन करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से कदम उठाए जा रहे हैं।

Shri R. R. Patel: In the said Chief Ministers Conference it was decided not to implement the Act in Dadra and Nagar Haveli. I want to know whether the spokesman for this Territory studied the situation on the spot there?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ये प्रस्ताव उपराज्यपाल ने भेजे थे और गृह मंत्रालय ने उन्हें जांचा था । अब जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं वे मुख्य मंत्री सम्मेलन द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित हैं और उन्हें भारत सरकार ने औपचारिक रूप में अनुमोदित किया है ।

श्री डी० जी० जडेजा : क्या सरकार को पता है कि दादरा और नागर हवेली का पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हैं और देश के सबसे बड़े भूस्वामी वहां कृषि और वन भूमि के मालिक हैं ? तो, सभी भूमि को आदिवासियों को सौंपने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे सिद्धांतों के अनुसार फालतु भूमि सबसे पहले अनुसूचित जातियों/जन जातियों को दी जाएगी । आदिवासियों को भी नियतन में प्राथमिकता मिलेगी ही।

चावल के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के परिणामस्वरूप चावल की खरीद के लिए किसानों को भुगतान के लिए अपेक्षित धनराशि

*457. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि चावल के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने की नीति क्रियान्वित की जाती है तो किसानों से चावल खरीदने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी,

(ख) क्या चावल का क्रय-मूल्य निर्धारित कर लिया गया है और यदि हां, तो वे दरें क्या हैं, और

(ग) योजना सफल हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1973-74 के खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने के परिचालन संबंधी ब्यौरों की इस समय राज्य सरकारों के परामर्श से जांच हो रही है । इस जांच के बाद वित्तीय आवश्यकताएं तय हो जाएंगी ।

2 कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 1973-74 मौसम के लिए धान का अधिप्राप्ति मूल्य देश भर में समान रूप से 63 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिये। सरकार ने इस मूल्य को साहाय्य मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और कटाई मौसम के शुरु में अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए जाएंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण पत्र में यह कहा गया है कि कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की है कि वर्ष 1973-74 के लिए धान का वसूली मूल्य 63 रुपये प्रति क्विंटल रखा जाय मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार निर्धारित किया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वसूली मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य आयोग की यह मूल सिफारिश थी। परन्तु भारत सरकार ने यह निश्चय किया था कि इन मूल्यों को वसूली मूल्य न मानकर समर्थन मूल्य माना जाय। इसलिए आगामी फसल के लिए वसूली मूल्यों को निर्धारित करने का विकल्प भारत सरकार ने खुला रख छोड़ा है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा उक्त सिफारिश करने का आधार यह है कि उन्होंने राज्य सरकारों से आंकड़े एकत्रित किये। उन्होंने लागत-मूल्य के बारे में भी आंकड़े एकत्रित किये और इन सब पर विचार किया गया था।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आयोग ने खेती की लागत खेतिहर मजदूरों के वेतन की लागत आदि का ब्यौरा कैसे तैयार किया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश के विभिन्न भागों के वेतन ढांचे सहित अन्य सभी तथ्यों पर ध्यान रखा जाता है। जब यह रिपोर्ट तैयार की गई, तब विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से आंकड़े इकट्ठे किये गये थे। अब व्यापक योजना के अधीन खेती की लागत सम्बन्धी आंकड़े कृषि मूल्य आयोग को उपलब्ध किये जा रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : वर्षा की अच्छी स्थिति और अच्छी फसल की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया है अथवा इस नीति के बारे में कुछ राज्यों से प्राप्त अध्यावेदनों के कारण कोई हिचकिचाहट है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अपने उत्तर के मुख्य भाग में, मैंने विवरण-पत्र में ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री पीलू मोदी : वह दुबारा पढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : विवरण-पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, उस बारे में सदस्यों को उत्तर नहीं पूछने चाहिए। मगर वह अगर उत्तर देना चाहें, तो दे सकते हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि

श्री बसन्त साठे : मेरा प्रश्न ही कुछ और था। मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार चावल के व्यापार के अधिग्रहण की नीति पर दृढ़ है। क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ?

श्री दिनेश सिंह : अगर वे अभी नीति की घोषणा नहीं करते, तो व्यवस्था करना असम्भव हो जायेगा।

श्री बसन्त साठे : अन्यथा, उन्हें उसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो अब गेहूं के बारे में उनके सामने आ रही है। इसलिए, हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए की हमारी नीति क्या है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। वस्तुतः जनता यह सोच रही है कि चावल के व्यापार के अधिग्रहण के बारे में सरकारी नीति का निर्धारण अभी भी किया जाना है, क्योंकि अभी भी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, इस बारे में काफी भ्रम है। अब मानसून प्रारम्भ हो चुका है, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि वह चावल के व्यापार के अधिग्रहण के बारे में दृढ़ है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : संगठन सम्बन्धी ब्यौरों पर चर्चा की जा रही है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : गेहूं के अधिग्रहण के अनुभव के बाद, जो एक स्टण्ट था और पूरी तरह से असफल रहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चावल के थोक व्यापार के अधिग्रहण को व्यवहार्य मानती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं प्रश्न की भूमिका से कतई सहमत नहीं हूं। इसके अलावा, मेरे विचार में अगर केवल वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है कि गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण असफल रहा।

श्री पीलू मोदी : अगर वसूली नहीं तो फिर सफलता को परखने की कसौटी क्या है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : गेहूं के व्यापार के अधिग्रहण के आधार पर मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि चावल के व्यापार का अधिग्रहण असफल रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह पूरक प्रश्न नहीं है। पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उर्वरकों की कम सप्लाई और ऊँची कीमतों को देखते हुए, क्या सरकार ने चावल की उत्पादन लागत की गणना की है ? क्या सरकार चावल का वसूली मूल्य 100 रु० निर्धारित करने के लिए तैयार है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : फसल की कटाई से पहले उचित समय पर सरकार वसूली मूल्य की घोषणा करेगी।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

बिहार के तिरहुत डिवीज़न में गन्ने की फसल को पायरेला रोग से क्षति

अ०स०प्र० 3. श्री नवल किशोर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के तिरहुत डिवीज़न में लगभग 2.5 लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की फसल को पायरेला रोग से क्षति पहुंच रही है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादक बहुत चिंतित हैं ;

(ख) क्या इससे उक्त क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन काफी कम हो जाने की संभावना है ; और

(ग) गन्ना उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) बिहार के तिरहुत डिवीजन में 3.07 लाख एकड़ क्षेत्र में गन्ने पर पायरेला रोग का सख्त प्रकोप था। मार्च-अप्रैल, 1973 में राज्य सरकार ने इस रोग पर काबू पाने के लिये तत्काल कार्यवाही शुरू की। 2.92 लाख एकड़ क्षेत्र में कीटनाशी दवाइयों का हवाई और भूमि पर से छिड़काव किया गया था। बिहार शरीफ स्थित केन्द्रीय वनस्पति रक्षण केन्द्र ने भी कीटों को फैलने से रोकने के लिये राज्य सरकार की सहायता की। गन्ना उत्पादकों को इस संबंध में सावधान कर दिया गया था और आकाशवाणी के प्रसारणों के जरिये उन्हें उपयुक्त वनस्पति रक्षण उपाय करने की सलाह दी गई थी। "पौधा संरक्षण संदेश" नामक एक पुस्तिका जिसमें पायरेला के स्वरूप और उसके वास स्थान तथा उपयुक्त नियंत्रण उपायों का ब्यौरा दिया गया था, गन्ना उत्पादकों में वितरित की गई थी।

जुलाई-अगस्त में मानसून शुरू हो जाने से परजीवी जीवों की अधिकता हो गई है जो पायरेला कीट के अंडों, डिंमक और वयस्कों को नष्ट कर देते हैं। परजीवी जीवों के ज़रिये पायरेला के प्राकृतिक नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव फिलहाल बन्द कर दिया गया है। तथापि, इनके प्रभाव पर निगाह रखी जा रही है और यदि पायरेला की संख्या पर कारगर ढंग से नियंत्रण नहीं होता तो कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव कार्य पुन: हाथ में लिया जायेगा। अभी कीटों के प्रकोप के परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में कमी की मात्रा बता सकना सम्भव नहीं है। किन्तु कुछ कमी होने की सम्भावना है।

श्री नवल किशोर सिंह : उत्तरी भारत के चीनी उत्पादक क्षेत्र, बिहार के तिरहुत डिवीजन में, बहुत अधिक क्षेत्र में पायरिला के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जमीन पर दवा का छिड़काव करने के लिए विमान से छिड़काव, नैप सैकस्प्रेयरों और डस्टरों को काम में लाया गया था और यदि हां, तो क्या इनके लिए सरकार राजसहायता देने की व्यवस्था करेगी ताकि उस क्षेत्र के किसान इन उपकरणों का स्वयं ही सदुपयोग कर सकें? मुझे यह सूचना मिली है कि राज्य का कृषि विभाग समस्या के प्रति उतना जागरूक नहीं है, जितना सामान्यत: उसे होना चाहिये था।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जसा कि मैंने पहले बताया, हमें यह जानकारी मिलने के बाद कि पायरिला के कारण तिरहुत डिवीजन के काफी क्षेत्र को प्रभावित किया है, राज्य सरकार ने ही कार्यवाही नहीं की, बल्कि केन्द्रीय सरकार ने भी कार्यवाही की है। हमने काफी बड़े क्षेत्र में छिड़काव किया है। वर्षा के कारण और पायरिला को नियंत्रित करने वाले परजीवी कीटाणु के दिखाई देने के कारण हमने छिड़काव रोक दिया था। स्थिति पर निगाह रखी जा रही है और जैसे ही छिड़काव शुरू करना आवश्यक होगा, हम फिर शुरू कर देंगे। हम यह भी देखेंगे कि इस कीटाणु को किस सीमा तक खत्म किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध की जायेगी।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में गन्ने के अलावा अन्य खड़ी हुई फसलों पर भी पायरिला का प्रभाव पड़ा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सही है। पायरिला मार्च के महीने में दिखाई दिया था और गन्ना ही नहीं, बल्कि गेहूं और मक्के की फसल पर भी प्रभाव पड़ा है।

Shri Bibhuti Mishra: I have been writing letters and sending telegrams to the honourable Minister for the last many months. I have been writing to the Prime Minister also. Almost in whole of Bihar and especially in my area there has been aircraft spraying. The pesticide withered away and there was no gainful result of spraying. There was spraying in the field and it had certain effect and there was protection to a certain extent. Mr. Speaker, Sir, The State Government controls the epidemic whereas the Central Government controls the Endemic. This is the controversy between the States and the Centre. It is beyond the control of the State Government to have a check over it. This disease came to Haryana from Punjab and from Haryana to U.P. Now it has come to Bihar and therefrom it would spread to West Bengal...

Mr. Speaker: This is not a debate, you ask the question.

Shri Bibhuti Mishra: The green vegetable such as Paddy, wheat, Jute and Maize are more prone to the attack of Pyrilla. I would like to know whether this would be declared Endemic or not? It is beyond the control of the State Government to have a check over it. If the Central Government declares it Endemic, only then they could have some relief. I would like to know whether it is being declared Endemic or not?

Shri F. A. Ahmed: I have listened to the suggestion of the honourable Minister with rapt attention. But I would like to say that there is misunderstanding about it. So far as declaring it an Endemic is concerned. If we do so, we do not have so much resources as to take steps to control it in the country. The Central Government gives liberal help to the States to check the Epidemic and it is sufficient to take appropriate action. I hope the honourable Member would look towards these things and see that whatever work is being done to check the Endemic or the Epidemic and the help which we are giving to Bihar or other States is sufficient. I do not think that the problem would be solved by declaration of it as Endemic.

Shri Bibhuti Mishra: I would like to know whether the Central Government is prepared to take up this job or not; if the Centre does take over this work we would be crushed to death.

Shri F. A. Ahmed: It is right that some of the work would have to be handled by the State Government, but our technical officers are present there. They are all looking into this and whatever help is required, we would certainly extend it. But whatever financial help is required to be given to a State for meeting the natural calamity, we are prepared to give it to Bihar also. Whatever technical assistance would be required, would also be extended to Bihar.

Shri Ishwar Chaudhary: The honourable Minister has stated that the Central Government is not in a position to bear the financial burden. It is very hopeless thing. Whether it be sugarcane or food-grain, if we do not control the disease just now, our economy would crumble and there would be further shortage of foodgrains. It is not in the Public interest. It is not the question of Tirput alone, but of the entire Bihar. This disease has come to Punjab and Haryana also. I would like to know as to what effective steps have been taken to protect whole of Bihar from Pyrilla?

Shri F. A. Ahmed: As I have already stated that we were informed about it in the month of March. The State Government and the Central Government took the necessary action since then. Because of the rains, a parasite has been built up and we are looking as to what extent it can control the Pyrilla. After the rainy season, we would take necessary action to control the Pyrilla.

Shri Jagannath Mishra: The sugarcane producers, especially of the Tirput Division, have to face many difficulties. There are very few sugar factories and most of them are sick. The sugar factories are not working to their full-capacity. The price fixation formula is defective and whatever price has been fixed is not paid to the former in time. Now they have to face this dangerous disease. I would like to know as to what are the reasons for this disease and what steps have been taken

by the Government so far and what further steps are proposed to be taken by them?

Shri F. A. Ahmed: I have already replied to that question.

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari: I would like to know whether it has been brought to the notice of the honourable Minister that Pyrilla is also spreading in U.P.

Mr. Speaker: This question relates to Bihar.

Shri Sukhdeo Prasad Verma: I would like to know whether there is any preventive measure to have a check over Pyrilla spreading among other vegetation, if so, whether that preventive measure was taken before spreading of Pyrilla. This disease is destroying sugarcane in whole of Bihar on a large scale. I would like to know whether the Department had taken action in this connection to check the disease?

Shri F. A. Ahmed: It is mis-understanding that action was not taken from the beginning. When appearance of Pyrilla was felt, prompt action was taken to control it.

Shri Sukhdeo Prasad Verma: The honourable Minister has stated that action was taken after the appearance of the disease. I want to know whether there is any preventive measure to check the disease before it appears and if so, whether that action was taken or not?

Shri F. A. Ahmed: Our Science Department is thinking as to how production could increase without any disease. This work is going on.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गन्ना, चीनी, खंडसारी और गुड़ का उत्पादन

*446. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान गन्ना, सफेद चीनी, खंडसारी और गुड़ का क्रमश: कुल उत्पादन कितना हुआ है,

(ख) प्रति वर्ष इनके उत्पादन में भारी मात्रा में घट-बढ़ को रोकने और प्रति वर्ष इनका समान उत्पादन स्थिर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(ग) गत तीन वर्षों में सफेद चीनी पर कितना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगा है, और

(घ) गत प्रत्येक तीन वर्षों में उत्पादकों को वास्तव में गन्ने का कितना औसत मूल्य दिया गया है तथा गत प्रत्येक तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा प्रत्येक अन्य राज्यों म प्रति क्विटल गन्ने पर उपकर तथा सहकारी समितियों का कमीशन कितना रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष गन्ने, सफेद चीनी (क्रिस्टल), खंडसारी और गुड़ का कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मद	1969-70	1970-71	1971-72
गन्ना	13783.3	12978.7	11730.3
चीनी	4262	3740	3113
गुड़ तथा खंडसारी	7401	7437	7110 (अनुमानित)

(ख) गन्ने की पैदावार में घटबढ़, अन्य बातों के साथ-साथ कई एक इन कारणों से हुई है अर्थात् जलवायु तथा मौसम की स्थिति, सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं, आदानों की उपलब्धता, वकल्पिक कृषि जन्य जिन्सों के मूल्य, चीनी/खंडसारी/गुड़ उद्योगों द्वारा पिछले मौसम के दौरान वास्तव में दिया गया गन्ने का मूल्य, और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य। इसी प्रकार, चीनी/गुड़/खंडसारी का उत्पादन गन्ने की उपलब्धता के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। गन्ने के कम उत्पादन के समय, गुड़ तथा खंडसारी से प्रतिस्पर्धा के कारण चीनी का उत्पादन भी उसी अनुपात में अधिक कम होता है।

आंशिक नियन्त्रण की नीति, साथ में गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और पूर्ण आनुपातिक आधार पर अधिक मूल्य देने जैसे पग उत्पादन/सप्लाई को स्थिर करने के लिए उठाए गए हैं। गन्ने और चीनी की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए चीनी का बफर स्टाक तैयार करने का भी विचार है। गन्ने का क्षेत्र स्थिर करने और गन्ने की पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से राज्यों ने गन्ने के विकास की योजनाएं शुरू की हैं। उनकी योजनाओं के मुख्य लक्ष्य ये हैं—गन्ने के क्षेत्र को सुगठित करना, गन्ने के स्वस्थ बीज/उर्वरकों आदि की पर्याप्त सप्लाई, चीनी फैक्ट्री क्षेत्रों के इर्दगिर्द सिंचाई क्षमता/सड़क निर्माण विषयक कार्य को बढ़ाना, परिपक्कवता के आधार पर कटाई, फसल प्रतियोगिता, विकास कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण, गन्ने की खेती आदि के लिए पैकेज पद्धतियां अपनाना। पांचवी योजना में कारखाना क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए केन्द्र द्वारा समर्थित एक योजना शुरू करने का विचार है। इसके अलावा, चीनी उद्योग जांच आयोग द्वारा चीनी कारखानों को गन्ने की सप्लाई को स्थिर करने के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। आयोग की अन्तिम तथा विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें गन्ने के उत्पादन को स्थिर करने के अन्य पहलुओं को दिया गया है, की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सफेद चीनी पर लगा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नीचे दिया गया है:—

प्रतिशतत।

वर्ष	मूल	अतिरिक्त	जोड़	शुल्क की किस्म
1. 1969-70 (1-3-69 से 28-2-70)	19	4	23	* मूल्य अनुसार

वर्ष	मूल	अतिरिक्त	जोड़	शुल्क की किस्म
2. 1970-71 (1-3-70 से 24-5-71)	लेवी चीनी 20	5.00	25.00	*मूल्य अनुसार
	खुली चीनी 30	7.50	37.50	,,
3. 25-5-71 से 30-11-72	24	6.00	30.00	,,
4. 1-12-72 से	लेवी चीनी 20	6.00	26.00	,,
	खुली चीनी 24	6.00	30.00	,,

*(1) सरकार द्वारा समय समय पर लेवी चीनी के अधिसूचित मूल्यों पर।

(2) प्रत्येक मास निर्धारित टैरिफ मूल्य पर मुक्त विक्री की चीनी पर।

(घ) एक विवरण (परिशिष्ट 1) जिसमें विभिन्न राज्यों में फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का दिया न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दिया गया है, साथ में दो और विवरण (परिशिष्ट 2 और 3) जिनमें राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर गन्ना उपकर/क्रयकर और सहकारी सोसायटीज़ कमीशन की राशि दी गई संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 5503/73]। यह सूचना पहले तीन वर्षों और चालू मौसम अर्थात् 1972-73 के बारे में है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड की प्रगति में अव्यवस्था

*448. **श्री वरके जार्ज :**

श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित उपकरणों के पहुंचने में विलम्ब होने और उनके अक्सर खराब हो जाने के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान शिपयार्ड की प्रगति अव्यवस्थित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) आयातित उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब के कुछ मामलों का पता चला है। शिपयार्ड में भारत में निर्माताओं के प्रतिनिधियों से मामला उठाया और निर्माताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित किया। कुछ मामलों में निर्माताओं ने शीघ्र आपूर्ति पर विचार विमर्श करने के लिए शिपयार्ड का दौरा किया। प्रगति की सांविधिक समीक्षा करने हेतु नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की भी स्थापना की गई है।

जुलाई 1973 के दौरान अन्तर्मंत्रालयीय समिति में चर्चित गेहूं वसूली और स्टाक को उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति

*449. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 25 जून, 1973 को नई दिल्ली में हुई अन्तर्मंत्रालीय समिति की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में गेहूं वसूली के कार्यों और स्टाक को उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचाने की प्रगति के बारे में पुनर्विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पुनर्विचार के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गेहूं का थोक व्यापार लेने के बारे में अन्तर-विभागीय स्वरूप की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालय सैल स्थापित किया गया था जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध किया गया था। सैल की बराबर बैठकें होती रहीं। 25 जून, 1973 की बैठक कृषि मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं की अधिप्राप्ति की प्रगति की समीक्षा की गई थी। तथापि, उत्पादक केन्द्रों से खपत केन्द्रों को स्टाक भेजने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अधिप्राप्ति की समीक्षा की मुख्य बात यह थी कि 15 जून, 1973 के बाद अधिप्राप्ति में भारी गिरावट आयी थी। बैठक में दिए गए मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य और खुले बाज़ार मूल्य में भारी अन्तर ;
2. कुछ राज्य सरकारों के अनुसार, गेहूं का वास्तविक उत्पादन पूर्वानुमानित उत्पादन सेकम हुआ;
3. खाद्यान्नों की कमी की सामान्य आशंका।

2. बैठक में इस बात पर आम राय थी कि यदि गेहूं का थोक व्यापार न लिया गया होता तो देश के कुछ भागों में सूखा की स्थिति को देखते हुए वर्ष अधिप्राप्ति बहुत ही कम होती।

रासायनिक उर्वरकों के आयात में वृद्धि

*450. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये रासायनिक उर्वरकों के आयात में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कुल कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का आयात किया जायेगा तथा उनका आयात किन देशों से किया जायेगा; और

(ग) इस वर्ष तथा आगामी वर्ष कुल कितने मूल्य के उर्वरक का आयात किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रति वर्ष के अनुमानित देशीय उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये उर्वरक के आयात की अनुमति दी जाती है। फिर भी वास्तविक आयात उपलब्धि और उचित मूल्यों पर निर्भर है। चालू वर्ष के लिये उपर्युक्त आधार पर तैयार की गई आयात की जरूरतों के मुकाबले में उचित मूल्यों पर प्राप्त होने वाली अधिकतम मात्रा की खरीद की जाती है।

(ख) चालू वर्ष के लिये उर्वरकों का आयात जारी है। अब तक 8.10 लाख मीटरी टन एन, 3.30 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ और 4.02 लाख मीटरी टन के. ओ. के आयात का करार हुआ है। अभी खरीदारी पूरी नहीं हुई है, अतः इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि चालू वर्ष में कुल कितनी मात्रा आयात की जाएगी। अब तक उर्वरकों का आयात अमरीका, कनाडा, जापान, पश्चिम जर्मनी,

हालैण्ड, फ्रांस, बैल्जियम, इटली, नार्वे, क्वैत, सयूदी अराविया, दक्षिण कोरिया, रूस, रुमानिया, पूर्वी जर्मनी, बुलगारिया और पोलैण्ड से हो रहा है।

(ग) इस समय हो रही आयात संबंधी बात चीत के पूरा होने पर ही पता चलेगा कि चालू वर्ष में कितनी मूल्य का आयात होगा। अब तक लगभग 2660 लाख डालर के मूल्य के आयात के विषय में करार हुए हैं।

आगामी वर्ष के लिये आयात किए जाने वाले उर्वरकों के बारे में विभिन्न देशों के, सप्लायरों के साथ बातचीत चल रही है, अतः इस समय सम्भावित आयातों के मूल्य के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

बेपोर पत्तन के लिए ड्रेजर

*452. **श्री एम० एम० जोजफ**:
श्री मोहम्मद शरीफ:

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बेपोर पत्तन के तलकर्षण के लिए एक ड्रेजर सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) एम० ओ० टी० निकर्षकों में से एक निकर्षक को अक्तूबर, 1973 से बेपोर में लगाया जा रहा है।

कीटनाशी औषधियों की कमी

*453. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशक औषधियों की अत्यधिक कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में चोरबाजारी और इनके ऊंचे मुल्य पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश में वाणिज्यिक मात्रा में प्रयोग में लाई जाने वाली अधिकांश कीटनाशी दवाइयों में से बी० एच० सी०, डी० डी० टी० और एंड्रिन जैसी कुछ चुनी हुई कीटनाशी दवाइयों की ही कमी महसूस की जा रही है। विभिन्न राज्यों में बी० एच० सी० का निर्माण करने वाले कारखानों के लिये बिजली की कटौती और आंशिक रूप से क्लोराइन जैसे कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना बी० सी० एच० की कमी के मुख्य कारण है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मलन कार्यक्रम के लिये काफी बड़ी मात्रा में बी० एच० सी० की खरीद के फलस्वरू यह स्थिति कुछ और खराब हो गई थी। भारत सरकार बेन्जीन और क्लौराइड जैसे कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करके बी० एच० सी० की उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिये उपाय करती रही है।

चूंकि अब बिजली में कटौती नहीं की जाती है, अतः बी० एच० सी० के निर्माण में तेजी आयेगी। डी० डी० टी० के निर्माण के बारे में वर्तमान स्थिति संतोषजनक है और तेजी से तथा अधिकाधिक आयात द्वारा एन्ड्रिन की कमी पूरी की जा रही है।

कीटनाशी दवाइयों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। इनका मूल्य कीट महामारी, इसकी जगह अन्य दवाइयों की उपलब्धि, आदि बातों पर निर्भर करता है। सरकार पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करके इनके मूल्यों को समुचित स्तर पर बनाये रखने का प्रयास करती रही है। यह सप्लाई देश के अन्दर बनाई जाने वाली कीटनाशी दवाइयों के मामले में उत्पादन बढ़ाने और उन कीटनाशियों का अतिरिक्त आयात करने से प्राप्त होनी है जिसके निर्माण के लिये देश में कोई कार्यक्रम मौजूद नहीं है। उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि श्रम की लागत, आधानों के मूल्य, परिवहन आदि भी बढ़े हैं।

देश में भूमि हड़पने के मामलों की जांच

*455. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भूमि हड़पने के मामलों पर हरचन्द समिति के प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश पर्यन्त भूमि हड़पने के मामलों की जांच कराने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों और संघ राज्यों से यह सूचना देने के लिये अनुरोध किया है कि क्या सरकारी भूमि के निपटाने में कोई अनियमितताएं हुई हैं।

सलवोनी डेरी तथा फौडर फार्म मिदनापुर

*456. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में सलवोनी डेरी तथा फौडर फार्म योजना "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत है ;

(ख) यदि हां तो योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकारी तन्त्र विशिष्टतया किस स्थान पर रखा गया है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी चौथी योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत सलबोनी चारा फार्म की स्थापना की है।

(ख) यह फार्म राज्य के पशुपालन विभाग के एक सस्य विज्ञानी (राज्य सरकार के श्रेणी तक के अधिकारी) के चार्ज में चल रहा है, जिसका मुख्यालय मिदनापुर में है।

(ग) गत वर्ष 500 एकड़ क्षेत्र में की गई खेती की तुलना में, चालू वर्ष में 950 एकड़ भूमि में खेती की गई है। भूमि संरक्षण साधनों के माध्यम से भूमि की उर्वरता में सुधार किया जा रहा

है। प्रति घंटा 1500 गैलन के लगभग पानी देने वाला एक नलकूप लगाया गया है । इस क्षेत्र में और अधिक नलकूप लगाने से पूर्व पानी उपलब्धता निश्चित करने के लिए और अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई करने के वायदे को पूरा करने में केन्द्र की कथित असफलता

*458. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कहा है कि बृहत्तर कलकत्ता के कानूनी राशन वाले क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम चावल प्रति सप्ताह के राशन में कटौती करके 750 ग्राम करना इसलिए आवश्यक हो गया कि केन्द्रीय सरकार उस राज्य को चावल भेजने के अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस विचार से सहमत है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि केन्द्रीय सरकार तुरंत चावल सप्लाई नहीं करती है, तो राशन प्रणाली ही समाप्त हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य सरकार के अनुसार पश्चिमी बंगाल के सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में चावल की मात्रा इसलिए कम कर दी गयी थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा चावल की अधिप्राप्ति में कमी हुई थी और केन्द्रीय पूल से चावल के आवंटन में भी कटौती हुई थी । सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों समेत पश्चिमी बंगाल की चावल की आवश्यकताएं केन्द्र द्वारा आवंटित स्टाक और राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्त स्टाक से पूरी की जाती है।

केन्द्रीय पूल से पश्चिमी बंगाल सरकार की उपयुक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे लेकिन केन्द्रीय पूल में चावल की समूची उपलब्धता और कमी तथा सूखे से प्रभावित अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

लैटिन अमरीकी देशों से सांस्कृतिक मंडलों की भारत यात्रा

*459. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में लैटिन अमरीकी देशों से कितने सांस्कृतिक मण्डलों ने भारत की यात्रा की; और

(ख) जिन देशों से वे आये थे, उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1970 से लैटिन अमरीका के किसी भी देश से कोई भी अभिनय नृत्य-दल भारत नहीं आया है । तथापि 1970 से निम्नलिखित अतिथि तथा प्रदर्शनियां भारत में आई थीं :—

अर्जेन्टानिया (1970)	1. डा० एबेलारडो एरियास (लेखक)
	2. मैडम मेरिया टेरेसा वाई० एफ० डेकोरा (राष्ट्रीय प्राच्य कला संग्रहालय की निदेशिका अपने पति के साथ)
चिली (1970)	1. सेनेरा एम० बी० एलबाराज (महापौर)
ब्राजील (1971)	1. बाल कला प्रदर्शनी
चिली (1972)	1. प्रो० होरासियो सेरानो (लेखक) ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में पारस्परिक सौहार्द्र उत्पन्न करने के लिये सांस्कृतिक और रहन-सहन संबंधी अनुभव तथा प्रयोग

*460. **श्री पी० जी० भाव** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राज्यों में पारस्परिक सौहार्द्र उत्पन्न करने के लिए संघ के सभी राज्यों के लोगों में सांस्कृतिक और रहन-महन संबंधी अनुभव और प्रयोग का कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार ने, देश के सभी राज्यों के लोगों के बीच अन्तर्राज्यीय सद्भावना के प्रसार के लिए कुछ योजनाएं पहले से ही प्रारंभ कर रखी हैं, ये हैं:—

(i) स्कूली बच्चों में राष्ट्रीय एकता के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की योजना।

(ii) युवा क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना।

(iii) राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों में भाग लेने हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने की योजना।

उपर्युक्त के अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सांस्कृतिक दलों के अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान की योजना को भी फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है।

2. इन योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार है:—

(i) स्कूली बच्चों में राष्ट्रीय एकता के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की योजना

इस योजना के अधीन एक कार्यक्रम अन्तर्राज्यीय छात्र अध्यापक शिविरों का आयोजन है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य देश के एक भाग के विद्यार्थियों के दलों द्वारा देश के दूसरे भाग के दौरों के विनिमय के अवसर प्रदान करना है ताकि व अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कड़ियों को जान सकें, अपने सामान्य संबंधों और विविधता में एकता के महत्व का और पता लगा सकें। व शिविर रा०शि०अ०प्र० परिषद् द्वारा/उनके पर्यवेक्षण में आयोजित किये जाते हैं। केन्द्र सरकार स्वीकृत मदों का शतप्रतिशत खर्च वहन करती है। रा०शि०अ०प्र० परिषद् की सिफारिशों के आधार पर स्वैच्छिक संस्थाओं को भी ऐसे शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रम है : "हमारा भारत परियोजना" जिसके अन्तर्गत 100 चुने हुए स्कूलों को स्कूलों से सूचना एकत्र करने और निकटवर्ती स्कूलों में "हमारा भारत प्रदर्शनी" के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है ।

(ii) युवा क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना

ऐसी अखिल भारतीय प्रकृति की गतिविधियों के लिए सहायता दी जाती है जो राष्ट्रीय एकता के प्रसार के लिए क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करें। ऐसी परियोजनाओं के लिए अनावर्ती खर्च का अधिकतम 80 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम राशि 80,000 रु० होगी और इसके अलावा किसी भी संस्था को एक वित्त वर्ष में 20,000 रु० से अधिक का अनुदान नहीं दिया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों में भाग लेने हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने की योजना

राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जैसे सेनिनारों, राष्ट्रीय दिवसों के आयोजन, सांस्कृतिक शो, अन्तर-क्षेत्रीय शिविर, सामग्री का प्रकाशन, नागरिक समितियों आदि के लिए सहायता दी जाती है।

(iv) सांस्कृतिक दलों के अन्तर्राज्यीय विनिमय की योजना

इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक दलों के अन्तर-राज्यीय विनिमय द्वारा भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। इस प्रयोजन के लिए, चुने हुए संगीत नृत्य और नाटक दलों को उनके अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों का दौरा करने के लिए सहायता दी जाएगी। योजना के ब्योरे अभी तैयार किये जाने हैं।

बिड़ला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कमला नगर, दिल्ली के कर्मचारियों का खपाया जाना

4324. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री बिड़ला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कमला नगर, दिल्ली के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल के प्रबन्धकों द्वारा इस बीच स्कूल के सभी कर्मचारियों को सेवा में लगा लिया गया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों को एक मार्च, 1973 से उनका वेतन नहीं दिया गया है क्योंकि स्कूल के प्रबन्धक उनको वेतन देना नहीं चाहते; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है जिससे कर्मचारियों को हानि न हो ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्कूल के प्रबन्धक ने अपने कर्मचारियों को अप्रैल, 1973 तक वेतन का भुगतान कर दिया है। तथापि, 6 अध्यापकों ने भुगतान नहीं लिया है। और आगे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए प्रबन्धकों से अनुरोध किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को अपने मकान बड़े करने के लिये ऋण देना

4325. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकारी कर्मचारियों को अपने वर्तमान मकानों को बड़ा करने के लिए गृह निर्माण ऋण देता है ;

(ख) क्या ब्याज सहित प्रथम ऋण की राशि का पूरा भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् या सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी ऋण से बनाये गये छोटे मकानों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उनको ऋण नहीं दिया जाता ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा इसके लिए पात्रता की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किये जाने के बावजूद भी उसको पूरे सेवा-काल में एक बार ही इस प्रकार का ऋण दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) सरकारी कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम इस दृष्टि से दिया जाता है ताकि वह अपने नाम में मकान प्राप्त कर सके अथवा अपने वर्तमान मकान में रिहायशी वास का विस्तार कर सके। एक बार अग्रिम ले लेने के पश्चात् वह दूसरी बार अग्रिम लेने का पात्र नहीं है क्योंकि उपलब्ध निधियां सीमित हैं तथा इस से अन्य पात्र सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम प्राप्त करने में बाधा पड़ेगी। सरकार का इस वर्तमान नियम को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्लोब मोटर्स, दिल्ली द्वारा डी० डी० ए० के नियमों का उल्लंघन

4326. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोब मोटर्स, दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों के उल्लंघन में साउथ एक्सटेंशन, भाग दो, में अपना कार्यालय बना लिया है ;

(ख) क्या सरकार को धोखा देने की दृष्टि से उक्त कार्यालय के अहाते के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर 'रेस्ट हाउस' लिखा हुआ है ;

(ग) क्या ऐसा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठगांठ से किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों तथा नियमों का उल्लंघन करने के लिए ग्लोब मोटर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और अब तक कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) एक बोर्ड, जिस पर "रेस्ट हाउस" लिखा हुआ है, परिसर के बाहर लगा दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए ग्लोब मोटर्स के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

कृषि मंत्रालय के अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय में रिक्त पड़े प्रथम श्रेणी के पद

4327. **श्री बसंत साठे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विभाग के अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय प्रथम श्रेणी के कितने पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) एक छुट्टी रिजर्व पद को छोड़कर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में श्रेणी 1 के 20 पद रिक्त हैं। ये पद जुलाई, 1969 से 31 जुलाई, 1973 तक विभिन्न तिथियों को रिक्त हुए थे।

(ख) इन पदों की भर्ती निम्नलिखित विभिन्न स्रोतों से होती है :—

(i) संघ लोक सेवा आयोग, (ii) भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा और (iii) प्रति नियुक्ति रिक्त पदों की भर्ती नियमों के अनुसार भरने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं और अंतिम निर्णय लिए जा रहे हैं ।

जहाजों की अनुपलब्धता के कारण मछली के निर्यात में असमर्थता

4328. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मछली निर्यातकर्ता इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को जहाजों की अनुपलब्धता के कारण मछली निर्यात नहीं कर सकत हालांकि इन देशों में मछली उत्पादों की अच्छी मांग है, और

(ख) यदि हां, तो त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) मोटे तौर पर, कोचीन, जो समुद्री पदार्थ के लिए एक मुख्य निर्याती पत्तन है, से यू०के० कांटीनेंट की मछली तथा समुद्री पदार्थ ढोने हेतु

कोई गंभीर समस्या नहीं रही है ? परन्तु कभी-कभी जहाजों की मांग में अचानक वृद्धि अथवा निर्धारित समुद्री यात्राओं में अप्रत्याशित परिवर्तन हो जाने के कारण कठिनाइयां आ जाती हैं।

(ख) और (ग) सभी भारतीय नौवहन कम्पनियां, जो भारत के समुद्रपारीय व्यापार में लगी कान्फ्रेंसों की सदस्य हैं, के पास मछली तथा समुद्री पदार्थों के लिए प्रशोतित माल-स्थान है । कुछ क्षेत्रों में इन सुविधायों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार ने पोत स्वामियों तथा पोत वणिकों के बीच आवश्यक समन्वय को प्रभावी बनाने तथा पोत वणिको को जहाजों में पर्याप्त स्थान दिलाने में सहायता करने हेतु, भाड़ा जांच ब्यूरो के एक क्षेत्रीय कार्यालय की अभी हाल ही में स्थापना की है ।

भारतीय जहाजों में प्रशोतित वस्तुओं के निर्याण की सुविधा

4329. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रशोतित वस्तुओं को भेजने में जहाज आदि की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मत्स्य निर्यात उद्योग को कठिनाई का अनुभव हो रहा है ;

(ख) क्या यह उद्योग मुख्य रूप से विदेशी जहाजों पर निर्भर रहता है क्योंकि भारतीय जहाजों में ऐसी सुविधाएं नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय जहाजों में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) मोटे तौर पर, कोचीन, जो समुद्री पदार्थों के लिए एक मुख्य निर्याती पत्तन है, से यू० के० कांटीनेंट को समुद्री पदार्थ ढोने हेतु कोई गंभीर समस्या नहीं रही है। परन्तु, कभी-कभी जहाजों की मांग में अचानक वृद्धि अथवा निर्धारित समुद्री यात्राओं में अप्रत्याशित परिवर्तन हो जाने के कारण कठिनाइयां आ जाती हैं।

(ख) और (ग) सभी भारतीय नौवहन कम्पनियों, जो भारत के समुद्रपारीय व्यापार में लगी कांफ्रेंसों की सदस्य हैं, के पास समुद्री पदार्थों के लिए प्रशोतित माल-स्थान हैं। कुछ क्षेत्रों में इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार ने पोत स्वामियों तथा पोत वणिकों के बीच आवश्यक समन्वय को प्रभावी बनाने हेतु, भाड़ा जांच ब्यरो के एक क्षेत्रीय कार्यालय की अभी हाल ही में स्थापना की है ।

मत्स्य नौकाओं का आयात

4330. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मछली उद्योग के विकास के लिए मत्स्य नौकाओं के आयात में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसे सिद्धांत बनाये हैं जिनके अन्तर्गत आयातित मत्स्य नौकाओं का वितरण किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) 30 गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के जलयानों को आयात की योजना के अंतर्गत (जो वर्ष 1968-69 में प्रारंभ की गई थीं) 12 पार्टियों को विभिन्न समय पर आयात लाइसेन्स दिए गये थे। इनमें से पांच पार्टियां दो-दो जलयान प्राप्त कर चुकी हैं। दो पार्टियों ने जलयानों के आयात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि अन्य पार्टियां जलयानों के आयात की व्यवस्था करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले रही हैं।

सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कुछ जलयान आयात करने के लिए हाल ही में एक और योजना की घोषणा दी है। अभ्यावेदनों के प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 1973 थी। इस योजना के अंतर्गत 50 जलयानों को आयात करने की अनुमति देने का विचार है।

(ख) तथा (ग) 50 जलयानों के आयात की योजना के सम्बन्ध में (जिसके लिए अभी आवंटन नहीं किया गया है) अभ्यावेदनों की जांच करने के लिए कुछ मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि मछली पकड़ने के प्रयासों को यथासंभव व्यापक और बहुविध बनाने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं व्यावहारिक सीमा तक सहकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास की गुंजाइश पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

पालामऊ, बिहार में भूख से मौतें

4331. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पालामऊ जिले में भूख से हुई मौतों तथा इस क्षेत्र में खाद्यान्न के अभाव के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भुखमरी से कोई भी मौत नहीं हुई है। बिहार सरकार को खाद्यान्नों की उचित मात्राएं सुलभ की गई हैं।

1973—75 में बिहार में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं

4332. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम 1973—75 के दौरान बिहार में सामान्य रूप से तथा छोटा नागपुर में विशेषकर अपनी शाखाओं की संख्या में वृद्धि करेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) फिलहाल, ऐसा कोई भी प्रस्ताव खाद्य निगम के विचाराधीन नहीं है। इसकी शाखाएं खोलने का प्रश्न केवल काम का भार बढ़ जाने पर ही पैदा होगा।

दिल्ली की यमुना-पार कालोनियों में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ

4333. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना-पार क्षेत्र, दिल्ली-51 में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री के लिए कुल कितने बूथ हैं;

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार इन बूथों की संख्या बहुत कम है।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में और अधिक दुग्ध बूथ खोलेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यमुना-पार क्षेत्र में दस बूथ हैं। ये सभी सुबह कार्य करते हैं और पांच शाम को खुले रहते हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना किसी क्षेत्र की कुल आबादी के आधार पर दुग्ध बूथ नहीं खोलती, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले दुग्ध टोकन धारियों की वास्तविक मांग के आधार पर खोलती है।

(ग) तथा (घ) अगले कुछ महीनों में यमुना-पार के क्षेत्र में कम से कम छः अतिरिक्त दुग्ध बूथ निर्माण करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

दादरा और नागर हवेली के वरिष्ठ पंचायतों के सुझाव की क्रियान्वति

4335. **श्री रामू भाई पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दादरा और नागर हवेली के वरिष्ठ पंचायत द्वारा दिए गए सुझावों को प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिए गए सुझावों और वरिष्ठ पंचायत द्वारा किये गये निर्णय को स्वीकार करने के लिए दादरा और नागर हवेली के प्रशासन को निदेश देने का है क्योंकि वरिष्ठ पंचायत संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचित संस्था है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 की धारा 4 की उप-धारा (1) और (2) में निर्धारित वरिष्ठ पंचायत के सांविधिक कर्तव्य निम्न हैं :

'4(1) जब तक कानून द्वारा अन्य व्यवस्था न की जाए, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से वरिष्ठ पंचायत को निम्न के बारे में चर्चा तथा प्रशासक को सिफारिशें करने का अधिकार होगा :

(क) सामान्य नीति और विकास योजनाओं से संबंधित प्रशासनिक मामले ;

(ख) प्रशासक द्वारा इसे भेजा गया अन्य कोई मामला ।

(2) इस धारा में उल्लिखित वरिष्ठ पंचायतों के कर्तव्य केवल परामर्शदायी होंगे, किन्तु प्रशासक द्वारा उस मामले में निर्णय लेने के लिए ऐसी सलाह की ओर यथोचित ध्यान दिया जायेगा जिसके बारे में सलाह दी जाये।"

वरिष्ठ पंचायत की भूमिका के प्रश्न पर दिनांक 22-12-1972 को हुई दादरा और नागर हवेली के लिए गृहमंत्री की परामर्शदायी समिति की पहली बैठक में विचार किया गया था। परामर्श दायी समिति का विचार था कि वरिष्ठ पंचायत सड़कों के सुधार, बिजली, उद्योगों आदि के संबंध में सुझाव दे सकती है और वरिष्ठ पंचायत द्वारा दिये गये परामर्श पर प्रशासन द्वारा यथोचित विचार किया जायेगा। प्रशासन ने वरिष्ठ पंचायत से योजनाएं तथा स्कीमें बनाने और सड़क निर्माण कार्यों, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं, जिनके बारे में इस योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ किया जाना है, के चयन के सम्बन्ध में परामर्श लेने का निर्णय किया है।

दादरा और नागर हवेली में वरिष्ठ पंचायत को परामर्शदात्री अधिकार देना

4336. **श्री रामू भाई पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में दादरा और नागर हवेली में वरिष्ठ पंचायत को पंचायती राज पर आधारित कोई परामर्शदात्री अधिकार नहीं दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार जनता के कल्याण के लिए दादरा और नागर हवेली के वरिष्ठ पंचायत को परामर्शदात्री अधिकार देने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) दादरा तथा नागर हवेली अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार वरिष्ठ पंचायत के कर्तव्य केवल परामर्शदात्री होने हैं, किन्तु प्रशासक द्वारा उन मामलों में निर्णय लेने के लिए ऐसे परामर्श की ओर यथोचित ध्यान दिया जायेगा जिनके बारे में परामर्श दिया जाये। तथापि, बाद में दादरा तथा नागर हवेली के लिए गृह मंत्री की परामर्शदायी समिति में 22-12-1972 को हुई चर्चा के परिणामस्वरूप यह सुझाव दिया गया था कि सड़कों के सुधार, बिजली, उद्योगों से संबंधित मामलों में वरिष्ठ पंचायत द्वारा दिये परामर्श पर प्रशासन द्वारा यथोचित विचार किया जाना चाहिए। प्रशासन ने इस संस्था को योजनायें तथा स्कीमें बनाने और सड़क निर्माण कार्यों, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं आदि के चयन में व्यवहार्यतः परामर्शदायी निकाय मानने का निर्णय किया है। दादरा तथा नागर हवेली का क्षेत्र तथा आबादी महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे राज्यों के एक तालुक के बराबर है। प्रशासन का विचार है कि शक्तियों के इस तरह के विकेन्द्रीकरण से प्रशासन और बोझिल हो जायेगा।

Issue of concessional passes for students going for study to Sonepat and Ghaziabad

4337. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the students studying in the educational institutions of Delhi are issued all-route monthly passes at concessional rates by the Delhi Transport Corporation;

(b) whether thousands of students going daily outside Delhi to Sonepat and Ghaziabad for study in the educational institutions are also issued all-route passes by Delhi Transport Corporation; and

(c) if not, the reasons for this discrimination being meted out to them and the action taken by Government to provide them facilities in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (c) According to the relevant Regulations of the Delhi Transport Corporation, the facility of student concessional passes is admissible only to **bona-fide** students of educational institutions in Delhi which have been recognised by the Directorate of Education, Delhi, or Vice-Chancellor, Delhi University. The students residing in Delhi and studying in colleges in the neighbouring States are not eligible for this facility. However, the Corporation keeps the position under constant review.

Misappropriation of funds in Sadwa Chandikan Block, Pratapgarh, Uttar Pradesh

4338. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the officers of Sadwa Chandikan Block of Pratapgarh District of Uttar Pradesh have misappropriated large sums of Government money;

(b) whether a large sum of money was withdrawn from the Co-operative Bank and the same was not distributed but the officials of the Cooperative Society appropriated the money for themselves; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्राम उखलरसी, मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) स्थित सहकारी समिति के सुपरवाइजर का स्थानान्तरण

4339. **श्री हरी सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड विकास अधिकारी, मुरादनगर, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत सहकारी समिति ग्राम उखलरसी में सुपरवाइजरों को जनता से शिकायतें होने पर भी गत 10 वर्षों अथवा इस से अधिक समय से उपरोक्त स्थान से स्थानान्तरित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त सुपरवाइजरों के स्थानान्तरण के आदेश को तीन अथवा इससे अधिक बार जारी किया गया था तथा उनको क्रियान्वित नहीं किया गया था और बाद में उन्हें सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समिति) मेरठ (उत्तर प्रदेश) के स्तर पर रद्द करा दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई समान नीति है; और यदि हां, तो ऐसे स्थानान्तरण कितनी अवधि के बाद किए जाते हैं; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश को इस संबंध में लिखित शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Civil Amenities in Jaidev Park, Delhi-35

4340. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether civic amenities, particularly sewerages, parks, roads and community centres, have not been provided by the Municipal Corporation to the Jaidev Park, Delhi-35, an authorised colony, because of non-payment of compensation amount by the coloniser;

(b) if so, the action taken by Government to remove the inconvenience being faced by the residents of the said colony; and

(c) the time by which these amenities would be provided by the Government to these residents?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Yes. The coloniser of this colony is not prepared to deposit the cost of deficiencies in respect of the various services.

(b) The legal opinion is being sought by the Municipal Corporation of Delhi to take appropriate action against the coloniser/house owners of this colony as per the provisions of the D.M.C. Act, 1957.

(c) The services will be taken over and maintained by the Municipal Corporation of Delhi when the deficiencies in the services are made up by the coloniser.

जयदेव पार्क दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक मिडिल स्कूल का खोला जाना

4341. **श्री हरी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयदेव पार्क, दिल्ली-35 में एक उच्चतर माध्यमिक/मिडिल स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, और

(ख) उक्त कालोनी में स्कूल की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री **(श्री डी० पी० यादव) :** (क) जी, नहीं । प्रस्ताव, दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से, उक्त क्षेत्र में एक स्कूल के लिए भूमि आवंटित करने की प्रार्थना की गई है । भूमि के आवंटित और क्षेत्र में स्कूल की आवश्यकता का मूल्यांकन हो जाने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ की मांग

4342. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली द्वारा ज्ञापन देने के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6455 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन मांगों पर विचार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन अभी तक इन मांगों की जांच कर रहा है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति, मुबारकपुर, दिल्ली के प्रबंधक समिति का चुनाव

4343. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति, मुबारकपुर, दिल्ली के प्रबंधक समिति का पुनर्गठन करने के लिये हाल ही में चुनाव हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रबन्धक समिति के नये सदस्यों के नाम क्या हैं तथा पुराने सदस्य भिन्न भिन्न पदों पर कब से हैं और उनके क्या नाम हैं, और

(ग) क्या सहकारी समिति, दिल्ली के रजिस्ट्रार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि प्रबंधक समिति में निहित स्वार्थों वाले व्यक्ति घुस आए हैं और वे ऐसे लोगों का हित साधन कर रहे हैं जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है कि निर्धन शेयरधारियों, जिनके दिल्ली में अपना कोई रिहाशयी मकान नहीं है, के हितों की रक्षा की जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा सोसायटी के उपलब्ध अभिलेखों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्रशासन से प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

परामर्शदात्री संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से भेदभाव के तथाकथित मामले

4344. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में परामर्शदात्री संवर्ग में स्थायीकरण, वरिष्ठता, तथा पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव के कुछ मामले हुए हैं;

(ख) : क्या ऐसे मामलों में आरक्षण कोटा तथा विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी संवधानिक उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है और विशिष्ट मामलों में भूलों को सुधारने के लिए गृह मंत्रालय (अब कार्मिक विभाग) द्वारा पास किए गए आदेशों को भी अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय में ऐसे मामले कितने समय से निलम्बित हैं और भूलों को तुरंत सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) स्थायीकरण, वरीयता तथा पदोन्नति के मामलों में इस मंत्रालय की सलाहकार सेवा के किसी भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अधिकारी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है ।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षित कोटे से संबधित सांविधानिक उपतन्त्रों का पालन किया जा रहा है ।

निर्धारित आवश्यक परामर्श के बाद इस मंत्रालय के एक अनुसूचित अधिकारी की स्थायीकरण की तारीख को पूर्व तिथि से करने से सम्बन्धित मामले को अब कार्यान्वित कर दिया गया ह ।

नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र में दुग्ध बूथों का निर्माण

4345. श्री एम० एस० शिवस्वामी :
श्री वरके जार्ज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली डी० आई० जैड० क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों के निर्माण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है जिनके लिये फरवरी, 1972 में मंजूरी दी गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : डी० आई० जैड० क्षेत्र में मौजूदा बूथों के माध्यम से वितरित होने वाले दूध की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शुरू में उस क्षेत्र में केवल एक बूथ बनाने की योजना बनाई गई थी । तदनुसार स्थानीय निवासियों की एसोसिएशन से अनुरोध किया गया था कि वे बूथ बनाने के लिए किसी उपयुक्त सर्वसम्मत स्थान का सुझाव दें । किन्तु दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार करने और वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करने के बावजूद भी एसोशिएशन बूथ बनाने के लिए किसी सर्वसम्मत स्थान के विषय में सुझाव नहीं दे सकी । चूंकि विभिन्न स्थानीय निवासियों की एसोसिएशनों में कोई समझौता नहीं हो रहा था और कुछ महीनों में दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी की क्षमता बढ़ने के बाद नए टोकन जारी होने के तथ्य की दृष्टि में रखते हुए यह उचित समझा गया कि उस क्षेत्र में दो बूथ खोले जाएं । अतः उस क्षेत्र में दो बूथ बनाने के लिए आर्डर देने का निर्णय किया गया । तदनुसार 22 मई, 1973 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आर्डर दे दिया गया । निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आशा है निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा ।

मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य ,सेवा औषधालय

4346. श्री एम० एस० शिवस्वामी :
श्री वरके जार्ज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती नगर स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय को किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानान्तरित करने और किसी बेहतर भवन में स्थान देने के कार्य में कोई प्रगति हुई है; और,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को मोती नगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय के निर्माण के लिये कोई उपयुक्त प्लाट आवंटन करने के लिये लिखा गया था परन्तु उन्होंने उत्तर में बतलाया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिये मोती नगर या इसके आस पास के क्षेत्रों में उनके पास कोई भी प्लाट खाली नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना विंग) ने मोती नगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिये कोई उपयुक्त मकान किराये पर लेने के लिये फिर से एक विज्ञापन प्रेस में दिया है। इस विज्ञापन के उत्तर में इस निदेशालय में तीन प्रस्ताव हुये थे परन्तु औषधालय के लिये केवल एक ही मकान उपयुक्त पाया गया है। इस मामले को अब उस मकान का किराया निर्धारित करने के लिये सम्पदा निदेशालय को भेजा गया है। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही तब की जायेगी जब किराया निर्धारित हो जायेगा और सम्पदा निदेशालय द्वारा निर्धारित किराया मकान मालिक स्वीकार कर लेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अशोक निकेतन (नारायणा) दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लिये बनाये गये मकानों का दोषपूर्ण निर्माण

4347. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अशोक निकेतन नारायणा में निम्न आय वर्ग के लिये बनाये गये मकान दोषपूर्ण पाए गये हैं क्योंकि मकानों के दूसरी मंजिल पर धूप से बचाव का कोई साधन नहीं है तथा जिसके कारण वर्षा के दिनों में पानी इन मकानों के बरामदों में तथा कमरों में घुस आता है;

(ख) क्या इन फ्लेटों में धूप से बचाव की कोई व्यवस्था करने की कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) सन-शेडों की व्यवस्था के प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था परन्तु संरचनात्मक दृष्टि से इसको व्यवहार्य नहीं पाया गया।

Composition of Agricultural Prices Commission

4348. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of members in the Agricultural Prices Commission; and

(b) the number and names of the members who represent farmers and the name of the places where they have their farms?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Sinde): (a) & (b) The Agricultural Prices Commission consists of a Chairman, a full-time Member and a Member Secretary. The Chairman, who is at present in position, is an Economic with specialisation in the field of agricultural economics. The question of appointing other members is under consideration.

बसंत बिहार, नई दिल्ली में अपमिश्रित खाद्य वस्तुओं की बिक्री

4349. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसन्त बिहार, नई दिल्ली नामक दिल्ली विकास प्राधिकार की कालोनी में अपमिश्रित खाद्य वस्तुएं निर्बाधरूप से बेची जा रही है;

(ख) क्या एक फर्म विशेष पर बिना लाइसेंस व्यापार करने के लिये तेरह बार मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह फर्म पहले ही खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के उल्लंघन के अपराध में अदालत हो आई है ।

Accommodation for Schools and Colleges in Madhya Pradesh

4350. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the number of students in schools and Colleges in Madhya Pradesh is much more than the accommodation available therefor and this tells upon the health of students of the State;

(b) whether the Government are also aware that due to financial difficulties Madhya Pradesh is not in a position to provide sufficient accommodation for Schools and Colleges; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by the Government to help the State for improving the conditions of the student community?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) Government is aware that in almost all States including Madhya Pradesh there is shortage of accommodation for educational institutions at all levels due to enormous expansion of educational facilities. Financial difficulties stand in the way of taking up massive construction programmes almost in all States.

Government of India has been rendering financial assistance to the extent possible through plan assistance made available annually. It is for the State Governments including Government of Madhya Pradesh to decide what priority should be attached to the various sub-sectors in the States Educational development programmes.

Due for reply on Monday, August 27, 1973/Bhadra 5, 1895 (Saka)
Amount spent on Asirgarh Fort in East Nimar District (M.P.)

4351. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the amount spent on Asirgarh Fort in the East Nimar District (M.P.) by the Archaeological Department during 1971 and 1972 respectively; and

(b) whether a part of the Fort is such as might be made use of by Government?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) The amounts spent on Special Repairs are Rs. 14,150/- and Rs. 8,500/- during 1971-72 and 1972-73 respectively.

(b) The Fort is a protected monument of national importance. The only extant monuments are the fortification-wall, the gate-way, a mosque and a temple. The question of putting it to use does not therefore arise.

साउथ/नार्थ एवेन्यु नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लेटों के सर्वेन्ट क्वार्टरों में छत के पंखों की व्यवस्था करना

4352. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साउथ/नार्थ ऐवेन्यु नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लैटों के सर्वेन्ट क्वार्टरों में छत के पंखे नहीं लगाए हैं जबकि छत के पंखों के लिये तीन अथवा चार वर्ष पूर्व आवश्यक तारें लगा दी गई थीं, और यदि हां, तो सर्वेन्ट क्वार्टरों में पंखे न लगाये जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या यदि कोई संसद सदस्य अपने सर्वेन्ट क्वार्टर में लगाने के लिये निजी तौर पर छत का पंखा खरीद लेता है तो साउथ/नार्थ ऐवेन्यु पूछताछ कार्यालय के बिजली के कर्मचारी सर्वेन्ट क्वार्टर में पंखा लगाने से इन्कार कर देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां । सरकारी नीति के अनुसार, साउथ/नार्थ ऐवेन्यु में संसद सदस्यों के फ्लैटों से संलग्न सर्वेन्ट क्वार्टरों में केवल पंखों के प्वाइंट तथा पंखों के कलैम्प लगाये जाते हैं ताकि यदि दखलकार चाहें तो छत के अपने पंखे लगा सकते हैं ।

(ख) सरकारी-मकानों के दखलकारों द्वारा निजी तौर पर खरीदे गये पंखों को लगाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टाफ का नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा तीन टायर सहकारी ऋण पद्धति की बकाया राशि के बारे में अध्ययन

4353. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने देश में तीन टायर सहकारी ऋण पद्धति की विभिन्न स्तरों पर पड़ी बकाया राशि कि स्थिति की जांच करने हेतु एक अध्ययन दल गठित किया था; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने कितनी प्रगति की है और वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल ने अब तक 2 बैठकें की हैं । इसके अनुरोध पर प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के कार्यकरण के बारे में नमूने के आधार पर विशेष क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं और उनके परिणाम दल की अगली बैठक में उसके विचार के लिए तैयार किये जा रहे हैं । उम्मीद है कि दल अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1973 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा ।

Rise in Price of Fertiliser

4354. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the reasons for the rapid increase in the price of tertilisers in the country; and

(b) the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Sinde): (a) & (b) There has been no rapid increase in the prices of imported fertilisers in the country. The retail prices of the three main nitrogenous fertilisers—Urea, Ammonium Sulphate and CAN—both imported and indigenously produced, are statutorily controlled. The statutory prices of these three products were increased only once in the last 4 years—and that was to absorb the additional duty imposed in 1972.

As far as the other imported fertilizers are concerned, the retail prices have been increased only once in the last 4 years to absorb the additional countervailing duty of 5 per cent imposed in 1972.

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत-रूस के बीच आदान-प्रदान

4355. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत-रूस के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्र का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना भारत-रूस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अतिरिक्त है; और

(घ) इससे क्या लाभ होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) विद्यमान भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की रूप रेखा के अंतर्गत, सोवियत रूस के सामाजिक वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं और भारत में सामाजिक, वैज्ञानिक तथा संस्थाओं के बीच, अनुसंधान कार्यक्रमों का सहयोगात्मक विकास करने का प्रस्ताव है । ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

दो देशों की अकादमियों को एक दूसरे के निकट लाने की दृष्टि से, भारत में एक भारत-सोवियत अध्ययन केन्द्र और इसी प्रकार सोवियत रूस में एक सोवियत भारतीय अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में भी निर्णय किया गया है ।

नर्मदा में आई बाढ़ के कारण गुजरात में कपास के पौधों की क्षति

4356. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी में आई बाढ़ के कारण गुजरात में भड़ौच में 500 एकड़ से अधिक भूमि में कपास के पौधे नष्ट हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ों के कारण कपास की पौधों की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क)** तथा **(ख)** राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भड़ौच जिले में 1355 एकड़ क्षेत्र नर्मदा की बाढ़ से जलमग्न हो गया था, जिसके कारण लगभग 1.10 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ग) गुजरात राज्य से राहत के लिये प्रार्थना प्राप्त होने पर क्रियाविधि के अनुसार उसपर विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की पेंशन में वृद्धि

4357. **श्री वी० मायावन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक सहायता प्राप्त स्कूल के प्रशिक्षित सेवा-निवृत्त स्नातक शिक्षक को 45,59 रुपये अथवा 70 रुपये (अधिकतम) पेंशन प्राप्त होती है ;

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का उनके मंहगाई भत्ते अथवा उनकी पेंशन में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) से (ग)** अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Artificial Scarcity of Sugar

4358. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:**

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the shortage of sugar is, in fact, artificial and godowns have lakhs of maunds of sugar;

(b) whether the higher prices of sugar are because of non-supply of the sugar to the market from these godowns; and

(c) if so, whether Government would conduct a checking of such godowns which, though, full of sugar are stated to have no sugar?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) and (b) No, Sir.

(c) The release/despatch of sugar from factory godowns is controlled by orders issued by the Government of India from time to time because of the necessity to extend the availability of sugar produced in a few months of crushing over the whole year. The factories are required under the Sugar (Control) Order 1966 to sell atleast 20 per cent of the monthly releases during each weekly period, and also, subject to the availability of sugar covered by an order permitting such sale, not to refuse to sell sugar. Compliance with these orders is watched with reference to statistical returns received from the factories at prescribed intervals.

Further, recognized dealers are forbidden from keeping stock at any time in excess of certain prescribed quantities. The State Governments are aware of these stipulations and have been requested to keep a vigil against hoarding and blackmarketing.

उत्तर प्रदेश में लघु चीनी मिलें स्थापित करने की अनुमति

4359. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 36 उपक्रमियों ने उत्तर प्रदेश में लघु चीनी मिलें स्थापित करने की अनुमति मांगी है जिसकी लागत प्रति एकड़ 5 लाख रुपये आयेगी तथा प्रत्येक में 175 व्यक्तियों को काम पर लगाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार 5 लाख रुपये की लागत की प्रत्येक लघु चीनी मिलों को लाइसेंस नहीं देती है । उत्तर प्रदेश सरकार से यह पता चला है कि उन्हें लघु चीनी संयंत्र स्थापित करने के लिए तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और उन्होंने उन्हें अपने खंडसारी लाइसेंस आदेश, 1967 के अधीन मंजूर कर लिया था । गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इन संयंत्रों को केवल उन जिलों में स्थापित किए जाने की अनुमति देंगे जहां पर कोई भी चीनी मिलें नहीं हैं ।

25 LSS/73—5

देश में हैक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक

4360. **श्री बनमाली पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री देश में अस्पतालों में हैक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक के बारे में 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रसाधन सामग्री में हैक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस बार में विलम्ब का क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :

(क) जी नहीं।

(ख) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में संशोधन करने का विचार किया गया है जिससे बिक्री और वितरण हेतु हैक्साक्लोरोफीन मिली प्रसाधन सामग्री के आयात तथा निर्माण पर रोक लगाई जा सके। प्रस्तावित संशोधन प्रारूप के विषय में जनता तथा चिकित्सा व्यवसाय के लोगों ने जो राय व्यक्त की है, उस पर औषधि तकनींकी सलाहकार बोर्ड अपनी अगली बैठक में विचार करेगा। इस बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही सरकार अन्तिम निर्णय ले पायगी।

उत्तर प्रदेश में भूमि विकास करों से राजस्व की प्राप्ति

4361. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश में लगाए गये भूमि विकास करों से कुल कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है ; और

(ख) उक्त करों के कारण अब तक कितना धन वसूल किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी :

भारत में नगरों को विशाल महानगरों में परिवर्तित होने से रोकने के लिये कानून बनाना

4362. **श्री मधु लिमये : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि बड़े नगरों में उद्योगों और लोगों के जमाव को रोका जाये क्योंकि इससे गन्दी बस्तियां, अपराध, दूषण, यातायात अवरोध जैसी बातें पनपती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत के नगरों को विशाल महानगरों में परिवर्तित होने से रोकने के लिए कानून बनाने का है ;

(ग) क्या सरकार स्वास्थ्यवर्धक वातावरण को बनाए रखने तथा दूषण को रोकने के लिए बम्बई, मद्रास, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, गोवा आदि जैसे तटवर्ती नगरों के समुद्र के किनारों पर सभी प्रकार के भवनों के निर्माण पर रोक लगाएगी ; और

(घ) यदि (ख) और (ग) का उत्तर 'नहीं' में है तो ऐसा न करने के क्याा कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) बड़े नगरीय केन्द्रों में उद्योगों तथा लोगों के जमाव को रोकने के लिए भारत सरकार नगरों तथा कस्बों का योजना बद्ध तथा संतुलित विकास चाहेगी।

(ख) क्योंकि शहरी विकास का विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है अतः उनसे उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर आयोजना से सम्बन्धित विस्तृत विधेयक बनाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) नगर आयोजना सम्बन्धी कानून के अधीन विभिन्न शहरी केन्द्रों के लिये बृहत्त योजनाओं का बनाया जाना अपेक्षित है। नगर आयोजना सम्बन्धी कानून तथा बृहत्त योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य भूमि के अव्यवस्थित विकास को रोकना तथा भवन निर्माण को नियन्त्रित करना और पर्यावरण की स्वास्थ्य-कर परिस्थितियों को सुरक्षित रखना है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Quota of wheat given to Bakeries in Delhi

4363. **Shri R. V. Bade:**

Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether the quota of wheat given to the bakeries in Delhi has been reduced by fifty per cent;

(b) whether the persons running small bakeries have been put to loss as a result thereof; and

(c) the action taken to supply full quantity to bakeries in Delhi?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) No quota of wheat is being given to bakeries and as such the question of cut on wheat being imposed on bakeries does not arise. However, a cut of 50 per cent has been imposed on the maida quota of all consumer permit holders by the Delhi Administration. Restriction on the production of maida has to be continued till such time there is improvement in the supply position of wheat in the country.

मध्य प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों और छोटे किसानों को कुएं, पम्प लगाने के लिये ऋण देने की स्वीकृति

4364. **श्री धनशाह प्रधान :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में हरिजन और आदिवासी छोटे किसानों को नए कुएं, पम्प लगाने के लिये वर्ष 1973-74 के दौरान कितने ऋण की स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) खंड-वार इसमें कितनी प्रगति हुई है। ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग में 1973-74 के दौरान विभिन्न ज़िलों को कुओं और पम्पों के लिए 50 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में देने के लिए निर्धारित की है। चूंकि ऋण की मंजूरी राज्य द्वारा ज़िलेवार आधार पर दी जाती है, इसलिए इस प्रश्न में हरिजनों और आदिवासियों को मंजूर किये गए ऋणों और कुओं के खण्ड-वार विकास के सम्बन्ध में पूछी गई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा समुद्र तट में मत्स्य उद्योग का आधुनिकीकरण

4365. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों के साथ मिल कर उड़ीसा समुद्र तट में मत्स्य उद्योग को आधुनिक रूप दे रही है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) उड़ीसा तट पर मत्स्य उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये अन्य देशों के साथ सहयोग सम्बन्धी करार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथापि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्कीमों और राज्य की योजना के अन्तर्गत स्कीमों में भी राज्य में यन्त्रीकृत मात्स्यकी के विकास के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मत्स्य बन्दरगाहों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव हैं। राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 66 यन्त्र-चालित नौकाए चालू की जा रही है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में भी मछली पकड़ने की नौकाओं को यन्त्र-चालित करने के कार्यक्रम जारी करने का प्रस्ताव है। जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में एक योजना अधिसूचित की है जिसके अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 50 जलयानों के आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ इतनी ही संख्या में देशी जलयानों के निर्माण का भी प्रस्ताव है। आशा है कि समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में पोलेण्ड सरकार से सहयोग के सम्बन्ध में जो सामान्य करार किया गया है, उसके अन्तर्गत न केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयान बल्कि भारतीय जहाज निर्माण यार्डों में इसी प्रकार के जलयानों का निर्माण करने के लिये विस्तृत डिज़ाइन और नकशे प्राप्त करना भी सम्भव हो सकेगा। अन्य देशों से भी जलयानों के आयात और डिज़ाइन प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिये करार किए जा सकते है। इस सिलसिले में देश में आयातित और देशी जलयानों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम हाथ में लेने के लिये तैयार पार्टियों से खुले विज्ञापन के जरिये आवेदन मांगे गए थे।

उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम और कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना

4366. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई है;

(ख) क्या उस राज्य के प्रत्येक ज़िले में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों का आयात

4367. श्री पी० गंगादेव :

श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों का आयात बोरों की बजाय खुले रूप में करने जा रही है ; यदि हां, तो क्यों; और

(ख) वर्ष 1972-73 में इस प्रकार उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, भारत सरकार यथासंभव उर्वरकों का खुले रूप में आयात करने के लिये कदम उठा रही है । उर्वरकों को बोरों के बजाय खुले रूप में आयात करने का कारण यह है कि इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारतीय बन्दरगाहों पर उर्वरकों को बोरों में भरने, उनका मानकीकरण करने तथा बोरों की सिलाई करने से मजदूरों को अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्राप्त होगें ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान 24.99 लाख मीटरी टन उर्वरक आयात किया गया था, जिसमें से 9.76 लाख मीटरी टन उर्वरक खुले रूप में प्राप्त हुआ था । बोरों में बन्द किये गये तथा खुले रूप से आयात किये गये उर्वरकों के मध्य प्रति मीटरी टन 14.00 अमरीकी डालरों के वर्तमान मूल्य के अन्तर के हिसाब से खुले रूप से आयात किये गये उर्वरकों से लगभग 9.97 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान लगाया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा सहायता देना

4368. श्री बनमाली पटनायक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की योजना आसाम के जनजाति क्षेत्रों को सहायता देने की है ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का विचार कितनी सहायता देने का है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकार का कितना अंशदान होगा तथा यह किस प्रकार का कार्य आरम्भ करेगी ; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भी ऐसी कोई योजना बनाई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) तथा (ग) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता का उपयोग क्षेत्र आधार पर बनाए गए कार्यक्रमों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए कार्यक्रमों के लिए किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की दैनिक मजरी

4369. श्री रण बहादुर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है **श्रौर** उनकों कितनी दैनिक मजूरी दी जा रही है ; श्रौर

(ख) क्या सरकार ने उनकी मजूरी निर्धारित करते समय श्रावश्यक वस्तुश्रों के बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) श्रौर (ख) 13-8-73 को मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1.08 लाख व्यक्ति राहत कार्यों पर लगाए गए बताए जाते हैं । राज्य सरकार ने राहत कार्यो पर दैनिक मजूरी की जो दरें बताई हैं वे इस प्रकार हैं :

वयस्क पुरुष के लिए	2.00 रुपये
व्यस्क स्त्री के लिए	1.50 रुपये ; श्रौर
10 वर्ष से श्रधिक की श्रायु के लड़कों के लिए	1.00 रुपया ।

राज्यों में मैदा उपलब्ध न होने के कारण बिस्कुट बनाने वाली फैक्टरियों का बन्द होना :

4370. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैदा उपलब्ध न होने के कारण प्रत्येक राज्य में बन्द पड़ी बिस्कुट बनाने वाली फैक्टरियों की सूची क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में फैक्टरियों के बन्द होने के कारण कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ; श्रौर

(ग) इन कारखानों को पुनः खोलने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों श्रौर प्रशासनों से विस्तृत सूचना मांगी गई है । सूचना प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

श्रपना रोजगार चलाने की योजना

4371. श्री राज देव सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार एक ऐसी श्रासान श्रौर सस्ती श्रपना रोज़गार चलाने की योजना पर विचार करने श्रौर उसे बनाने के लिये तैयार है जिसके श्रन्तर्गत देश के सभी खंड विकास क्षेत्र श्रा जायें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : समस्त सामुदायिक विकास खंडों को लागू की जाने वाली आसान और सस्ती अपना रोज़गार चलाने की योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मैसूर में राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की दैनिक मज़ूरी

4372. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री धर्मराव अफजल पुरकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आरम्भ हुए राहत कार्यों पर कितने व्यक्ति लगे हैं और इस समय उन्हें कितनी दैनिक मजूरी दी जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए उनकी दैनिक मजूरी में वृद्धि की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के विभिन्न राहत कार्यों पर इस समय लगभग 5 लाख व्यक्ति काय कर रहे हैं ।

राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को किए गये कार्यों के आधार पर मज़दूरी दी जाती है । औसतन, एक पुरुष श्रमिक की दैनिक मज़दूरी 3 रुपये बैठती है जबकि एक महिला श्रमिक की 2 रुपये बैठती है ।

अप्रैल से, कुछ राहत कार्यों पर राहत श्रमिकों द्वारा अर्जित मज़दूरी का 10 प्रतिशत बोनस और भूमि-संरक्षण के लिए 50 पैसे प्रति 100 धन फुट की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी गई थी लेकिन वर्षा के शुरू होने पर उसे अब बंद कर दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यक्रम को रोके जाने के बारे में राज्यों को निदेश

4373. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केवल लघु सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं को छोड़कर राज्यों में प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत सब कार्यक्रमों को शीघ्र रोक देने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण धन की कमी बताया गया है;

(ग) इससे कौन-कौन से राज्य प्रभावित होंगे; और

(घ) क्या कुछ राज्यों ने इसका तीव्र विरोध किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) संलग्न विवरण में दिए गए 13 राज्य ।

(घ) राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सब कार्यों को जारी रखने के लिए दृढ़ता-पूर्वक अनुरोध किया है परन्तु संसाधनों की समग्र स्थिति को देखते हुए सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि निर्णय को बदला जाए ।

विवरण

राज्यों की सूची

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. जम्मू तथा कश्मीर
6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र
8. मैसूर
9. उड़ीसा
10. राजस्थान
11. तमिल नाडु
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल

मनीपुर में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था किये बिना जूनियर हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाना

4374. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान बिना अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था किए अनेक जूनियर हाई स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल कर दिया है; यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है और उनमें शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है और यदि हां, तो उक्त नियुक्तियों कब की जाएंगी; और

(ग) क्या सरकार अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था के बिना स्कूलों का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में पुनः विचार कर रही है जिससे उन स्कूलों का दर्जा पुनः घटाया जा सके जिनका दर्जा बढ़ाया जाना न्यायोचित नहीं था यदि हां, तो इस बारे में पुनः कब विचार किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मनीपुर सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मनीपुर राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान अतिदेय राशि

4375. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी किए ऋण की काफी राशि की वापसी अतिदेय है और पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के अभाव में सहकारी विभाग, मनीपुर ऋणों की अतिदेय राशि वसूल नहीं कर सकता;

(ख) यदि हां, तो ऋणों की अदायगी की अतिदेय राशि कितनी है और राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है;

(ग) क्या गत जून में हुए राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में इस बारे में सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मनीपुर में विद्यालयों को तदर्थ आधार पर मान्यता देना और मान्यता वापस लेना

4376. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर सरकार ने वित्तीय वर्ष 1972-73 में बहुत से विद्यालयों को तदर्थ मान्यता देकर उनमें से अनेक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी और सहायता अनुदान बन्द कर दिया था यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या क्या है और उनकी मान्यता तथा सहायता अनुदान बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बहुत से लोगों ने इस बारे में शिकायतें की हैं कि उस वर्ष इस प्रकार दी गई और वापस ली गई मान्यता मुख्यतया राजनीतिक कारणों से हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मनीपुर सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएंगी ।

खरीफ की फसल के लिये किसानों को समय पर उर्वरकों और बीजों की सप्लाई

4377. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ की फसल के लिये किसानों को समय पर उर्वरकों और बीजों की सप्लाई हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : फरवरी-मार्च, 1973 में राज्य सरकारों के साथ हुए विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों के आधार पर तैयार की गई समन्वित सप्लाई योजनाओं के अनुसार राज्यों को खरीफ 1973 के मौसम के लिये उर्वरकों की सप्लाई की जा चुकी है । राज्य सरकारों के साथ हुए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप किए गए अन्तिम निर्णय के अनुसार 9.72 लाख मीटरी टन एन, 3.72 लाख मीटरी टन पी तथा 1.85 लाख मीटरी टन के की मांग की तुलना में लगभग 9.57 लाख मीटरी टन एन, 3.76 लाख मीटरी टन पी तथा 2.31 लाख मीटरी टन के की सप्लाई हुई है ।

जहां तक बीजों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन तथा उन्हें कृषकों को वितरित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले बीज फार्मों के अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्र में भी कुछ फार्म प्रारम्भ किये गये हैं । गैर-सरकारी एजेंसियों ने भी उन्नत बीजों के उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम, आदि अखिल भारतीय संस्थायें भी प्रमाणित बीजों का वितरण करती हैं । देश के कई भागों में 1972 के खरीफ में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण मूंगफली तथा संकर ज्वार की कमी को अनुभव करते हुए 1972-73 के रबी/ग्रीष्म के दौरान इन फसलों के लिए एक विशेष उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । बीजों की मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई थी, परन्तु संकर ज्वार के विषय में कमी अनुभव की गई है । अगले मौसम में संकर बीजों की बुवाई करके राज्य सरकारों को इस कमी को पूरा करना पड़ा ।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा उपार्जित स्टीमर 'एम०वी० चिदाम्बरम' का कार्यसंचालन

4378. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम ने 'एम० वी० चिदाम्बरम' स्टीमर कब उपार्जित किया था;

(ख) इस उपार्जन पर कुल कितनी लागत आयी तथा स्टीमर वाणिज्यिक कार्यों के लिये कब से चलाया गया और इसके चलने का मार्ग कौन-सा है;

(ग) आरम्भ से अब तक इसके कार्य संचालन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 23 जुलाई, 1973 को श्री ए० डी० जेयाजी रापनडीनाडार एण्ड ब्रादर्स, नाम-पट्टियम न इस स्टीमर सेवा को चलाने में भारतीय जहाजरानी निगम के कुप्रबंध के बारे में उन्हें एक ज्ञापन भेजा था; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जहाज एम० वी० "चिदाम्बरम" (भूतपूर्व एम० वी० पास्चुर) को शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 30 अक्तूबर, 1972 को अधिगृहीत किया था ।

(ख) इस जहाज की अधिप्राप्ति की कुल लागत लगभग 6.48 करोड़ रुपये थी जिसमें बदलने, अतिरिक्त रक्षा नौकाओं और पिछले हिस्से के शफ्ट आदि की लागत शामिल है । भारतीय आवश्यकताओं और सेवा की जरुरतों के अनुसार जहाज के परिवर्तन के बाद मद्रास/मलयेशिया/सिंगापुर यात्री सेवा में 25 मार्च, 1973 को चालू कर दिया गया, जहां वह तब से चल रहा है ।

(ग) चालू होने से लेकर, जहाज ने अब तक 8 पूरी समुद्री यात्राएं की हैं । मद्रास से चालू होने वाले यात्रा के सामान्य पड़ाव पत्तन-नागपट्टीणम, पेनांग पत्तन केलांग और सिंगापुर हैं । औसत रूप से उसे पूरी यात्रा करने में लगभग 18 दिन लगते हैं । मुख्य रूप से यात्री जहाज होने के नाते और यात्री जहाज के तौर पर अपने सामान्य कार्यक्रम की सीमानुसार दोनों ओर सामान्य माल की छोटी प्रमात्राओं के अतिरिक्त वह भारत से मलेशिया और सिंगापुर तथा विलोमतः यात्री उठाता है ।

(घ) तथा (ङ) मैसर्स ए० डी० जयवीर पाण्डेय नादर एण्ड ब्रादर्ज तथा अन्य निर्यातकों ने दिनांक 23 जुलाई, 1973 को पत्र भेजा था, जिसमें निम्नलिखित दो मुद्दे उठाये गए :

(1) मद्रास से मलेशिया और सिंगापुर तक जावक यात्रा पर चिदाम्बरम, निर्यातकों, विशेषकर प्याज निर्यातकों की संतोषजनक सेवा नहीं कर रहा है ।

(2) सिंगापुर तथा मलेशिया की केलांग और पेनांग पत्तनों से आवक यात्रा के दौरान भारत में आने वाले यात्रियों की पहुंच में देरी, मद्रास में देरी से पहुंचने और उनके कभी कभार अधिक सवारी करने से असुविधा होती है ।

स्थिति निम्न प्रकार से है:—

(1) यह जहाज मुख्य रूप से एक यात्री पोत है, परन्तु यात्री जहाज के तौर पर अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार वह कुछ सामान्य माल भी उठाता है । चूंकि इस जहाज की पहले जहाज से अधिक गति है, एतएव शिपिंग कारपोरेशन का यह इरादा है कि नागपट्टीणम से पेनांग तक 5 दिनों से 2-1/2 दिनों तक पारगमन समय घटा दिया जाए ताकि यात्रियों को गति का लाभ प्राप्त हो । इस प्रयोजन की तभी पूर्ति हो सकती है जब कि नागपट्टीणम के लदान सम्बन्धी परिचालन, प्रातः 5 बजे के लगभग चालू किये जायें ताकि जहाज सायं 4 बजे रवाना हो सके । शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया और पोतवणिकों के बीच परस्पर बातचीत और परामर्श द्वारा इसको सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है ।

(2) आवक यात्रा के दौरान, एस० सी० आई० आमतौर पर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि पत्तन प्राधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधापूर्वक सवारी के लिए जहाज पेनांग से तीसरे दिन की प्रातः को नागपट्टीणम पहुंच जाये ।

रबी की फसल का उत्पादन लक्ष्य और इसके अन्तर्गत राज्यों के लिए नियत की गई धनराशि

4379. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री वर्ष 1972-73 में आयात रबी फसल के उत्पादन कार्यक्रमों के लक्ष्यों के बारे में 30 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1120 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रबी की फसल का राज्यवार उत्पादन लक्ष्य क्या है ;

(ख) वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) इस संबंध में राज्यों ने वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सूखे के कारण खरीफ के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ किये गये आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1972-73 के रबी खाद्यान्नों के उत्पादन में शुरू में 150 लाख मीटरी टन की वृद्धि करने का विचार था। संलग्न विवरण संख्या 1 में 150 लाख मीटरी टन का राज्यवार तथा फसलवार ब्योरा दिया गया ह। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 5504/73] इस लक्ष्य की प्राप्ति मौसमी परिस्थितियों, अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों, बिजली तथा महत्वपूर्ण आदानों आदि की उपलब्धि पर निर्भर करती है। उत्पादन के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र तैयार होने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करके सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने तथा कृषि आदानों का अधिक वितरण करके उत्पादन बढ़ाने का विचार था। इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता दी गई। 152 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण में से राज्य सरकारों द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर कुल 148 करोड़ रुपये की रकम व्यय हुई है, जिसके लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों आदि कृषि आदानों की खरीद तथा उनके वितरण के लिये राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 5504/73]।

उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों संम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना

4380. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किये जा रहे हैं और उड़ीसा के कुछ संबंधित जिलों को राज्य सरकार ने उक्त योजना की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की क्या विशेष कसौटी है ; और

(ग) राज्य सरकार के सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है और उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किया है और इसके क्या विशेष कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। चौथी पंचबर्षीय योजना के दौरान देश के 54 जिलों में यह क्रियान्वित किया जा रहा है और 5वीं योजना के दौरान भी इसके जारी रहने की सम्भावना है। विश्व बैंके के दल ने 6 जिलों में परियोजनाओं के एक भाग के लिए वित्त व्यवस्था करने में दिलचस्पी दिखाई है। ये जिले मुख्य रूप से ऐसे जिलों में से चुने गये हैं जिनमें (क) वर्षा कम होती है, (ख) जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित बारानी खेती समेकित मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत आते हैं और (ग) जिनमें जिले के भीतर अधिकांश क्षेत्र ऐसा है जो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। कालाहण्डी जिवा उपर्युक्त मानदण्डों पर पूरा नहीं उतरता। इन जिलों के लिये विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता के परिमाण के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया। तथापि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहले की अपेक्षा काफी अधिक परिव्यय किए जाने की संभावना है।

कोणार्क मन्दिर में बाढ़ से बचाव की व्यवस्था

4381. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क मन्दिर के लिए बाढ़ से बचाव की व्यवस्था पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी, हां। पुन्ज प्रकाश के प्रभाव की जांच करने के लिये परीक्षण किए जा रहे हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति

4382. **श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में विदेशी सरकारों, उनके अस्पतालों और डाक्टरों ने कितने रोगियों को उपचार के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती होने को भेजा ;

(ख) वर्ष 1972-73 में विभिन्न राज्य सरकारों, उनके अस्पतालों और डाक्टरों ने कितने रोगियों को उपचार के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को भर्ती होने को भेजा ;

(ग) वर्ष 1972-73 में कितने रोगियों को अस्पताल के (एक) प्राइवेट वार्ड (दो) जनरल बार्ड में दाखिल किया गया ;

(घ) 1972-73 में अस्पताल में कितना खर्च हुआ और वह खर्चा किस प्रकार पूरा किया गया ; और

(ङ) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अस्पताल की अन्तराष्ट्रीय ख्यति को ध्यान में रखते हुए सरकार अस्पताल को विश्व के इस भाग में वास्तव में सर्वोत्तम अस्पताल बनाने की ओर क्या विशेष ध्यान दे रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1972-73 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्राइवेट वार्डों में विदेशों के 75 रोगी दाखिल किये गये।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों, उनके अस्पतालों और डाक्टरों द्वारा इलाज के लिये भेजे गये रोगियों के अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 1972-73 के दौरान जनरल और प्राइवेट वार्डों में भर्ती किये गये रोगियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

जनरल वार्ड	17,523
प्राइवेट वार्ड	843

(घ) 1972-73 के दौरान भारत सरकार द्वारा सारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और उसके अस्पताल तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र के लिये कुल 346.45 लाख रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में दी गई और 32.00 लाख रुपये की राशि इस संस्थान ने उसी वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के रूप में कमायी। सारे विभागों, जिनमें संस्थान के क्लिनिकल, प्रिक्लिनिकल आदि विभाग भी शामिल हैं, को प्रति वर्ष उपभोज्य भन्डार/फुटकर खर्च और अनुपभोज्य भण्डार के लिये उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग से धन नियतित किया जाता है। 1972-73 के दौरान इस संस्थान के अस्पताल के लिये कुल 30 लाख रुपये का तथा (i) फुटकर खर्च उपभोज्य भन्डार और (ii) अनुपभोज्य भण्डार के लिये 1.56 लाख रुपये की कुल राशि का नियतन किया गया।

इस नियतन में अस्पताल के स्टाफ का वेतन और भत्तों का खर्च शामिल नहीं है। इस खर्च को तो संस्थान के सारे नियतन में से उप शीर्ष "वेतन और भत्ते" के अन्तर्गत पूरा किया जाता है। इस अस्पताल के कर्मचारियों के "वेतन तथा भत्तों" संबंधी खर्च का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

(ङ) इस संस्थान के अस्पताल में सारे भारत के और विदेशों के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा प्रदान की जा रही है। यह अस्पताल सुधरे हुए साजसामान से लैस है और इसमें अन्वेषण के कुछेक आधुनिक तरीके भी उपलब्ध हैं। उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत इस अस्पताल की सेवाओं में सुधार करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी इंजीनियरों के रिक्त पद

4383. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी इंजीनियरों के 150 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) क्या एक कार्यकारी इंजीनियर के पद को भरने के लिये पांच से छः उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाता है ;

(ग) क्या कार्मिक विभाग श्रेणी दो के सहायक इंजीनियरों को कार्यकारी इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति के लिये आवश्यक 8 वर्ष की अवधि को 7 वर्ष करने पर सहमत हो गया है ; और

(घ) क्या सहायक इंजीनियरों को कार्यकारी इंजीनियरों के पदों पर तदर्थ पदोन्नति इन नियमों का अनुकरण किये बिना की जा रही है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं। फिलहाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में 18 रिक्तियां हैं।

(ख) 1957 में गृह मंत्रालय (वर्तमान कार्मिक विभाग) द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, जहां कहीं संभव हो, सेलेक्शन पद पर नियुक्ति के लिये चयन का क्षेत्र वर्ष में होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या से पांच या छः गुणा तक होना चाहिये।

(ग) कुछ समय पूर्व सहायक इंजीनियरों से कार्यापालक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति के लिये पात्रता की अवधि को ग्रेड की 8 वर्ष की सेवा से घटा कर 7 वर्ष करने का एक प्रस्ताव कार्मिक विभाग के परामर्श से रखा गया था। इससे पूर्व, सीधी भर्ती के कोटे के विपरीत उस ग्रेड में सहायक इंजीनियर द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा के काल की गणना कार्यपालक इंजीनियर के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के उद्देश्य के लिये की जा रही थी। हाल ही में, संघ लोक सेवा आयोग ने यह सलाह दी है कि केवल निम्न ग्रेड में नियमित आधार पर की गई सेवा की गणना नियमित आधार पर उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिये की जा सकती है। सर्वश्री रामय्या तथा अन्य सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर किये गये दावे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सहायक इंजीनियरों के स्तर पर के कोटे को उचित रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती के कोटे के विपरीत, सहायक इंजीनियरों के ग्रड में की गई सभी पदोन्नतियां नियमित हो जाती हैं, अतः पर्याप्त संख्या में सहायक इंजीनियर कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पात्रता की कसौटी को घटाने के प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

(घ) सेलेक्शन पदों में नियुक्तियों के लिये निचले ग्रेडों से नियमित पदोन्नतियां करने के लिये गृह मंत्रालय (वर्तमान कार्मिक विभाग) के अनुदेशों का पालन किया जाता है। तथापि, सेलेक्शन पदों में तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां करने के लिये इन अनुदेशों का पालन करना अपेक्षित नहीं है। अतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नतियों का आदेश देते समय इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था।

पांचवी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

4384. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान देश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिये उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। पांचवीं योजना के अंत तक प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में कम से कम एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा। सामुदायिक विकास खण्डों में आदिवासी क्षेत्र भी इसके अन्पर्गत आ जायेंगे।

(ख) जी हां, राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये न्यूनतम-आवश्यकता-कार्यक्रम के अन्तर्गत धन दिया जा रहा है। उड़ीसा के आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में कुल मिलाकर 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 138 उपकेन्द्र और स्थापित किये जाने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए 205.60 लाख रुपये की जो कुल धनराशि नियत की गई है वह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही है। प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि देनी है इसको अभी अंतिम रूप से तय किया जाना है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये धनराशि का नियतन

4385. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के जनजाति क्षेत्रों में सड़कों, विशेषकर सहायक सड़कों के विकास के लिये विशेष धनराशि का नियतन किया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में जनजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो सम्पूर्ण राज्य के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ग) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा के जनजाति विकास क्षेत्र में 6 मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहायक सड़कों के निर्माण के लिये कुल तीन करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। इसके लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी संस्कृति के लिए नियत धनराशि

4386. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए उनके मंत्रालय ने विशेष धनराशि नियत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजनायों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने इस बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय की पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विचाराधीन आयोजना के प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी शामिल हैं :

विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न किस्मों के लोक, जनजातीय तथा परमपरागत नृत्य, नाटक और संगीत का प्रलेखन, सर्वेक्षण और रिकार्डिंग, लोक तथा आदिवासी कलाओं में विभिन्न रूपों में प्रयोग में आने वाले दुर्लभ मुखौटों, कठपुतलियों, सिरों के पहनावों, वेश भूषाओं, गहनों का संग्रह, लोक नृत्य दृश्य का निर्माण, लोक तथा आदिवासी कला की प्रदर्शनी का सर्वेक्षण, जातिगत संबंधी आदिवासी तथा लोक कला के नमूनों का बचाव आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन।

(ग) इस मंत्रालय को उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों में 'आदिवासी संस्कृति के विकास' जैसे कार्य के लिए कोई विशेष धनराशि शामिल नहीं है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में जन-जातियों के शिक्षा विकास के लिए नियतन

4387. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जन-जातियों के शिक्षा विकास के लिए विशेष राशि नियत की है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इसके लिए एक विशेष विकास योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति, विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) शिक्षा की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है राज्य सरकारों से शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए निर्धारण को मालूम करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा प्रस्तावों में आश्रम स्कूलों के लिए 374 लाख रुपए के अलावा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा के लिये 392 लाख रुपये की राशि भी शामिल की है।

विषाक्त अन्न खाने से देश में हुई मौतें

4388. **श्री वरके जार्ज :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गत 6 महीनों में देश में विषाक्त अन्न से हुई मौतों की राज्यवार सख्या क्या है; और

(ख) स्थिति के समाधान के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

25 LSS/73—6.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आटोरिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया लेना

4389. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान आटोरिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया लेने के कितने मामलों में उनके खिलाफ धोखाधड़ी के लिये कार्यवाही की गई; और

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) और (ख) 1-8-72 से 31-7-73 तक यातायात पुलिस तथा परिवहन निदेशालय, दिल्ली के परावर्तन कर्मचारियों द्वारा दो सवारी वाले आटोरिक्शा के चालकों के विरुद्ध अधिक किराया लिये जाने पर 2230 मुकदमें चलाये गये। इनमें से कुछ मामलों में तो आटोरिक्शा के चालकों के विरुद्ध इस शिकायत पर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने मीटर द्वारा ठीक दिखाये गये भाड़े की बजाय समान दर पर ही भाड़ा वसूल किया, जबकि कुछ अन्य मामलों में चालकों ने इस तर्क के साथ अधिक भाड़ा वसूल किया था कि उनकी गाड़ियों के मीटर ठीक नहीं हैं।

"ग्राउण्डनट इज पायजनस वैन स्पायल्ड" शीर्षक का समाचार

4390. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1973 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "ग्राउण्डनट इज पायजनस वैन स्पायल्ड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं या उठायेगी कि खराब मूंगफली जनता को न बेची जाए; और

(ग) जनता को इसकी सूचना देने और प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मूंगफली के मानक निर्धारित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। सभी संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किये जा रहे हैं कि वे खराब मूंगफली की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखें तथा लोगों को कहें कि वे ऐसी मूंगफली न खायें। किसानों को कृषि विभाग द्वारा एक्सटेंशन सेवाओं के माध्यम से सूचित किया

जाता है कि वे फसल काटने के बाद मूंगफली को पहले अच्छी तरह से सुखा लें और फिर उसे स्टोर करें ताकि उसमें फंगस न लगने पाये क्योंकि इससे एफ्लाटाक्सिन पैदा हो जाता है जो जहरीला होता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बड़े जहाजों का निर्माण

4391. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौबहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विचार बड़े जहाज निर्माण और मरम्मत समुद्र में 2,60,000 हन्ड्रेडवेट तक की भारवहन क्षमता के बड़े जहाजों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित समूह के पूरे हो जाने पर भारत अन्य विकसित समुद्री देशों के समकक्ष हो जायेगा; और

(ग) क्या इससे भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में भी समर्थ हो सकेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एक प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 81 करोड़ रुपये है और 2,60,000 डी० डब्लू० टी० तक के आकार के जहाजों को वनाने और मरम्मत करने के लिये बनाया गया है। परन्तु यह प्रस्ताव नितान्त प्रारम्भिक कार्य और अस्थायी है। मौजूदा और नये शिपयार्डों द्वारा भारत में बनाये जाने वाले जहाजों के प्रकार और आकार का प्रश्न विचाराधीन है।

"दिल्ली जू एम्पलाइज आन वार पथ" शीर्षक से समाचार

4392. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "दिल्ली जू एम्पलाइज आन वार पथ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस वारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और 31 जुलाई, 1973 तक समुचित सिफारिशें देंने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने चिड़ियाघर के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालय / विभागों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापिस ले लिया है।

सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक

4393. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक बैठक जुलाई 1973 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये और उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों का भारतीयकरण

4394. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ भारतीय नौवहन कंपनियों का भारतीयकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) उन नौवहन कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या इन कुछ कंपनियों में कुप्रबंध के कारण सरकार ने उनकी देखभाल के लिये विशेषज्ञ नियुक्त किये हैं जबकि उन्होंने गत कुछ वर्षों में लाभार्जन भी किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विदेशी शेयर वाली केवल कुछ ही भारतीय नौवहन कंपनियां हैं परन्तु यह कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत है। सरकार का उन शेयरों को अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

भवन निर्माण उद्योग के श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में केन्द्रीय विधान

4395. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण और निर्माण उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में एक केन्द्रीय विधेयक लाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भवन-निर्माण तथा निर्माण उद्योग में मजदूरों की सुरक्षा के बारे में एक केन्द्रीय विधेयक का प्रस्ताव श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) के विचाराधीन है।

(ख) प्रस्तावित कानून के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप

4396. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में राजनीतिक दल हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसा कि 3 अगस्त, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में रोटेरी क्लब में कुलपति के भाषण में उनके व्यक्तिगत विचार दिए गए हैं।

वर्षा ऋतु के दौरान डी० आई० जै० क्षेत्र, नई दिल्ली के टाइप 2 के क्वार्टरों में सफ़ेदी

4797. **श्री एम० एम० जोज़फ :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०आई०जेड० क्षेत्र नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों (टाइप 2) में वर्षा ऋतु में सफेदी की जा रही है और अलाटियों को सफेदी करवाने के लिये बाध्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार ने वर्षा ऋतु में सफेदी न करवाने तथा वर्षा ऋतु के बाद सफदी करवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं। किराएदारों के अनुरोध पर कुछ क्वार्टरों के केवल अंदर ही सफेदी की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक निकेतन (नारायणा) में अल्प आय वर्ग के फ्लैटों में स्कूटर/साईकिल शैड की व्यवस्था

4398. **श्री एम० एम० जोज़फ :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक निकेतन (नारायणा) में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों में पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों के लिये स्कूटर/साईकिल शैड की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) इसकी शीघ्र व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) अलाटियों के अनुरोध पर स्कूटर शैडों की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री चिन्तालापति वापीराझ धर्म संस्था के प्रबन्ध में शैक्षिक संस्थान

4399. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री चितालापति वापीराझ धर्म संस्था चिनामन्द्र, कोलानू वस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अधीन कौन-कौन से शैक्षिक संस्थान कहां-कहां पर हैं;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में आंध्र प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्था को शिक्षण ग्रंथालयों, प्रयोगशालाओं तथा छात्रावासों के लिये कितनी राशि के अनुदान तथा अन्य ऋण दिये गये; और

(ग) मार्च, 1973 तक उक्त संस्था के पास सरकारी सहायता के अतिरिक्त आय के यदि कोई अन्य साधन थे तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) क्योंकि संगठन एक प्राइवेट निकाय हैं, सरकार के पास इसके द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं के ब्यौरों की कोई सूचना नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार से ऐसी किसी शिक्षा संस्था के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है जो संस्था के अधीन हो और उसे मान्यता दी गई हो।

(ख) विवरण संलग्न है जिसमें श्री चितालापति वापीराझ धर्म संस्कृत, द्वारा संचालित कुछेक उन संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुदान दिए गए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5505/73]** आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए अनुदानों की सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

(ग) इस प्राइवेट संगठन की आय के अन्य स्रोतों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

दादरा और नागर हवेली में चीनी मिल खोलना

4400. **श्री रामूभाई पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली में एक चीनी मिल खोलने के लिए आशयपत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उद्योग में लाइसेंस देने संबंधी 56 लाख मीटरी टन का लक्ष्य प्रत्यक्षतः पूरा हो गया है। पंचवर्षीय योजना के प्रति पहले ही और अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने संबंधी प्रश्न पर योजना आयोग से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। अतः इस आवेदन-पत्र तथा पहले प्राप्त अन्य आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने में कुछ समय लगने की संभावना है।

दादरा और नागर हवेली में समाज कल्याण केन्द्र

4401. **श्री रामूभाई पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली में इस समय क्षेत्रवार, कितने समाज कल्याण केंद्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां और अधिक केन्द्र स्थापित करने का है क्योंकि उक्त क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और उक्त केंद्र कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) दादरा और नागर हवेली में अधिकतर कल्याण कार्यवाहियां आदिम जाति कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत आती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित समाज कल्याण केन्द्र चल रहे हैं :—

(1) सिलवासा खंड में एक परिवार तथा बाल कल्याण परियोजना 6 केन्द्रों के साथ।

(2) सिलवासा खंड में 30 पौष्टिक आहार वितरण केंद्र।

(ख) और (ग) विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को पांचवीं योजना में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ब्यौरा अभी तैयार किया जाना बाकी है। आदिवासियों के लिए आश्रम प्रकार के छात्रालय खोलने पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है।

सुपर बाजार, दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं की अधिक मूल्य पर बिक्री

4402. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सुपर बाजार, दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेषकर आटा, वनस्पति और साबुन के अधिक मूल्य पर बेचे जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार के ध्यान में इस आशय का एक समाचार केवल आटे के बारे में आया है, परन्तु इस से सही स्थिति प्रकट नहीं होती है। सुपर बाजार, दिल्ली में उस समय तक गहूं का अनछना आटा बंद पैकटों में बाजार मूल्य से कम भाव पर बेचा गया जब तक कि आटे के मूल्य को सांविधिक रूप से नियंत्रित नहीं किया गया। वनस्पति नियंत्रित मूल्य अथवा कम पर और साबुन उनके विनिर्माताओं द्वारा नियत किये गये मूल्यों अथवा कम पर बेचा गया। दूसरी अत्यावश्यक वस्तुएं आम तौर पर उन्हीं वस्तुओं अथवा उनकी तुलनीय किस्मों की वस्तुओं के प्रचलित बाजार भावों से कम भावों पर बेची गई हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, इसका प्रश्न नहीं उठता।

'इंडिया आफिस लायब्रेरी' का प्राप्त किया जाना

4403. **श्री एस० सी० सामन्त** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित 'इण्डिया आफिस लायब्रेरी' को प्राप्त करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस संबंध में अभी भी क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं ; और

(ग) बंगला देश के अस्तित्व में आ जाने को ध्यान में रखते हुए क्या लायब्रेरी में इसकी आस्तियों का शेयर उसे दे दिया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) यू० के० सरकार से प्राप्त पंचनिर्णय के करार के मसौदे पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

समुद्री सेवा के अधिकारियों की मांग पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने हेतु कलकत्ता पतन आयुक्तों का अनुरोध

4404. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने कोई ऐसा अनुरोध किया है कि उनकी समुद्री सेवा के अधिकारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिये एक नई समिति नियक्त की जाये ;

(ख) क्या आयुक्तों ने सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि देसाई समिति की सिफारिशों से उत्पन्न अनिर्णीत पड़ी असंगतियों को शीघ्र तय किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) समुद्री सेवाओं के अधिकारियों की शिकायतों तथा मांगों पर विचार करने के लिये सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श किया गया है । और उन्हें शीघ्र हल करने के लिये कदम उठाये गये है ; अतः ऐसे मौके पर कोई समिति बनाना स्वंय कर्मचारियों के हित में नहीं होगा ।

गुजरात के सेन्ट्रल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम

4405. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में स्थित सेन्ट्रल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : गुजरात सहित सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी है—सामाजिक अध्ययनों और मानविकी के लिए हिन्दी और अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान विषयों के लिए अंग्रेजी ।

राज्यों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम का स्वीकार न किया जाना

4406. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम स्वीकार नहीं किया है तथा ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) अधिनियम को स्वीकार न करने के लिये क्या कारण दिये गये हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 5 राज्यों अर्थात् असम, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड और मेघालय ने इस अधिनियम को स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं किये हैं ।

(ख) यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकारों से इस अधिनियम को शीघ्र स्वीकार करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है

लैटिन अमरीकी देशों से सांस्कृतिक शिष्ट-मंडलों को आमंत्रित करने के लिए कार्यक्रम

4407. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैटिन अमरीकी देशों से भारत की यात्रा करने के लिए सांस्कृतिक शिष्ट-मंडलों को आमंत्रित करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) 1973-74 के दौरान (1) अर्जेन्तीना से दो प्रख्यात प्राध्यापकों को इस देश के दो सप्ताह के व्याख्यान दौरे, तथा (2) कला एवं साहित्य के क्षेत्र में एक प्रख्यात मेक्सिकन को दो सप्ताह की अवधि के दौरे के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ।

अन्य कार्यक्रम जो विचाराधीन है वे हैं : अर्जेन्तीना, चिली, गुयाना, मैक्सिको तथा उरुगुए के साथ सांस्कृतिक करारनामों पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव ।

विभिन्न परिवार नियोजन शिविरों में नसबन्दी

4408. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न परिवार नियोजन शिवरों में सभी प्रकार के बहुत-बूढ़े, दुर्बल तथा घातक रूप से बीमार, लोगों की नसबंदी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिये तथा निर्धनों और अनभिज्ञों को शोषण से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं । तथापि, इन शिविरों में अपात्र व्यक्तियों की नसबंदी किए जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) यह जानने के लिये कि शिविरों में केवल पात्र व्यक्तियों की ही नसबन्दी की जाती है, निम्नलिखित कार्यविधियां निर्धारित की गई हैं :—

(1) ऐसे अनुदेश जारी किये गये है कि 50 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को नसबंदी के लिए न लिया जाये । इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के कम से कम दो जीवित बच्चे न हों, उनकी भी नसबंदी न की जाये ।

(2) प्रत्येक मामले में यह जानने के लिये चिकित्सीय जांच की जाती है कि क्या कोई व्यक्ति मधुमेह अथवा किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है जिससे वह नसबन्दी आपरेशन के लिये अनुपयुक्त हो ।

(3) क्षेत्रों के लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टरों को, जिनमें सभी पात्र व्यक्तियों के नाम होते हैं, पूरा कर लिया जाता है तथा ऐसे शिविरों को लगाने से पूर्व छ: महीने के भीतर उनकी पुनः जांच कर ली जाती है।

(4) नसबंदी के लिये आए प्रत्येक व्यक्ति की लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर से उसकी पात्रता जानने के लिये जांच की जाती है। यदि व्यक्ति का नाम लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर में नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति की नसबंदी, इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के पश्चात् की जाती है किन्तु उसे तब तक कोई मुआवजा नहीं दिया जाता जब तक उसके पूरे विवरणों की जांच पड़ताल नहीं हो जाती।

(5) अपात्र व्यक्तियों की नसबंदी के संबंध में सभी शिकायतें राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा जांच करने के लिये भेजी जाती है जो अपात्र व्यक्तियों की नसबंदी आपरेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

Soaked wheat lying with flour mills in U.P.

4409. **Shri Lalji Bhai:**
Shri Mahadeepak Singh Shakya:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Nav Bharat Times dated the 3rd August, 1973 in which it is mentioned that 2,000 tonnes of wheat lying with the flour mills of Moradabad has been soaked; and

(b) if so, the reason therefor and the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir, according to the reports received by Government, about 150 tonnes of wheat lying in the Food Corporation of India storage at Moradabad were soaked due to the sudden flood in the river Gangan on the 29th July, 73.

(b) The flood in the river Gangan was so sudden that the staff of the Food Corporation of ndia at the godown could not anticipate this natural calamity. The affected stocks have since been removed to another safe place for salvage operations. The damaged wheat if not found fit for human consumption will be utilised for cattle and poultry feed, etc.

Articles stolen from Napier Museum at Trivandrum

4410. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether many rare articles have been stolen from the famous "Napier Museum" of Trivandrum; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (S. Nurul Hasal): (a) and (b) The theft which took place on the night of 25-7-1973 from Napier Museum, which is under the control of the State Directorate of Museums and Zoos, Trivandrum, is being investigated by the State Police. The objects stolen comprise eight metal images ranging in date from 11th to 18th centuries and some items of traditional gilt jewellery and a few modern objects of ivory and of silver.

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के लिये सहायता

4411. श्री लालजी भाई :

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कहां-कहां पर प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोले जा चुके है और सरकार ने इन केन्द्रों को क्या सहायता दी है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) तथा (ख) भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों को स्थापित करने के लिये कोई सहायता नहीं देती है । मौजूदा प्राकृतिक उपचार संस्थानों--को--अध्ययन पलंगों के रख-रखाव और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये ही केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । गत तीन वर्षों में इन संस्थानों को दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5506/73].

Land distributed among Adivasis during 1972-73

4412. Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the facts in regard to the land distributed among Adivasis during 1972-73, State-wise; and

(b) the main features of the scheme of Government to distribute land among the remaining Adivasi families and the time by which the distribution would be completed?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The information is being collected from the States and Union Territories and will be placed on the Table of the Sabha when available.

Adivasi students sent abroad

4414. Shri Lalji Bhai :

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of students sent to foreign countries by Government during 1972-73;

(b) whether not even a single Adivasi student has been sent abroad; and if so, the reason therefor; and

(c) if any Adivasi students have been sent abroad by Government during the said year, their names ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) Under the scheme of National Overseas Scholarships to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Denotified, Nomadic, Semi-Nomadic Tribes and Other Economically Backward Classes, which is now administered by the Ministry of Home Affairs, 14 students were sent to foreign countries for study during 1972-73. Of these 4 were Adivasis. Their names are :

1. Shri S. R. Gurmukhi.
2. Shri Aminchand Kapoor.
3. Shri R. Kerketta.
4. Shri Torist Mark.

Under the various Scholarship Schemes operated by the Ministry of Education & Social Welfare, 336 students were sent abroad for study during 1972-73. There was no Adivasi student among these. The Selection for these Scholarships is made on all India basis strictly on merit.

निर्माण और आवास मंत्रालय के नियंत्रण में तकनीकी संगठन

4415. श्री गेंदासिंह :

श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, हाऊसिंग अरबन डैवलपमेंट कारपोरेशन जैसे बहुत से तकनीकी संगठन उनके मंत्रालय के नियंत्रण में हैं ;

(ख) क्या इन संगठनों को प्रभावी निर्देश देने के लिये उनके मंत्रालय में वरिष्ट स्तर पर कोई तकनीकी अधिकारी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन तकनीकी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों और योजनाओं की मंत्रालय में किस प्रकार जांच और मूल्यांकन किया जाता है ; और

(घ) क्या इस मंत्रालय में टैक्नोक्रैट्स तथा सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी तथा आवास तथा नगर विकास निगम स्वायत्त निकाय हैं, अत: वे सरकारी विभागों पर लागू होने वाले नियमों व विनियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन तथा नगर और ग्राम आयोजना संगठन तकनीकी अधिकारियों के प्रशासकीय तथा तकनीकी चार्ज में हैं । मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव तथा प्रशिक्षण के कारण उपर्युक्त संगठनों को प्रभावकारी निर्देशन देने में सक्षम हैं ।

(घ) सचिवों/संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्तियां, पद की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पात्र अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर सैलेक्शन करके की जाती है ।

दिल्ली में दो पहिये वाले स्कूटर

4416. **श्री अमरनाथ चावला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान दो पहिये वाले स्कूटरों की क्या संख्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : 1971, 1972 और 1973 के तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में दो पहिये वाले स्कूटरों की संख्या निम्नलिखित रही है :—

1971	1,09,112
1972	1,28,337
1973 (जून तक)	1,39,693

विभिन्न राज्यों के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4417. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम और उड़ीसा के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने 2 जुलाई, 1973 की 'पेन डाउन' और 'टूल डाउन' हड़ताल की थी और उसके बाद 'रिले' अनशन आरंभ कर दिया था ।

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के हड़ताली कर्मचारियों ने "एफ० सी० आई० बचाओ समाजवाद लाओ" का नारा लगाया था;

(ग) यदि हां, तो इस हड़ताल और 'रिले' अनशन के क्या कारण थे और प्रधान मंत्री को प्रस्तुत उनके ज्ञापन में, जिसकी प्रतियां खाद्य मंत्री और भारतीय खाद्य निगम के चेयरमेन को भी भेजी गई थी, उल्लिखित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस ज्ञापन में अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कर्मचारी संघ ने विभिन्न कदाचारों की और वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता की न्यायिक जांच करवाने का अनुरोध किया; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित मामलों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। 'पेन डाउन' हड़ताल केवल एक दिन के लिए थी सामूहिक अनशन अब समाप्त कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) कर्मचारियों की मांग बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5507/73] प्रत्यक्षतः यह आंदोलन इन मांगों के समर्थन में था, वस्तुतः इसका अभिप्राय भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध पर यह दबाव डालना था कि वह पूर्वी क्षेत्र में एसोसिएशन द्वारा दबाव डाल कर कराई गई बहुत बड़ी संख्या में पदोन्नतियों को रद्द करने संबंधी आदेशों को वापिस लें।

(घ) जी हां।

(ङ) एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि—

1. सरकार को नीति विषयक मामलों पर विचार करना होता है।
2. भारतीय खाद्य निगम को सौंपे गये कार्यों में कमी होने की स्थिति में कुछ छंटनी करना अनिवार्य हो सकता है लेकिन यथासंभव रिक्त पदों के प्रति समायोजन किया जाएगा।
3. जहां तक गेहूं खरीद केन्द्रों का संबंध है, गेहूं का थोक व्यापार लेने संबंधी अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए हाल ही में भर्ती किए गए स्टाफ को खरीफ अनाजों की अधिप्राप्ति विषयक कार्यों, जोकि विचाराधीन हैं, के प्रति खपाने के लिए यथासंभव प्रयत्न किए जाएंगे।
4. निगम के स्वरूप और कार्यचालन को सुधारने के लिए एसोसिएशन के ठोस सुझावों का सरकार स्वागत करेगी। इन सुझावों की जांच की जाएगी।

खरीफ की फसल और रबी की फसल की प्रभावी वसूली के लिए मंजूर किए गए पद

4418. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय कार्यालय ने वर्ष 1972-73 की खरीफ की फसल और 1973-74 की रबी की फसल की प्रभावी वसूली के लिए लगभग 1000 पदों की मंजूरी दी है ताकि वसूली केन्द्रों तथा खाद्यान्न उत्पादकों से सीधे क्रय केन्द्रों की स्थापना, विशेषकर बिहार, उढ़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आसाम और अन्य राज्यों में की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो कितने नये व्यक्ति भर्ती किए गए हैं और वसूली अभियान को विशेषकर उड़ीसा, बिहार, आसाम और पश्चिमी बंगाल में सफल बनाने के प्रयोजन हेतु कर्मचारियों के पूरे कोटे की भर्ती न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और असम समेत विभिन्न राज्यों में 1972-73 की खरीफ फसलों और 1973–74 की रबी फसलों के लिए क्रमशः 2533 और 5770 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी थी।

(ख) जिन राज्यों में निगम से अधिप्राप्ति करने को कहा गया था वहां 1972-73 के खरीफ मौसम और रबी मौसम 1973-74 के दौरान देश भर में नई नियुक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 157 और 1785 थी। इन पदों में से, उड़ीसा, बिहार, असम और पश्चिमी बंगाल में नियुक्तियों की संख्या 82 थी।

अतिरिक्त पद मंजूर करते समय, यह तय किया गया था कि अधिप्राप्ति के समय कार्यभार होने पर ही अतिरिक्त पदों को भरा जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति

4419. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम/पूर्वी जोन कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जून, 1973 में जोनल वरिष्ठता के आधार पर विद्यमान कर्मचारियों की पदोन्नति के आधार पर 2000 पदों को भरने के लक्ष्य में से लगभग 650 पद ही भरे गए ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के उन पदोन्नत कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न राज्यों में वसूली व्यवस्था और अन्य सहायता कार्यों की स्थापना के प्रयोजन से काम सौंपे गये थे;

(ग) क्या उन पदोन्नतियों को अचानक ही रद्द कर दिया गया यद्यपि भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्यालय द्वारा ये पद मंजूरशुदा पड़े हुए हैं और पदोन्नति कर्मचारियों के वेतन रोक लिए गए हैं और उन्हें संकटावस्था में भिन्न-भिन्न राज्यों में छोड़ दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम की नीति के इस प्रकार अचानक प्रतिकूल हो जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) पदोन्नति के फलस्वरूप होने वाली परिणामी रिक्तियों समेत संभावी कार्यभार पर आधारित पहले 735 पद मंजूर किए गए थे। तथापि वास्तविक कार्यभार के आधार पर आवश्यकता केवल 232 पदों की थी। भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक (स्थापन) को कर्मचारियों की एसोसिएशन के दवाब में आकर जून, 1973 के तीसरे सप्ताह में 529 पदों को भरने के लिए आदेश जारी करने पड़े थे। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक (स्थापन) द्वारा दबाव में आकर जारी किए गए इन आदेशों को निगम के मुख्य कार्यालय को तत्काल बाद रद्द करना पड़ा। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक (स्थापन) ने, जिन मामलों में आवश्यक था, स्वीकृत पदों के आधार पर संशोधित पदोन्नति आदेश जिन पदों के आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत है जारी किए गए हैं।

रबी की फसल की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किए गए वसूली केन्द्र तथा सीधी खरीद करने वाले केन्द्र

4420. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी की फसल के लिये भारतीय खाद्य निगम ने कितने वसूली केन्द्र तथा सीधी खरीद करने वाले, केन्द्र स्थापित किये ;

(ख) क्या इन केन्द्रों को बन्द किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के ऐसे वसूली तथा सीधी खरीद करने वाले केन्द्रों के बन्द करने से खरीफ की फसल की वसूली पर प्रभाव पड़ेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अभी भी काफी केन्द्रों पर कार्य हो रहा है। तथापि, कतिपय राज्यों के कुछ केन्द्रों, जहां पर प्रत्यक्षतः गेहूं की आमद नहीं है और अधिप्राप्ति कार्य बन्द हो गए हैं, को मितव्ययिता की दृष्टि में बन्द कर दिया गया है अथवा बन्द किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। आवश्यकता पड़ने पर, क्रय-केन्द्रों की स्थापना करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कुछ राज्यों में खरीफ की अधिप्राप्ति के क्षेत्र, रबी की अधिप्राप्ति के क्षेत्र से भिन्न हैं और इसके लिए हर हालत में फिर से समायोजन करना आवश्यक होगा ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम तथा इसकी एजेंसियों द्वारा स्थापित अधिप्राप्ति-केंद्रों की संख्या
1.	असम	85 केन्द्र/स्थान जहां पर भारतीय खाद्य निगम ने सहकारी समितियों द्वारा खरीदे और लाये गये गेहूं के लिए निरीक्षण और 14 स्थानों पर सीधी खरीदारी की व्यवस्था की ।
2.	बिहार	174
3.	दिल्ली	8
4.	गुजरात	108
5.	हरियाणा	59
6.	हिमाचल प्रदेश	66
7.	जम्मू एवं कश्मीर	212
8.	मध्य प्रदेश	645
9.	उड़ीसा	22
10.	पंजाब	242
11.	चंडीगढ़	1
12.	राजस्थान	122
13.	उत्तर प्रदेश	306
14.	पश्चिमी बंगाल	40*

* इसके अलावा सीधी खरीदारी करने वाले अनेक एजेंट भी नियुक्त किये गये थे।

आगामी खरीफ की फसल के लिये वसूली लक्ष्य

4421. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी खरीफ की फसल के लिये विभिन्न राज्यों के लिए क्या वसूली लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं,

(ख) वसूली उद्देश्य के लिये क्या तंत्र बनाया गया है अथवा बनाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने चावल सहित बाजार में बेचे जाने योग्य कुल खाद्यान्नों को खरीदने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति क्या है और खरीफ की आगामी फसल में खाद्यान्न की वसूली के लिये किस प्रकार का तन्त्र बनाया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आगामी खरीफ मौसम के दौरान खरीफ के खाद्यान्नों का संभावी उत्पादन और अधिप्राप्ति के राज्यवार लक्ष्यों के अनुमान बताना जल्दबाजी होगी।

(ख) से (घ) : संसद के पिछले अधिवेशन में 1973-74 के खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने के बारे में लिए गए निर्णय की घोषणा की गई थी। संबंधित राज्य सरकारों से कार्यचालन संबंधी व्यौरों के बारे में अब विचार-विमर्श किया जा रहा है। आशा है कि फसल की कटाई से पहले ही अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

"करमोहम" कान्फ्रेंस द्वारा मुद्रा समायोजन अधिभार में वृद्धि करने का निर्णय

4422. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करमोहम कान्फ्रेंस ने मुद्रा समायोजन अधिभार में वृद्धि करने का निर्णय किया है जिससे देश में आयात की जाने वाली वस्तुएं मंहगी हो जायेंगी,

(ख) क्या कांफ्रेंस में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर भी अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया गया, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि उल्लेख भारत-यू० के०/महाद्वीपीय सम्मेलन का है जिसने 7 अगस्त को या उसके बाद प्रत्येक उत्तरी महाद्वीपीय पत्तन पर लदान करने के लियें जहाजों में पूर्व की ओर पोत लदानों के बारे में 11.11 प्रतिशत से 27.85 प्रतिशत मुद्रा संमजन अधिभार की वृद्धि की है । जहां तक यू० के० और पश्चिमी इटली से पोत लदान का संबंध है, अधिभार 11.11 प्रतिशत ही है। सम्मेलन ने गत फरवरी में यू० एस० डालर के अवमूल्यन से लेकर महाद्वीपीय मुद्राओं में पर्याप्त पुर्नमूल्यन के आधार पर इस अधिभार में वृद्धि कर दी है। 11.11 प्रतिशत से 27.85 प्रतिशत तक बढ़े हुए मुद्रा समंजन अधिभार के फलस्वरूप पश्चिमी इटली और यू० के० में उनकी अतिरिक्त सम्मेलन क्षेत्र में यूरोपीय पत्तनों से आयात अधिक मंहगा हो जायेगा ।

(ख) जी नहीं। भारत से यू० के०/महाद्वीप को पश्चिम से होने वाले व्यापार सम्बन्धी मुद्रा समंजन अधिभार में वृद्धि नहीं हुई है और वह 11.11 प्रतिशत ही रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाने के तेल के साथ दोबारा तैयार किये गये स्पिडल तेल की मिलावट

4423. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार मिला है कि मिलावट करने वाले खाने के तेल के साथ दोबारा तैयार किए गए स्पिडल तेल की मिलावट कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ; और

(ख) यदि हां, तो खाने के तेल में मिलावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से समय समय पर अनुरोध किया जाता है । खाद्य-तेलों में मिलावट की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम का रद्द किया जाना

4424. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा पांचवीं योजना के लिए गठित कृषि सम्बन्धी स्टीयरिंग ग्रुप ने पांचवीं योजना की अवधि में ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत योजना को रद्द करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनायी जा रहीं समन्वित क्षेत्र विकास पहुंच को देखते हुए इस कार्यक्रम को रद्द करने का सुझाव दिया गया है । तथापि, सभी जिलों में समन्वित क्षेत्र विकास योजनायें लागू नहीं की जायेंगी । जिन जिलों में ये लागू नहीं की जायेंगी उनमें ग्राम रोजगार की त्वरित योजना को, जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को आल रूट रियायती पास देना

4425. **श्री चन्दभाल मनी तिवारी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने के लिए आल रूट छात्र रियायती पास उन छात्रों को भी दिये जाते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध कालेजों की सांध्य कक्षाओं में पढ़ने जाते हैं,

(ख) क्या इस प्रकार की रियायत विश्वविद्यालय या पत्राचार संस्थान के पुस्तकालय में नियमित रूप से पढ़ने हेतु जाने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों को नहीं दी जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली परिवहन निगम के जरूरी विनियमों के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली अथवा उपकुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त दिल्ली में शिक्षा संस्थानों के वास्तविक विद्यार्थियों के लिये ही विद्यार्थी रियायती पासों की सुविधा स्वीकार है। पत्राचार पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों के वास्तविक नियमित विद्यार्थियों के समान नहीं माना जाता, क्योंकि उनके मामलों में शिक्षा संस्थाओं से तथा उन संस्थानों को नियमित यात्रा नहीं की जाती है ।

भारतीय जहाजरानी निगम की मद्रास पोर्ट ब्लेयर सेवा

4426. **श्री शंकर राज सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम मद्रास पोर्ट ब्लेयर सेवा को घाटे में चला रहा है,

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस सेवा से कितना वार्षिक घाटा हुआ है, और

(ग) क्या भारतीय जहाजरानी निगम को महाराष्ट्र में समुद्र तटीय नौवहन सेवा आरम्भ करने के लिये निर्देश दिये जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि कलकत्ता और मद्रास से पोर्ट ब्लेयर तक नौवहन सेवाओं के परिचालन के बारे में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया संयुक्त लेखे रखता है अतएव मद्रास पोर्ट ब्लेयर नौवहन सेवा को हुए वार्षिक नुकसान के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है । इन नौवहन सेवाओं की 1970-71 और 1971-72 के दौरान हुई हानियां निम्न प्रकार से हैं :

	1970-71	1971-72
निगम के जहाज . . .	67.54 लाख रुपये	63.50 लाख रुपये
सरकार के स्वामित्व वाले जहाज	75.16 लाख रुपये	85.68 लाख रुपये
	142.70 लाख रुपये	149.18 लाख रुपये

ये आंकड़े केवल मुख्य भूमि के निवल नुकसान को ही दिखाते हैं।

(ग) महाराष्ट्र में तटीय नौवहन सेवा के कुशल और कम खर्चीले परिचालन के प्रश्न की ओर सरकार ध्यान दे रही है ।

सूखे से प्रभावित राज्य

4427. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-1972 और 1972-73 में सूखे से प्रभावित राज्यों के नाम क्या है;

(ख) इन वर्षों में इन राज्यों में कृषि-उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(ग) इन वर्षों में कुल कितना अनाज आयात किया गया और वह कितने मूल्य का था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) इन तीन वर्षों के दौरान सूखे से प्रभावित राज्य तथा वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान कृषि उत्पादन को बताने वाला एक विवरण सलंग्न है । 1972-73 खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग)

वर्ष	कुल मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1970-71	30.92	184.84
1971-72	18.57	106.46
1972-73	6.97	59.08

विवरण

क्रम सं०	सूखे से प्रभावित राज्य	खाद्यान्नों का उत्पादन (हजार मी० टन में)
1	2	3
1970-71		
1.	गुजरात	4406.1
2.	मध्य प्रदेश	10,921.6
3.	महाराष्ट्र	5,590.0
4.	मैसूर .	5,962.3
5.	राजस्थान	8,838.1

1	2	3
1971-72		
1. आन्ध्र प्रदेश		6,449.2
2. असम .		1,996.4
3. बिहार		8,903.5
4. जम्मू तथा कश्मीर		988.3
5. महाराष्ट्र		4,982.9
6. मैसूर.		6,064.5
1972-73		
1. आन्ध्र प्रदेश	. . . . .	खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।
2. बिहार	. . . . .	
3. गुजरात .	. . . . .	
4. मणिपुर .	. . . . .	
5. मध्य प्रदेश	. . . . .	
6. महाराष्ट्र .	. . . . .	
7. मैसूर	. . . . .	
8. नागालैंड .	. . . . .	
9. उड़ीसा .	. . . . .	
10. राजस्थान .	. . . . .	
11. तमिलनाडु	. . . . .	
12. त्रिपुरा .	. . . . .	
13. उत्तर प्रदेश	. . . . .	
14. प० बंगाल .	. . . . .	

चावल और मूंगफली का निर्यात

4428. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कुछ बढ़िया किस्म के चावल और मूंगफली का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी है और जब इन वस्तुओं की भारी कमी है, तो उनके निर्यात करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या बम्बई में गोदी श्रमिकों ने इन वस्तुओं को निर्यात करने वाले जहाजों में लदान से इन्कार कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी वस्तुओं के निर्यात करने सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का है जिनकी भारत में तत्काल आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष बढ़िया वासमती चावल की सीमित मात्रा (चावल के कुल उत्पादन का लगभग 0.0003 प्रतिशत) निर्यात की जाती है। यह बढ़िया वासमती चावल समाज के धनी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है और यह जनता में वितरण के लिए राज्य सरकारों को नहीं दिया जाता। सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को दृष्टि में रखते हुए इस किस्म के एक मीटरी टन चावल के निर्यात करने के बदले हम 3 मीटरी टन गेहूं या 3 से 4 मीटरी टन मोटा अनाज आयात कर सकते हैं।

प्रति वर्ष हाथ से चुनी हुई मूंगफली की थोड़ी सी मात्रा (कुल उपज का केवल 0.5 प्रतिशत) निर्यात की जाती है। इस से काफी अधिक मूल्य प्राप्त होता है। हाथ से चुनी हुई मूंगफली में तुलनात्मक रूप से तेल का तत्व कम है और मुख्यतः यह खाने के काम आती है। इसके अतिरिक्त चूंकि हमने कई सालों से मूंगफली के लिए निर्यात मण्डी बनाई हुई है। अतः यह देश के हित में है और यह विश्वसनीयता तथा निरन्तरता के लिए भी जरूरी है जिसे हम निर्यात मण्डी में, किसी वर्ष उत्पादन में उतार-चढ़ाव होने के बावजूद भी बनाए रखना जरूरी समझते हैं।

(ग) मालूम हुआ है कि आल इंडिया पोर्ट एण्ड डाक वर्करस फैडरेशन के अध्यक्ष ने 2-8-73 को एक वक्तव्य जारी किया है कि भारत में वासमती चावल और मूंगफली की कमी को देखते हुए निर्यात के लिए इन चीजों का पोतों पर लदान करने की अनुमती नहीं दी जाएगी। मालूम हुआ है कि फैडरेशन ने इस बहिष्कार को 6-8-73 को वापिस ले लिया है। परन्तु उसने वासमती चावल का निर्यात न होने देने के अपने फैसले पर फिर जोर दिया है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे फैडरेशन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करें कि थोड़ी सी मात्रा में बढ़िया वासमती चावल का निर्यात करने से बम्बई के लोगों को आवश्यक खाद्यान्नों की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ताकि फैडरेशन स्थिति को ठीक ढंग से समझते हुए वासमती चावल के लदान के बारे में अपनी धमकी वापिस ले सके।

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एम्पलौईज़ यूनियन ने लगभग 2097 मीटरी टन मूंगफली ले जाने वाले जहाज के प्रस्थान पर कुछ आपत्ति उठाई थी। बिचार विमर्श करने के बाद मामला सुलझा लिया गया।

(घ) खाद्य वस्तुओं के निर्यात की नीति तैयार करते समय सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिलहाल इस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

फसल में और उसके बाद कृषि वस्तुओं के मूल्यों में घटबढ़

4429. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि मूल्यों पर आधे घंटे की चर्चा के दौरान 1 अगस्त, 1973 को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के भाषण और फसल के समय और कमी वाले महीनों में कृषि मूल्यों में मौसमी घटबढ़ के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने गत 10 वर्षों के लिये मुख्य फसलों के सम्बन्ध में कटाई के दौरान और कमी वाले महीनों में मूल्यों में घटबढ़ सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) इस मंत्रालय का अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय गत दस वर्षों से अधिक समय से प्रमुख कृषि जिन्सों के आंकड़े नियमित रूप से एकत्रित करता आ रहा है । मूल्य सामान्यत: फसल काटने के समय और उसकी बिक्री अधिक होने की अवधि में कम होते हैं और कमी वाले महीनों में अधिक होते हैं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच

4430. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच के लिये राज्य सरकार ने आदेश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(ग) उक्त प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) प्रतिवेदन को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ मामलों की जांच करने के लिये, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत न्यायाधीश, श्री एस० डी० सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग 25, जून, 1970 को नियुक्त किया था । आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । विश्वविद्यालय के परामर्श से रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

महाराष्ट्र में कमी और अकाल राहत कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी की दरों में कटौती किया जाना

4431. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में कमी और अकाल राहत कार्यों में लगे श्रमिकों के लिये मजूरी की दरों में कटौती किये जाने के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह कटौती इस प्रयोजन के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौती से सम्बन्धित है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार आगामी खरीफ फसल की कटाई तक यह सहायता पुनः देने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) जी हां । वयस्क श्रमिकों और 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों की मज़दूरी में क्रमश: 50 और 25 पैसे की निबल वृद्धि को 15 जुलाई, 1973 से खत्म कर दिया गया है ।

राज्य सरकार का यह अनुरोध विचाराधीन है कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई, 1973 तक की अवधि में प्रति वस्यक तथा प्रति बच्चे की मजदूरी में क्रमश: 50 पैसे और 25 पैसे की निबल वृद्धि करने के कारण किये गये खर्च के लिये केन्द्रीय सहायता की अनुमति होनी चाहिये ।

15 जुलाई, 1973 से निबल वृद्धि को खत्म कर देने से प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में भुखमरी के कारण मौतें और आत्महत्या

4432. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भुखमरी के कारण मौतों और आत्महत्याओं के बारे में समाचार देखे हैं ;

(ख) क्या इन मौतों की कोई जांच की गई है;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्यों द्वारा अकाल की स्थिति से निपटने और आगे आने वाले कठिनाई के दिनों में लोगों के लिये खाद्य वस्तुओं की वव्यस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भुखमरी से मौतों के आरोपों के बारे में रिपोर्ट देखी है । राज्य सरकारों ने आवश्यक जांच करने के बाद सूचित किया है कि भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं :—

(1) पम्पों के वितरण, पम्पों की मरम्मत, लघु सिंचाई परियोजनाओं आदि का पूर्ण इस्तेमाल करने जैसी सिंचाई सुविधाओं को तुरन्त सुलभ करने हेतु उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करना ।

(2) पेयजल की सुविधाएं सुलभ करने के लिये योजनाओं को अन्तिम रूप देना ।

(3) यथा-आवश्यक सख्त शारीरिक श्रम योजनाओं और राहत कार्यों को शुरू करना ।

(4) किसानों को कृषि ऋण देना ।

(5) नलकूपों, पम्प सैटों को बिजली देना और नये बोरों/नलकूपों का निर्माण करना ।

(6) जनता और मवेशियों के स्वास्थ्य को बनाये रखने की व्यवस्था करना ।

स्थिति का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दलों ने बिहार और उत्तर प्रदेश का अगस्त, 1973 के दौरान दौरा किया था और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कृषि मंत्री ने स्थल पर स्थिति का अध्ययन करने के लिये बिहार का दौरा किया था । उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की उपयुक्त मात्राएं उपलब्ध की गई हैं ।

छात्रों में नशीली दवा लेने की आदत

4433. **श्री रानेन सेन**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; कि देश के हाई स्कूलों के छात्रों में नशीली दवा लेने की आदत किस सीमा तक है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े निर्माण उपकरण

4434. **श्री रानेन सेन**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले फालतू पुर्जों के अभाव में भारत के 360 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 60 प्रतिशत निर्माण उपकरण बेकार पड़े हैं ;

(ख) क्या इन बेकार पड़े उपकरणों में से 80 प्रतिशत से अधिक उपकरण सरकार के हैं और उन्हीं के द्वारा चलाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन बेकार पड़े उपकरणों को काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) तथा (ख) देश के विभिन्न निर्माण अभिकरणों द्वारा भारत में प्रयोग में लाये जा रहे निर्माण उपकरणों के बारे में कोई सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है कोई निर्माण उपकरण फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार नहीं पड़ा है, जिन के आयात किये जाने की आवश्यकता हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जमाखोरी के उद्देश्य से रखे गये मूंगफली के बोरों का पकड़ा जाना

4435. **श्री रानेन सेन**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1973 के 'इकनामिक टाइम्स' में 'लाख ग्राउन्डनेट बैग्स कारनर्ड' नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जमाखोरी के उद्देश्य से रखे गये मूंगफली के बोरों को पकड़ने तथा जमाखोरों को दण्ड देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

कृषि शिक्षा (फार्म एजूकेशन) पर केन्द्रीय नियंत्रण के लिए आई० सी० ए० आर० सम्बन्धी गजेन्द्रगड़कर समिति द्वारा सिफारिश

4436. **श्री रानेन सेन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अनुसन्धान परिषद के पुनर्गठन के संदर्भ में गजेन्द्रगडकर समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को कृषि शिक्षा (फार्म एजूकेशन) पर नियंत्रण करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जांच समिति की रिपोर्ट 3 अगस्त, 1973 को सभा-पटल पर रख दी गई थी। इसमें देश में कृषि शिक्षा के सुधार और उसे दृढ़ करने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें दी गई हैं। समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, जो कि अब कृषि शिक्षा सम्बन्धी सेवा प्रदान करती है, उसे कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग के रूप में परिणत कर दिया जाये।

(ख) भारत सरकार समिति की सिफारिशों पर देश में वैज्ञानिक संस्थानों के प्रबन्ध को समग्र संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लेगी। तदनुसार मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल नियुक्त किया है ताकि इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करके इन विस्तृत सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा सकें।

Scheme for Drinking Water in Rural Area of Agra Division, U.P.

4437. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of schemes approved so far for making arrangements for providing drinking water in the rural areas of Agra Division of Uttar Pradesh and the salient features thereof ;

(b) the approximate expenditure to be incurred thereon, the number of villages included in these schemes and the number of people likely to be benefited as a result of the implementation ;

(c) when were these schemes started and the time by which these are likely to be completed ; and

(d) the progress achieved in Bah Block of Tehsil Bah and Jaipur Kalan Block of Agra District in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (d) The information is awaited from the State Government. It will be laid on the Table of the Sabha when received.

ट्रैक्टरों की कमी

4438. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष से प्रतिवर्ष लगभग 30,000 ट्रैक्टरों की कमी होगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके उपचार के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सरकार ने व्यवहारिक ग्रार्थिक ग्रनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद से ट्रैक्टरों की सम्भावित मांग का सही पता लगाने के उद्देश्य से एक विस्तृत ग्रौर बाकायदा ग्रध्ययन करने के लिये कहा था। परिषद की ग्रंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ग्रौर सरकार ट्रैक्टरों के देशी उत्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुये उस पर विचार कर रही है। इसके बाद ही ट्रैक्टरों की मांग ग्रौर कमी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों (स्पेयर पार्टस्) की कमी

4439. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों (स्पेयर पार्टस) की कमी से ट्रैक्टरों की उपयोगिता को क्षति पहुंच रही है, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) इस समय राज्यों में ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की कमी होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई करने की दृष्टि से यह मंत्रालय ट्रैक्टरों के साथ 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक फालतू पुर्जों का ग्रायात करने की व्यवस्था करता रहा है। इसके ग्रतिरिक्त राज्य कृषि उद्योग निगमों को ग्रपने ग्रपने राज्य में किसानों को वितरण के लिये भी फालतू पुर्जों के ग्रायात की ग्रनुमति दी गई है। ट्रैक्टरों को वास्तव में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को भी एक सीमा के भीतर फालतू पुर्जों का ग्रायात करने की ग्रनुमति दी जाती है। सभी कृषि उद्योग निगमों को ग्रपने ग्रपने राज्यों में चालू सभी ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। देशी निर्माता ग्रौर उनके विक्रेता भी फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक रख रहे हैं।

केन्द्रीय सरकारी पुस्तकालयों की बिगड़ती हुई स्थिति

4440. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिपोर्ट मिली है कि देश में केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन पुस्तकालयों की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है,

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; ग्रौर

(ग) क्या उन पुस्तकालयों के संचालन सम्बन्धी विनियमों को संशोधित करने का एक प्रस्ताव है ग्रौर यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्य का स्तर गिरता जा रहा है, किन्तु सरकार का यह विचार है कि पुस्तकालय की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई है तथापि, पुस्तकालय की कार्यपद्धति में सुधार की गुंजाइश है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य पुस्तकालयों का सम्बन्ध है, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) डा० वी० एस० झा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता की कार्यपद्धति का अध्ययन किया है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस पुस्तकालय के विकास के लिये उपलब्ध योजना निर्धारण के अन्दर ही यथासंभव कार्यान्वयन के लिये चालू योजना अवधि के दौरान विस्तृत योजनागत योजनायें तैयार की गई हैं। इनमें से कुछ योजनायें कार्यान्वित की जा चुकी हैं अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं। शेष योजनाओं पर कार्रवाई की जा रही है तथा उन्हें शीघ्र ही लागू किया जायेगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 जिसे दिसंबर, 1972 में संसद में पेश किया गया था, पारित तथा लागू होने तक अथवा जब तक राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में एक पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त नहीं हो जाता, जो भी इन दोनों में पहले हो, के कार्य काल से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिये हाल ही में एक प्रबन्ध समिति स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के विकास से संबंधित सभी योजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन से, निदेशक की नियुक्ति होने पर तथा पुस्तकालय के प्रशासन के लिये एक स्वायत बोर्ड की स्थापना से जैसा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम 1972 में व्यवस्था की गई है, जिसे संसद की एक सयुक्त समिति को भेजा गया है यह आशा की जाती है कि पुस्तकालय अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करेगा।

अन्य केन्द्रीय पुस्तकालयों की अभिशासन पद्धति में, जो कि सांविधिक निकाय, पंजीकृत सोसायटियां अथवा सरकारी विभाग है, कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशों से गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये मत्स्य नौका खरीदने के लिये ऋण सुविधायें

4441. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या समुद्र उत्पाद विकास प्राधिकरण ने सरकार से यह सिफारिश की है कि नौवहन विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध ऋण सुविधाओं का, उचित संशोधन करके, विदेशों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकायें खरीदने के लिये विस्तार किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जहाजरानी विकास निधि का संचालन जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जहाजरानी विकास निधि के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के लिये ऋण सुविधायें देने की व्यवहार्यता की जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

दिल्ली में मकानों की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण

4442. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में मकानों की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार कमी को किस प्रकार पूरा करने का है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :
(क) तथा (ख) 1971 की जनगणना के एक भाग के रूप में आवास पर एकत्रित किये गये आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान है कि 1971 में दिल्ली में 1.38 लाख नये रिहायशी मकानों की आवश्यकता थी।

(ग) दिल्ली में मकानों की कमी में राहत पहुंचाने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक आवास योजनाओं का दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी कई श्रेणियों के लोगों को बेचने हेतु दिल्ली के विभिन्न स्थानों में रिहायशी एककों का बड़ी संख्या में निर्माण करता रहा है। निर्माण की गति में तेजी भूमि, निधियों, निर्माण सामग्री तथा आधारभूत संरचना की सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

पुस्तक वित्त निगम की स्थापना

4443. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक वित्त निगम की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दिया जायेगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) से (ग) : इस सम्बन्ध में एक सुझाव की जांच की जा रही है। उसके ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं। इसमें कुछ समय लगेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में महिला छात्र के साथ छेड़छाड़ करने का समाचार

4444. चौधरी दलीप सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में भोली भाली महिला छात्रों के साथ छेड़खानी किये जाने जैसे कुछ अवांच्छनीय कार्यों के बारे में शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है अथवा कराने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में सूखा ग्रस्त क्षेत्र

4445. **श्री रामकंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के कई भाग सूखे से प्रभावित हुये हैं,

(ख) क्या सरकार को इस बारे में मैसूर सरकार से सूचना मिली है, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) इस वर्ष मैसूर राज्य में सूखे की स्थिति होने के बारे में राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पिछले वर्ष, राज्य के कुछ भाग सूखे से प्रभावित हुये थे।

(ग) पिछले वर्ष सूखे के कारण किये गये राहत उपायों के लिये राज्य सरकार को 26.50 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

खेल कूद के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

4446. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में खेल कूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र कितने होंगे और ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) अतिरिक्त क्षेत्रीय अध्यापन केन्द्रों की स्थापना के लिये पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में व्यवस्था की गई है। आयोजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर, राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन राज्यों में अतिरिक्त, प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे जहां ऐसा केन्द्र विद्यमान नहीं है। राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हो जाने पर केन्द्रों की संख्या और स्थान निर्धारित किये जायेंगे।

छिपे खाद्यान्न को निकालने के लिये की गयी कार्यवाही

4447. **श्री एस० एम० बनर्जी** :

श्री बयालार रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में छिपे खाद्यान्न को निकालने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को आदेश दे दिये गये हैं;- और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं द्वारा रखे जाने वाले गेहूं और खाद्यान्नों के स्टाक की अधिकतम सांविधिक सीमा निर्धारित करें और जमाशुदा खाद्यान्नों को निकलवाने के बारे में उचित कार्यवाही करें। ऊंचे मूल्यों और आवश्यक जिन्सों की कमी तथा उनके वितरण में कृत्रिम रुकावटों से पेदा शुदा वर्तमान कठिन परिस्थितियों को देखते हुये, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया है कि वे खाद्यान्नों सहित आवश्यक जिन्सों से संबंधित विभिन्न मामलों को विनियमित करने के लिये भारत सुरक्षा नियम, 1971 का प्रयोग करें और जमाखोरी, काला बाजारी तथा आवश्यक सप्लाई को बनाये रखने में बाधक अन्य समाजविरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के संरक्षण के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करें।

खम्बाटाकी पहाड़ी (महाराष्ट्र) के बीच से सुरंग

4448. **श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव किया है कि सीधी चढ़ाई बचाने के लिये खम्बाटाकी पहाड़ी के बीच से एक सुरंग बनाई जाये;

(ख) इस पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा; और

(ग) प्रस्ताव के कब तक मंजूर किये जाने की आशा है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 के पूना कोल्हापुर खंड के खम्बाटाकी घाट के सुधार का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव में 19.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 190 मीटर लम्बी एक सुरंग की व्यवस्था भी शामिल है। भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थान पर ही संयुक्त निरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा कुछ और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इन सवक्षणों के परिणामों के प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव की और जांच की जायेगी।

कटराज और खम्बाटकी के बड़े घाटों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई योजना

4449. **श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कटराज और खम्बाटकी के दो बड़े घाटों के निर्माण कार्यों के लिये प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या केन्द्र की मंजूरी न मिलने के कारण कार्य रुक गया है; और

(घ) प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जायेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) जी, हां। कटराज और खम्बाटकी घाटों की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार का प्रस्ताव, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुये हैं, जिनकी मोटे तौर पर 169.18 लाख रुपये लागत होगी।

(ग) और (घ) इन प्रस्तावों में से प्रत्येक की स्थिति निम्न प्रकार से होगी :—

(1) **कटराज घाट** : भारत सरकार के एक अधिकारी ने स्थल पर ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों का निरीक्षण कर कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था। हाल ही में, राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और जिनकी इस समय जांच की जा रही है।

(2) **खम्बाटकी घाट** : भारत सरकार के एक अधिकारी और राज्य मुख्य इंजीनियर द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के परिणामस्वरूप, प्रस्तावित सुधारों की शक्यता की जांच के लिये, राज्य सरकार अधिकारी सड़क के साथ-साथ कुछ और सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणाम प्राप्त होने पर इन प्रस्तावों की और जांच की जायेगी।

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल का खराब होना

4450. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद जिले, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है; और

(ग) वहां निर्धनों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विलम्ब से वर्षा होने के कारण खरीफ फसल को कुछ हद तक क्षति पहुंची है। फिर भी अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आशा है कि बाद में हुई वर्षा से इसकी पूर्ति हो जायेगी।

(ग) राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिये निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है:—

1. अल्पकालीन ऋण देकर कृषि आदानों का वितरण करना।

2. सिंचाई सुनिश्चित करके खड़ी फसलों को बचाने का कार्यक्रम।

3. वनस्पति रक्षण उपाय।

4 वैकल्पिक फसलों के लिये बीजों की पूर्ति की व्यवस्था करके वैकल्पिक फसल पैदा करने का कार्यक्रम।

उत्तर प्रदेश में डेरी और पशु पालन की गहन योजनाएं

4451. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उतर प्रदेश के किन-किन जिलों में आगामी पांच वर्षों में सरकार का विचार डेरी और पशुपालन की गहन योजनायें आरम्भ करने का है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार निम्नलिखित परियोजनायें स्थापित करना चाहती हैं :—

(i) लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा हल्दानी में स्थित छः परियोजनाओं के अतिरिक्त तीन सघन पशु विकास परियोजनायें, अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि योजनाएं किन जिलों में स्थापित की जायेंगी।

(ii) पूर्वी जिलों के लिये गोरखपुर तथा फैजाबाद में संयुक्त योजना के अन्तर्गत दो सघन पशु विकास परियोजनायें स्थापित करने का विचार है।

(iii) राज्य सरकार ने लखनऊ-कानपुर क्षेत्र में सघन पशु तथा डेरी विकास हेतु एक वृहत परियोजना भी तैयार की है। यह परियोजना लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, फतहपुर तथा बारांबंकी जिलों के लिए है।

2. जहां तक डेरी विकास का सम्बन्ध है, सघन डेरी परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में चारे की स्थिति

4452. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सूखा की स्थिति से पैदा हुई चारे की समस्या से निपटने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जुलाई के प्रथम तीन सप्ताहों में कम वर्षा होने के कारण उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनमें से 7 जिलों से चारे की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी, परन्तु सब जिलों में पर्याप्त वर्षा होने से अब चारे की कमी नहीं है। तथापि, किसी भी प्रभावित जिले में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं।

जिन जिलों में सूखे की स्थिति मौजूद थी वहां राज्य सरकार पशुओं के लिये भसे की सप्लाई करने की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने ठेकेदारों के माध्यम से 11000 क्विंटल भूसे की सप्लाई की व्यवस्था की है।

खरीफ मौसम के दौरान राज्य के पशु-पालन निदेशक ने चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को उन्नत किस्म के चारे के बीजों की निम्नलिखित मात्रा वितरित की थी :—

(i) ग्वार के बीज—626 क्विंटल

(ii) लोबिया के बीज—106 क्विंटल

(iii) चरी—27 क्विंटल

राज्य सरकार ने रबी के चारे के बीजों की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई करने के लिये भी प्रबन्ध करने शुरू कर दिये हैं :—

(i) जई के बीज—3300 क्विंटल

(ii) बरसीम के बीज—1100 क्विंटल

(iii) लुसर्न के बीज—200 क्विंटल

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तनों पर अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पत्तन कार्यकारी दल के सुझाव

4453. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय में पत्तन कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि भारत को विश्व नौवहन प्रवृतियों को देखते हुये और अपने निर्यात को लाभप्रद बनाने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तनों पर अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने और क्या सुझाव दिये हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने इसको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु इस पर विचार करना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पत्तन के कार्य दल ने भारतीय पत्तनों पर द्रुत विराम काल और यातायात के अधिक कम खर्चीली धरा उठाई के लिये बेहतर पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कई योजनाओं की सिफारिश की है। इनमें बम्बई पत्तन में तेल धराउठाई के लिये अच्छी सुविधाओं मद्रास पत्तन और विशाखापत्तनम पत्तन में 150,000 डी० डब्ल्यू० टी० अयस्क वाहकों को खपाने की सुविधाओं मार मुगाव पत्तन में 100,000 डी० डब्ल्यू० टी० अयस्क वाहकों को खपाने की सुविधाओं और सभी बड़े पत्तनों पर सुविधाओं में सामान्य सुधार की व्यवस्था भी शामिल है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पत्तनों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर अभी भी योजना आयोग से परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पांचवीं योजना में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये परिव्यय के बारे में सहयोग सम्बन्धी कार्यकारी दल

4454. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय के सहयोग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने की विभिन्न योजनाओं पर 458 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना आयोग ने उन पर कहां तक अनुमति दी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सहकारिता क्षेत्र में शामिल की जाने वाली विभिन्न स्कीमों के लिये 694 रुपये से 724 करोड़ रुपये तक के परिव्यय की सिफारिश की है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी 5508/73]

(ग) ये स्कीमें अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

भारत और यूगोस्लाविया के बीच सांस्कृतिक करार

4455. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री वी० मायावन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया ने अगस्त, 1973 में सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां, भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग के कार्यकारी कार्यक्रम पर वर्ष 1973 और 1974 हेतु 2 अगस्त, 1973 को हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन दोनों देशों प्रोफेसरों, लेखकों, कलाकारों और संगीत तथा नृत्य मंडलियों, पत्रकारों, डाक्टरों का आदान-प्रदान करगे, और उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिये छात्रवृतियां प्रदान करेंगे तथा वैज्ञानिक व साहित्यक प्रकाशनों, पुरलेख सामग्री और माइक्रो फिल्मप्रतियों का आदान प्रदान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की उत्कृष्ट साहित्यक कृतियों के अनुवाद और प्रकाशन के लिये सुविधायें प्रदान करेंगे। दोनों देश, प्रसारण और टेलीविजन की सामग्री के विनियम के लिये अपनी-अपनी रेडियो और टेलीविजन सेवाओं में सीधे सहयोग के समर्थन के लिये भी सहमत हो गये हैं। इस कार्यक्रम के दौरान यूगोस्लाव की ओर से भारत में यूगोस्लाव फिल्मों के एक उत्सव का भी आयोजन किया जायेगा तथा एक कला प्रदर्शनी भी आयोजित की जायेगी। इस कार्यक्रम, में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों तथा प्रोफेसरों की एक संयुक्त समिति की स्थापना भी शामिल है जो विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, बिक्री तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों तथा स्त्रोतों का पता लगायेगी।

अन्तिम रूप से स्वीकृत कार्यक्रम की प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "आर्डर पैक्स प्राफिट फोर बिग ड्रग मेकर्स" शीर्षक से समाचार

4456. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "आर्डर पैक्स प्राफिट फोर बिग ड्रग मेकर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी सहायक कम्पनियां 'कट-ग्लास' बोतलें, 'फैंसी कैप्स' और शानदार तथा महंगे डिब्बे जैसी डिलक्स पैकेजिंग करने लगी हैं जिससे कीमत और उनका लाभांश बढ़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस प्रश्न में जिस प्रेस रिपोर्ट का उल्लेख है उस में किसी विशेष मामलों का जिकर न होने के कारण कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है जैसे, कुछ फर्मों का तुरन्त सर्वेक्षण किया गया है तथा मूल्य आवेदनों में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी कम्पनियों और भारतीय एककों द्वारा पैकिंग सामग्री की जो कीमत ली जाती है, वह आमतौर पर एक जैसी ही हैं। पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने एक मूल्य पुनरीक्षण बोर्ड का गठन किया है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, वित्त तथा उद्योग विकास जैसे अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस बोर्ड ने हाल ही में कुछ ऐसी कार्यसाधक प्रणाली तैयार की है जिस से पैकिंग पर कम लागत आये और दवाइयों की कीमतें भी कम रहें।

गेहूं को उपभोग के अनुपयुक्त बनाने के लिये ब्रिटिश सरकार की योजना

4457. **श्री झारखण्डे राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं को मानवीय उपभोग के अनुपयुक्त बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार इस वर्ष 40 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्य कृषि-नीति के अनुसार गेहूं की कीमत को अधिक बनाये रखने की दृष्टि से बनाये गये सामान्य बाजार विनियम के अधीन ऐसा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो भारत सहित अनेक देशों में अभाव की स्थिति के होते हुए गेहूं को मानवीय उपभोग के अनुपयुक्त बनाने की इस नीति के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या उक्त मामले की ओर खाद्य तथा कृषि संगठन का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) : इस विषय से सम्बन्धित समाचार सरकार के नोटिस में आया है। तथापि, यह विदेशी सरकारों का आन्तरिक मामला है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के कार्य-कालावधि स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम

4458. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए कार्य-कालावधि स्थानान्तरण नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो नियमों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन की विद्युत् डिविजन संख्या -1 में कुछ ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर हैं जो नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से अधिक समय से एक ही स्थान पर लगातार काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन कनिष्ठ इंजीनियरों के नाम क्या हैं; प्रत्येक इंजीनियर कितने समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य वि ाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानान्तरण नियमों की मुख्य 2 बातें अनुलग्नक में दी गई है।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5509/73]

(ग) जी, हां। ऐसे दो कनिष्ठ इंजीनियर दिल्ली प्रशासन विद्युत् मण्डल नं० 1 में कार्य कर रहे हैं।

(घ) नाम	अवधि
1. श्री वीरेन्द्र कुमार	23-5-62 से अद्यतन
2. श्री के० आर० वर्मा	1-2-65 से अद्यतन

दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर स्थानान्तरण के सामान्य नियमों में समय-समय पर ढील देकर श्री वीरेन्द्र कुमार की अवधि को बढ़ाया गया।

जहां तक श्री वर्मा का सम्बन्ध है, वह अब दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण के पात्र हो गये हैं। किफायत के तौर पर सरकार ने फिलहाल सरकारी अधिकारियों के क्रमावर्तन स्थानान्तरण पर रोक लगाने का निर्णय किया है। इस दृष्टि से ये अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर कुछ और समय तक बने रह सकते हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय के साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों के क्वार्टर

4459. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न पूछ-ताछ कार्यालयों के साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी क्वार्टरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन क्वार्टरों के आवंटन के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो नियमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नियम बनाए जा रहे हैं।

(ग) नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक इन क्वार्टरों का आवंटन अनिवार्य ड्यूटी वाले ऐसे स्टाफ को किया जा रहा है जिन्हें समय-समय विभिन्न कार्य करने होते हैं।

विवरण

पूछताछ कार्यालय का नाम	संलग्न क्वार्टरों की संख्या
1. सेक्टर VIII तथा IX रामकृष्णपुरम	13
2. सेक्टर XII, रामकृष्णपुरम . . .	13
3. सरोजिनी नगर	4
4. शाहजहां रोड	1
5. कस्तूरबा नगर . .	1
6. कुश्क रोड .	4
7. नार्थ एवेन्यू . .	1
8. साउथ एवेन्यू . .	1
9. फिरोजशाह रोड	2
10. अन्य सभी पूछताछ कार्यालय	– कुछ नहीं –
	40

बिहार स्टेट डमान्स्ट्रेटर्स एसोसिएशन भागलपुर द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन

4460. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्टेट डेमान्सट्रेटर्स एसोसिएशन, भागलपुर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक पुनरीक्षित ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उनकी मांगों में प्रदर्शकों (डेमान्स्ट्रेटर्स) के लिए 560–40–800–50–1050 रु० के वेतनमान की व्यवस्था विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रदर्शकों के पद बनाए रखने की आवश्यकता तथा प्रदर्शकों के लिए उच्च शिक्षा तथा पदोन्नति की सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। यद्यपि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के प्रस्तावों की जांच सरकार द्वारा की जा रही है, किन्तु अन्य मांगों पर विचार करना विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर करता है।

Acute Water Crisis in Patna Town

4461. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the various Muhallas under the Patna Municipal Corporation are facing acute water crisis;

(b) whether the people of Sultan Ganj, Badarghat, Maharaj Ganj, Mohalias of Patna town have to wait at taps for water for hours;

(c) if so, whether Bihar Government have submitted a scheme to the Central Government to solve the water crisis there; and

(d) if so, the particulars thereof and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कत्थक केन्द्र का नई दिल्ली की नई इमारत में स्थानान्तरण

4462. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित कत्थक केन्द्र वर्तमान स्थान से (लिटन रोड, नई दिल्ली) बदल कर दूर दक्षिण दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई इमारत का किराया क्या है; और

(घ) क्या वर्तमान स्थान के आसपास कोई इमारत प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप- मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

1973–74 में फसल उत्पादन की सम्भावनाएं

4463. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में मध्य अगस्त तक मानसून के रुख को देखकर 1973–74 के लिए फसल उत्पादन की सम्भावनाओं का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या अनुमानित उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने अन्य स्रोतों से अनाज आदि मंगाने हेतु पहले ही कार्यवाही शुरु कर दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) चालू मौसम के दौरान देश के अधिकांश भागों में कुल वर्षा आमतौर पर सन्तोषजनक रही है। यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ क्षेत्रों में जहां सूखे के प्रकोप के कारण कृषि कार्यों पर असर पड़ा था, बाद में हुई वर्षा लाभदायक सिद्ध हुई है। तथापि, खाद्यान्नों का उत्पादन मौसम के शेष भाग में स्थिति अनुकूल होने पर भी निर्भर करेगा। फिर भी इस समय फसल की संभावनाए अच्छी प्रतीत होती हैं। देशों में खाद्य स्थिति पर निगाह रखी जा रही है और यदि कमी हुई तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे, जिनमें आयात करके सप्लाई में वृद्धि करना भी शामिल है।

ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिए अनुमति

4464. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर कैलाश भाग-2, नई दिल्ली में सब ब्लाकों में पानी और बिजली की व्यवस्था करने और कालोनी में बूस्टर पम्पिग स्टेशन लगाने में इस बीच कुछ प्रगति हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पड़ोस की चितरंजन पार्क कालोनी में बने प्रत्येक मकान में पानी और बिजली की सप्लाई की गई है जबकि सीमांकन रेखा के पार मकान बनाने वालो को ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो स्पष्ट भेदभाव के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या कालोनी में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु नगर निगम से कुछ प्रबन्ध किए जा सकते हैं और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ग्रेटर कैलाश भाग II के सभी ब्लाकों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई है तथा कालोनी में अस्थायी बूस्टर पम्पिग स्टेशन की स्थापना भी कर दी गई है।

जबकि दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान द्वारा ग्रेटर कैलाश भाग 2 के 'ई' ब्लाक में बिजली का सामान्य कार्य पहले ही किया जा चुका है, परन्तु शेष ब्लाको का यह कार्य चल रहा है।

(ख) तथा (ग) : प्रवर्तकों द्वारा सामान्य व्यापारिक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर चितरंजन पार्क में 5 से 6 वर्ष पूर्व बिजली लगा दी गई थी। दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान की नीति के अनुसार उन क्षेत्रों में जहां बिजली मौजूद है, भावी उपभोक्ता व्यापारिक औपचारिकताएं पूरी करके बिजली के कनेक्शन ले सकते थे। अतः भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ई-ब्लॉक की सड़कों की बिजली की सेवा दिल्ली विद्युत् वितरण संस्थान द्वारा अनुरक्षण हेतु हाथ में ले ली गई है। सामान्य विद्युतीकरण जिस में सड़कों की बिजली की व्यवस्था करना भी शामिल है, के पूर्ण होने के बाद ही केवल शेष ब्लॉकों की सड़कों की बिजली के अनुरक्षण का प्रश्न उठेगा। फिलहाल कार्य पूरा करने की अवधि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों के अधीन खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण और अनाज की चोरबाजार में बिक्री को रोकना

4465. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण और चोरबाजार के भावों पर अनाज की बिक्री को रोकने के लिए भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों का प्रयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में कितने मुकदमे चलाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं और इस प्रयोजन के लिए कानून के कौन से उपबन्ध लागू किये जा रहे हैं और क्या उन्हें प्रभावी पाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

"प्रोक्योरमैंट बाई इन्टिमिडेशन" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4466. **श्री चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'प्रोक्योरमैन्ट बाई इन्टिमिडेशन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार 16 जुलाई, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "प्रोक्योरमेंट बाई इन्टीमिडेशन" के समाचार से अवगत है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। किसानों को सुविधा प्रदान करने और अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के लिए उन्होंने ग्राम स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य शुरु किया था। किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया था।

दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर एक बूथ और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था

4467. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनगर के बस स्टाफ पर दैनिक यात्रियों और बसों की समय विशेष पर उपलब्ध संख्या का निर्धारण करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का एक ए० टी० आई० नियुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समय विशेष पर बस उपलब्ध न होने की स्थिति में दिल्ली परिवहन निगम के डिपो में संबंध बनाये रखने हेतु उसे एक टेलीफोन और एक कार्यालय बूथ की न्यूनतम सुविधा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) जी हां। त्रिनगर बस स्टैन्ड पर एक दिल्ली परिवहन निगम का सहायक यातायात निरीक्षक तैनात किया गया है जो स्टैन्ड से यातायात निकासी को देखता है और चलने वाली बस सेवाओं को विनियमित करता है इस समय इस बस स्टैन्ड पर कोई कार्यालय बूथ नहीं है परन्तु शीघ्र ही उसकी व्यवस्था करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं । बस स्टैन्ड पर टेली-फोन लगाने के प्रश्न के बारे में भी निगम टेलीफोन प्राधिकरण से बातचीत कर रहा है।

U.P. Muslim League demand for Reservation for Muslim in A.M.U.

4468. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Uttar Pradesh Muslim League has made a demand for reserving 65 per cent seats for Muslims in Aligarh Muslim University;

(b) whether the League has also made a demand that most of posts in management and staff of the University be also reserved for Muslims; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b) Neither the Government of India nor the Aligarh Muslim University has received any such demand.

(c) Does not arise.

लैटिन अमरीकी देशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

4469. **श्री बेकरिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970 से लैटिन अमरीकी देशों को कितने सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भेजे गये हैं;

(ख) इन शिष्टमण्डलों ने, अलग-अलग किन देशों की यात्रा की है; और

(ग) इन देशों से इनका अब तक क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1970 के बाद लैटिन अमरीकी देशों को दो अभिनय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भेजे गए हैं।

(ख) वेनेजुला, पनामा, मैक्सिको, गुयाना, त्रिनिडाड और जमैका (प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी इच्छा से अमरीका, यू० के०, फ्रांस और प० जर्मनी का भी दौरा किया।

(II) वेनेजुला, मैक्सिको, क्यूबा, और गुयाना, सुरिनाम, टोबागो, त्रिनिडाड और ट्यूनिशिया।

(ग) भारतीय संगीतज्ञों और नृतकों के अभिनय को बहुत सराहा गया। इन कलाकारों के अभिनत्य के जरिए इन देशों में भारतीय संगीत और नृत्य के प्रति रुचि जागृत हुई है। प्रतिनिधिमण्डलों के जरिए इन देशों के साथ परस्पर सद्भावना और समझ-बूझ बढ़ी है।

ईराक से शैक्षिक प्रतिनिधिमंडल

4470. **श्री बेकारिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक के एक शैक्षिक प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) 19 अप्रैल, 1973 को हस्ताक्षर किये गये संशोधित भारत-इराकी सांस्कृतिक करार के अनुसरण में, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कला तथा संस्कृति, खेल स्वास्थ्य, रेडियो, प्रेस तथा टी०वी० इत्यादि के क्षेत्रों में और सहयोग तथा आदान-प्रदान के ब्यौरे पर विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों में यह सहमति हुई थी कि इस सांस्कृतिक करार के दस्तावेजों के अनुसमर्थन के आदान-प्रदान के पश्चात् इन क्षेत्रों में विनिमय का एक नियमित कार्यक्रम चलाया जाए।

शिक्षा संस्थाओं में मैदान में खेले जाने वाले खेलों को अनिवार्य बनाने की योजना

4471. **श्री बेकारिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं में मैदान में खेले जाने वाले खेलों को अनिवार्य बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार पूछे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

देश में गेण्डे तथा उनकी सुरक्षा

4472. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार तथा राज्य-वार प्रत्येक शरण्य-स्थलों में गैंडों की संख्या क्या है; और

(ख) उनकी सुरक्षा के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गैन्डे देश के केवल दो राज्यों—असम और पश्चिम बंगाल-में ही पाये जाते हैं।

(1) देश में गैन्डों की कुल संख्या 757 है।

(2) राज्यों में गैन्डों की संख्या निम्न प्रकार है :—

असम :	काजीरंगा आश्रय-स्थल	670	705
	ओरंग आश्रय-स्थल	35	

(अन्य आश्रय-स्थलों तथा क्षेत्रों में गैन्डों की संख्या के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है)।

पश्चिम बंगाल :	जल्दापारा आश्रय-स्थल	45	52
	गोरुमोरा आश्रय-स्थल	7	

(3) **पश्चिम बंगाल में गेंडों की संख्या के विषय में वर्षवार आंकड़े**

1971–72	80
1972–73	58
1973–74	52

(असम के विषय में वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ख) गैन्डा सुरक्षा अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत असम में गेंडों को सुरक्षित पशु घोषित किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिये होम गार्ड और विशेष सशस्त्र सुरक्षा दल गस्त लगाते रहते हैं।

पश्चिम बंगाल में गेंडों की सुरक्षा के लिये उठाये गये कदमों में आश्रय-स्थलों में गश्त लगाना सशस्त्र एन० वी० एफ० के आदमियों की नियुक्ति करना, मौजूदा सुरक्षा कर्मचारियों को सशस्त्र करके सुदृढ़ बनाना, सादे कपड़ों में निगरानी रखने वालों की नियुक्ति करना, गैन्डों की चोरी करने वालों का पता लगाने के लिये इनाम देना आदि शामिल हैं। वन्य प्राणि (सुरक्षा) अधिनियम. 1972 को पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है।

ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम के अधीन जनता के कमजोर वर्ग के लिए आवास परियोजनाएं

4473. **श्री चिरंजीव झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण रोजगार द्रुत योजना के अधीन समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग के लिये कितनी आवास परियोजनाएं बनाई गई और कितने ग्रामीण गोदाम बनाये गये ;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं वर्ष 1973–74 में बिहार में क्रियान्वित की जायेंगी; और

(ग) उपरोक्त राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय सरकार ने केरल और राजस्थान के राज्यों के लिए ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर तथा निर्धन वर्गों के लिए आवास परियोजनाएं मंजूर कीं। इस त्वरित योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गोदामों का निर्माण करने की मंजूरी केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए दी गई थी।

(ख) बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Crop Insurance on Pattern of Japan and Sri Lanka

4474. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce Crop Insurance in India similar to that in Japan and Sri Lanka:

(b) if so, the time by which it would be introduced; and

(c) the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The Government do not propose to introduce Crop Insurance in India similar to that in Japan and Sri Lanka. However, it is proposed to introduce a pilot scheme of Crop Insurance in selected areas for selected crops on the lines of the pilot Scheme on Crop Insurance for Hybrid-4 Cotton being implemented in Gujarat by the New India Assurance Co., Ltd., a subsidiary of the General Insurance Corporation.

Shortage of Glaxo Milk Food at Super Bazar, New Delhi

4475. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is always a shortage of Glaxo Infant Milk Food in the Super Bazar, New Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) There has been short supply of Glaxo Infant Milk Food by the manufactures to the Super Bazar, New Delhi, during the past six months or so.

(b) The main reason is the considerable fall in the production of Glaxo Infant Milk Food by the manufacturers, due to poor collection of wet milk on account of drought conditions in U.P., as also shortage of skimmed milk powder during the period.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों के डीमांस्ट्रेटर्स के लिये प्रस्तावित वेतनमान

4476. **श्री चिरंजीव झा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन प्राध्यापकों के लिये 700–1600 रुपये का वेतन-मान स्वीकार कर लिया है जो इस समय 300–600 रुपये/400–800 रुपये/400–950 रुपये

के वेतन-मान प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डीमांस्ट्रेटर्स के लिए केवल 300—600 रुपये के वेतन-मान का सुझाव दिया है जो पहले ही 375-565 रुपये, 425—565 रुपये के वेतन-मान प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्व-विद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मानों के बारे में विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभि-शासन से संबंधित अपनी समिति की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर सर-कार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कालेजों के डिमांस्ट्रेटर्स को उच्च शिक्षा और पदोन्नति की सुविधाएं देनें का प्रस्ताव

4477. श्री चिरंजीव झा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार कालेजों के डीमांस्ट्रेटस को उच्च शिक्षा के लिये सुविधायें देने और उन्हें लेक्चरार के रूप में पदोन्नति करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन सिफारिशों को कसे और किस रूप में क्रिया-न्वित करना चाहता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) प्रदर्शकों सहित अपने अध्यापकों की अर्हताओं के सुधार के लिये सुविधायें प्रदान करने हेतु किसी सिफारिश को कार्यन्वित करना विश्वविद्यालयों का काम है। प्रदर्शकों की लेकचरारों के पदों पर नियुक्तियां, उन पदों की संख्या और यथोचित रूप से गठित प्रवरण समिति की सिफारिश पर निर्भर करती है।

'स्लेव सिस्टम' से अनिवार्य उद्ग्रहण के आधार पर विपणन योग्य फालतू गेहूं की सरकार द्वारा स्वयं खरीद

4478. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गेहूं की वसूली के अनुभव की दृष्टि से, गरीब किसानों को छोड़कर और लाभप्रद मूल्य देकर, 'स्लेब सिस्टम' से अनिवार्य उद्ग्रहण के आधार पर विपणन योग्य समूचे फालतू गेहूं की स्वंय सरकार द्वारा ही खरीद करने का विचार है और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : गेहूं का थोक व्यापार लेने के फलस्वरूप गेहूं की थोक मात्रा की खरीदारी केवल स्वीकृत सरकारी एजेंसियां करती हैं। केवल बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में गेहूं के उत्पादकों पर अनिवार्य लेवी की प्रणाली लागू की गई थी। क्योंकि गेहूं की भारी अधिप्राप्ति का मौसम समाप्त हो गया है इसलिए अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में इस स्थिति में अनिवार्य लेवी की प्रणाली लागू करना व्यवहार्य नहीं समझा जाता है। लेकिन चालू अधिप्राप्ति के दौरान प्राप्त अनुभव भावी अधिप्राप्ति-नीतियों के तैयार करने में लाभदायक सिद्ध होगा।

उत्तर प्रदेश में वर्षा के कारण फसल को क्षति

4479. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सप्ताह भारी वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में से 21 जिलों में फसल को भारी क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार जुलाई, 1974 के अंतिम सप्ताह से 39 जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण लगभग 22,77,631 एकड़ क्षेत्र को छति पहुंची और इससे लगभग 7,03,24,032 रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। इससे प्रभावित लोगों को निम्नलिखित सहायता दी गई :—

	लाख
अनुग्रह सहायता	81.26
प्रकीर्ण सहायता	6.02
कुल	87.28

उच्चतर शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी पर विचार करने के लिये समिति

4480. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है जैसा कि सितम्बर, 1972 में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की 36वीं बैठक में पास किये गए संकल्प में इच्छा व्यक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और वह किस तारीख को नियुक्त की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति कब तक नियुक्त कर दी जायेगी और विलंम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी" पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति मई, 1973 में नियुक्त की थी :—

1. प्रो० एस० एन० सेन
   कुलपति,
   कलकत्ता विश्वविद्यालय ।

2. श्री एन० सुन्द्रवदीवेलर,
कुलपति,
मद्रास विश्वविद्यालय।

3. श्री टी० के० टोपे,
कुलपति,
बम्बई विश्वविद्यालय।

4. प्रो० ए० बी० लाल (भूतपूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय)

5. श्री जे० पी० नायक (भूतभूर्व सलाहाकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भूतपूर्व वैज्ञानिक द्वारा लगाये गये आरोपों पर बाद में की गई कार्यवाही

4481. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संबंधी गजेन्द्र-गड़कर समिति ने स्वर्गीय डा० विनोद शाह, जिन्होंने 4 मई, 1972 को आत्महत्या कर ली थी, द्वारा लगाये गये आरोपों को आंशिक रूप से ठीक बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में बाद की कार्यवाही आरम्भ करने और प्रत्येक गलती की उचित जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की रिपोर्ट 3 अगस्त, 1973 को सभा-पटल पर रख दी गई थी। स्वर्गीय डा० विनोद शाह द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में समिति के विचार इस रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार इसकी सिफारिशों की विस्तृत जांच करके ही निर्णय ले सकती है। तदनुसार मंत्रिमंडल ने इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल नियुक्त किया है, ताकि इसकी विस्तृत सिफारिशों के संबंध में निर्णय लिये जा सकें। जहां कहीं आवश्यक होगा, सरकार के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जाएगी।

आर० के० पुरम, सैक्टर VI नई दिल्ली में धार्मिक उद्देश्यों के लिये सरकार द्वारा प्लाटों का नियतन और आवंटन किया जाना

4482. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर० के० पुरम, सेक्टर VI, नई दिल्ली में धार्मिक उद्देश्यों के लिये प्लाट नियत किये हैं तथा उनका आवंटन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन प्लाटों का व्यौरा क्या है और ये प्लाट किन संगठनों/व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं अथवा आवंटित करने का विचार है ;

(ग) क्या इन प्लाटों का कच्ची/अस्थाई दिवार आदि बनाकर सीमांकन-कार्य पूरा कर दिया गया है यदि नहीं, तो यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ;

(घ) क्या भूमि समतल करने, मल निस्सारण व्यवस्था आदि के विकास कार्य पूरे हो गए हैं ; और

(ङ) इन प्लाटों पर यदि अनाधिकृत अस्थाई रूप से निर्माण हुआ है तो उसे रिक्त करा कर इन के अलाटियों को इन प्लाटों का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी हां, धार्मिक उद्देश्य से आवंटन करने के लिए सेक्टर VI रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में कुछ प्लाट निर्धारित किए गए हैं। श्री ज्वालामुखी दुर्गा मंदिर (हिमाचल संस्था) की एक धार्मिक भवन के निर्माण के लिए एक प्लाट (नम्बर 3) आवंटित किया गया है। शेष प्लाटों के आवंटन के बारे में कोई विशेष निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) प्लाटों के सीमांकन, क्षेत्र को समतल करने, बरसाती पानी के नालों की व्यवस्था करने तथा एक वाह्य मार्ग का निर्माण आदि का कार्य रुक गया है क्योंकि उस भूमि पर कई अनधिकृत मंदिर मौजूद हैं ।

(ङ) श्री ज्वाला मुखी दुर्गा मंदिर (हिमाचल संस्था) को आवंटित स्थान का दखल यथा संभव शीघ्र दे दिया जायेगा ।

पुस्तकों के आयात में सम्बन्ध में पुस्तक प्रतिष्ठान (बुक फाउंडेशन) की स्थापना का प्रस्ताव

4484. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुस्तकों के आयात के संबंध में एक पुस्तक प्रतिष्ठान की स्थापना के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसा कि हाल में प्रस्ताव आयात के संबंध में हुई चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत सुरक्षा नियमों के अधीन अतिरिक्त गेहूं के भण्डारों को कब्जे में करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश

4485. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के अधीन किसानों और बाजार से गेहूं के अतिरिक्त भंडारों को कब्जे में करने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं, और

(ख) यदि हां, तो अनाज के जमा भंडारों को बाजार में लाने में यह सरकार कहां तक सफल रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गेहूं (बिक्री की आवश्यकता) आदेश, 1973 नामक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अन्तर्गत अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक गेहूं से अधिक गेहूं का स्टाक रखने वाले उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को अपना फालतू गेहूं राज्य सरकार को बेचने के लिए कहा जा सकता है। इस आदेश का जमाशुदा गेहूं को बाहर निकलवाने में सामान्यतया अच्छा प्रभाव पड़ा।

गेहूं के लिए बिहार से आया प्रतिनिधिमण्डल

4486. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में उन से मिला है;

(ख) क्या इस दल ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं वितरित करने के लिए उन्हें गेहूं तुरन्त सप्लाई किया जाये, और

(ग) यदि हां, तो यह मांग किस सीमा तक स्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां। हाल ही में कृषि मंत्री के बिहार के दौरे के दौरान बिहार के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य के राजस्व मंत्री सहित एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्य के गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था। मूलतः आवंटित किए गए 40,000 मी० टन गेहूं के अलावा अगस्त, 1973 के लिए 5,000 मी० टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार को पंजाब से राज्य से राज्य के आधार पर 10,000 मी० टन मकई खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

Buses by Co-operative Societies in Delhi

4487. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government would encourage the Co-operative Societies to run the buses in Delhi ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) and (b). There is already a provision in the Motor Vehicles Act, 1939, for preference to transport co-operative societies, over applications from individual owners, in the matter of grant of stage carriage (bus) permits, provided other conditions are equal. Progressive nationalisation of bus transport services throughout the Union Territory of Delhi is the policy of Government. For the routes, which are presently outside the approved nationalisation schemes, the State Transport Authority, Delhi gives preference to transport co-operative societies in granting/renewing bus permits, in accordance with the above statutory provisions.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

4488. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और पड़ोसी नगरों के सुनियोजित विकास की दृष्टि से एक 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' बनाने संबंधी प्रस्ताव पर पुर्नविचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पड़ोसी राज्यों के साथ क्या समझौते हुए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्लान का प्रारूप संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की परीक्षा की जा रही है।

अखबारी कागज से लदे रूसी मालवाहक पोत वी/ओ लेनिनग्राड को अनुमति पत्र की प्रतीक्षा

4489. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज से लदे रूसी मालवाहक पोत वी/ओ लेनिनग्राड को पत्तन पर आने की अनुमति प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज को जहाज से उतारने के लिए प्राथमिकता देने हेतु सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अखबारी कागज और कुछ अन्य माल ले जा रहा जहाज "लेनिनग्राड" 21 जुलाई, 1973 को बम्बई पत्तन पर पहुंचा। अपनी बारी अनुसार इसे 6 अगस्त, 1973 को या इसके लगभग गोदी में पहुंचना था। भारत में अखबारी कागज की कमी को दृष्टि में रखते हुए इस जहाज को घाट पर लगाने की प्राथमिकता के संबंध में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया से प्रार्थना किये जाने पर, बम्बई पत्तन न्यास को घाट के लिये आवश्यक प्राथमिकता देने के लिये कहा गया और 31 जुलाई, 1973 को जहाज को घाट पर लगा दिया गया। इसके बाद अखबारी कागज ले जाने वाले जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर घाट लगाने संबंधी निवेदनों पर सरकार उनके गुण दोष के अनुसार ही विचार करेगी।

Scheme for the Construction of Houses in Private Sector

4491. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take such steps as may enable the construction of sufficient number of houses in private sector; and

(b) whether any scheme has been formulated by Government for utilising private sector for the construction of houses; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministtry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The Ministry of works and Housing have introduced several social housing schemes to help the individuals

and their cooperative societies in constructing houses. There is no scheme for construction of houses in bulk by the Private Sector except those covered by the (i) Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community and (ii) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers. The Scheme at (i) provides for 75 per cent Governmental assistance—50 per cent as loan and 25 per cent as subsidy of the approved cost for construction—to the industrial employers for construction of houses for their workers whose wages do not exceed Rs. 350/- per month. The balance 25 per cent of the approved cost is to be met by the employers themselves as their share of subsidy. Similarly, the Scheme at (ii) above provides for 87½ per cent Central assistance—50 per cent as loan and 37½ per cent as subsidy of the approved cost of the construction—to the planters for providing rent free houses to their resident workers. The Ministry of Works and Housing do not consider the introduction of any other scheme necessary. The private Sector are free to construct houses either for own use, rental or sale purposes.

Expenditure incurred on National Buildings Organisation, New Delhi and the Central Building research Institute, Roorkee

4492. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the National Buildings Organisation, New Deuhi and the Central Building Research Institute, Roorkee during the last three years; and

(b) the research conducted by both these Institutes which has proved useful for preparing cheap and enduring material for construction of houses?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) The expenditure incurred by the National Buildings Organisation and Central Building Research Institute, Roorkee, during the last three years is given below:—

Year	*N.B.O.*	*C.B.R.I.*
	(*Rs.* in *lakhs*)	
1970-71	15.307	43.319
1971-72	13.146	44.540
1972-73	16.226	55.830

(b) N.B.O. is an Extention Organisation and due to their efforts, plants for producing new substitute building materials such as cellular concrete products, hydrated lime, building plasters, asphaltic corrugated roofing sheets high-strength bricks and seasoned and treated secondary species of timber have been established in the country. The utilisation of these materials has resulted in considerable savings of the vital materials, cement and steel, as well as reduction in the cost of construction. The N.B.O. has also promoted the use of fly-ash, (a waste material from the thermal power station) and high yield strength deformed bars.

C. B. R. I.

The research carried out at the Central Building Research Institute, Roorkee, has led to major economies in the cost of foundations for buildings in black cotton soils and other weak soils. Over 30,000 houses and other types of structures have been constructed so far on these special types of foundations and it has led to an economy of over Rs. 2 crores.

Researches in the field of low cost housing and buildings have led to the development of low cost primary school buildings which are being constructed on a mass scale in U.P.

Work has also been carried out on rural housing and low cost durable houses are being put up for demonstration in the Karimnagar district in Andhra Pradesh. An economy of about 20 to 30 per cent in construction cost and about 40 per cent saving in time of construction has been effected by using these improved designs and construction techniques.

Research and investigations in Building Materials have led to recommendations for the utilisation of industrial wastes such as fly ash from thermal power stations, blast furnace slag from steel plants, coconut hask from coconut plantations and good quality bricks from black cotton soils.

Expenditure on the working of ground water department

4493. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Agriculture** be pleased ot state:

(a) whether the Ground Water Department is functioning at the Central level in the country;

(b) if so, the annual expenditure being incurred thereon at present;

(c) whether the said Department is also functioning in Rajasthan and whether it has located the places where water is available; and

(d) if so, the names of such places particularly of those in the Pali district?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes

(b) During the year 1972-73 the expenditure incurred was about Rs. 245 lakhs.

(c) Yes. The Central Ground Water Board is carrying out surveys and investigations in Rajasthan and has located several areas with ground water potential.

(d) The Central Ground Water Board has located ground water worthy areas in districts Jodhpur, Jaisalmer, Barmer, Nagaur, Sikar, Churu etc. In district Pali, an area of about 6,000 sq. Kms. in Pali tehsil and covering Takhatgarh and Desuri areas has been systematically surveyed for ground water resources. Ground water investigations for drinking water were done in 89 villages. Three exploratory bores were also drilled at Bonjakuri, Chandawal and Sardar Samand. These had to be abandoned due to the presence of hard compact strata (granite) at shallow depth.

Supply of Paddy to Rajasthan

4494. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the different qualities of paddy together with the quantity and rate of each allotted to Rajasthan Government as also the quantity asked for by them from January, 1973 to June 1973, month-wise; and

(b) whether the people of Rajasthan have to face and are facing great difficulties due to non-supply of the requisite quantity of foodgrains to the State Government even after repeated requests?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Neither the Government of Rajasthan asked for nor any allotment of paddy was made to them from the Central pool during the period January to June, 1973.

(b) Due to drought, Rajasthan Government have been asking for larger allocations of foodgrains from the Centre. Keeping in view the overall availability in the Central pool and the needs of other deficit and drought affected States, reasonable requirements of the State are being met.

Out-of-turn allotment of government accommodation on medical grounds

4495. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works** and **Housing** be Pleased to state:

(a) the number of Government employees who applied for out-of-turn allotment on medical grounds during the last two years;

(b) the number among them of those who were allotted quarters during this period; and

(c) the number of applications which are under consideration of the Government?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) 1,250 during the years 1971 and 1972.

(b) 376.

(c) 50.

500-Bed Hospital in Shahdra, Delhi and Expenditure thereon

4496. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 29 on the 23rd July, 1973, regarding the shifting of Medical College from Shahdara (Delhi) and state:

(a) the time by which the proposed 500-Bed Hospital in Shahdara (Delhi) is expected to be ready; and

(b) the approximate expenditure likely to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) It is expected that the hospital would be completed by the end of the Fifth Five Year Plan.

(b) The estimated expenditure likely to be incurred is Rs. 450.00 lakhs.

Target for Kharif and Rabi crops for 1973-74

4497. Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri B. N. Reddy:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the production targets fixed by Government for Rabi and Kharif crops for the year 1973-74; and

(b) the measures taken to remedy shortfall in production?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) The following production targets have been fixed for the year 1973-74:

Crops	Targets for 1973-74
(i) Foodgrains (Million Tonnes)	115.00 (67 million tonnes for Kharif and 48 million tonnes for Rabi)
(ii) Cotton (Lakh bales)	65.00
(iii) Jute (Lakh bales)	56.00
(iv) Oilseeds (Lakh tonnes)	94.00
(v) Sugarcane (Lakh tonnes)	1350.00

(b) The year 1973-74 has just started. Efforts are being made to achieve the above targets. The question of shortfall at this stage does not arise.

Construction of quarters for Government Employees in Delhi

4498. Shri Hukam Chand Kachwai; Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of quarters for Government employees under construction in Delhi at present;

(b) the number of persons likely to get Government accommodation during the financial year 1973-74; and

(c) the number of quarters likely to be constructed during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) 2060 units.

(b) and (c) During 1973-74, 676 quarters are likely to be completed, and it is expected that all of them will be allotted. This apart, vacancies occur due to retirement, transfer etc. The number of such vacancies cannot, however, be accurately anticipated. Some Government employees will receive allotment against these vacancies also.

अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उत्पादकता में कमी

4499. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से समाचार प्राप्त हुए हैं कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उत्पादकता कम हो रही है; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और इस बारे में तथ्यों का पता लगाया है और यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नही । तथापि, गत वर्ष जब देश के उत्तर पश्चिमी भागों में खासतौर पर गेहूं की कल्याण सोना किस्म की फसल देर से बोई गई थी, तो आशा से कम उपज प्राप्त हुई थी ।

(ख) सरकार ने कम उपज के कारणों की जांच की है जो कि नीचे दिए गए हैं :—

1. प्रतिकूल मौसम अर्थात् दाना पड़ने के समय तापमान में एकाएक वृद्धि ।

2. गेरूआ लग जाना ।

3. सिंचाई जल की कमी ।

4. धान वाले क्षेत्र में पछेती बुवाई का प्रभाव ।

5. विद्युतचालित नककूपों के लिए बिजली की कमी ।

इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करने का प्रस्ताव है :—

(i) गेरूआ प्रतिरोधी अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान कार्य तेज करना ।

(ii) समय पर बुवाई ।

(iii) उर्वरकों का संतुलित प्रयोग ।

(iv) बीज बदलना ।

(v) नलकूपों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई ।

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के सामने खाद्य वस्तुओं के अनधिकृत खोमचे वालों द्वारा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का बेचा जाना

4500. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य वस्तुओं के अनेक अनधिकृत खोमचे वाले नार्थ ब्लाक के सामने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ खुले आम बेचते हैं;

(ख) क्या ये खाद्य पदार्थ विशेषकर कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों और साधारणतया सामान्य जनता के स्वास्थ्य के लिये बहुत हारिकारक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सब खोमचे वालों से इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने यह सूचित किया है कि सामान्यतः मध्याह्न-भोजनकाल के दौरान कुछ अनधिकृत खोमचे वाले नार्थ ब्लाक के सामने खाद्य पदार्थ बेचते हैं ।

(ख) कभी-कभी ऐसे खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो सकते हैं ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा 1 जनवरी, 1973 से इन अनधिकृत खोमचे वालों को पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट के उपबन्धों के अधीन 120 बार हटाया जा चुका है तथा उन द्वारा 984 किलोग्राम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ नष्ट किया गया है । इस वर्ष के दौरान ऐसे अनधिकृत खोमचे वालों के विरुद्ध प्रीवेंशन आफ फूड अडल्टरेशन एक्ट के अधीन अब तक 48 मुकदमें चलाए जा चुके हैं ।

सरकारी क्वार्टरों के बरामदों में शीशेदार खिड़कियों के लगाये जाने के सम्बन्ध में कथित भेदभाव

4501. **श्रीमती सावित्री श्याम:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 800 रुपये मासिक से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले अलाटियों के क्वार्टरों के बरामदों को ही चमकाने की अनुमति देने सम्बन्धी निर्णय अत्यधिक भेदभावपूर्ण है;

(ख) क्या इस निर्णय से 800 रुपये मासिक से कम मूल वेतन पाने वाले सभी अलाटी क्षुब्ध और असन्तुष्ट हैं;

(ग) इस प्रकार का निर्णय किस आधार पर किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार श्रेणी III और IV के सब अलाटियों के बिना उनके वेतनमानों पर विचार किए क्वार्टरों के बरामदों को चमकाने की अनुमति देकर इस भेदभाव को समाप्त करने का है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं है । टाईप II, III, IV के उन मकानों में भी जो 800 रुपये से भी कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों के दखल में हैं, शीशे लगाने का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

4502. **श्रीमती सावित्री श्याम:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की पूर्ण रूप से विकसित और अनुमोदित शंकर गार्डन कालोनी में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कालोनी के असन्तुष्ट निवासियों को विद्युतीकरण, मलनिकास और पानी आदि की सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग द्वारा शंकर गार्डन कालोनी में बिजली लगाने का सामान्य कार्य सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि कोलोनाइजर और/अथवा प्लाट-धारियों द्वारा विद्युतीकरण की अनुमानित लागत के अंश का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) जहां तक सीवर का सम्बन्ध है, कोलोनाइजरों ने दिल्ली नगर निगम (जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान) को यह सूचित किया है कि वे इस कार्य का निष्पादन स्वयं करने को तैयार हैं। पश्चिम दिल्ली में 1000 लाख गैलन प्रतिदिन का नया संयंत्र लग जाने पर तथा वितरण के मुख्य पाइपों के बिछाए जाने पर जिस पर कम से कम 2-1/2 वर्ष लगने की सम्भावना है, पेय-जल उपलब्ध किया जा सकेगा। अन्तरिम तौर पर कोलोनाइजरों को जल-कूपों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

वर्ष 1972 के दौरान क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन

4503 **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री लाल जी भाई :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान कुल कितने क्वार्टर (टाइपवार) बनाए गए; और

(ख) क्या ये सभी क्वार्टर इस बीच आवंटित कर दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां, डाक व तार महानिदेशक को नई दिल्ली में हस्तांतरित किए गए टाइप IV के 79 क्वार्टरों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पूछताछ कार्यालयों आदि के लिए प्रयोग में लाए जा रहे 2 क्वार्टरों को छोड़कर।

विवरण

1972 के दौरान बनाए गए क्वार्टरों की कुल संख्या (टाइप-वार) का विवरण

स्थान	टाइप I	टाइप II	टाइप III	टाइप IV	टाइप V	टाइप VI
कलकत्ता	—	184	—	—	—	26
बम्बई .	2	1	20	—	1	10
मद्रास .	84	99	—	—	—	4
चण्डीगढ़ .	80	100	24	16	4	2
नागपुर .	—	92	—	—	—	—
शिमला	—	—	—	—	—	—
फरीदाबाद	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	64	—	196	—	—
जोड़	166	540	44	212	5	42
कुल जोड़						1009

शिक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4504. **श्री आर० एन० वर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणीवार कितने रक्षित पद 1972 में नहीं भरे गए और उन्हें अगले वर्ष में भरने के लिए स्थगित किया गया; और

(ग) इन्हें इसी वर्ष (1972) में क्यों नहीं भरा गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
	130	5

(ख)

ग्रेड	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
सांख्यिकीय सहायक	1	1
सीनियर अन्वेषक	1	—
पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड-3	—	1
आशुलिपिक ग्रेड-3	3	1
निजी सहायक (के०स०आ० से के ग्रेड-2)	—	1
अवर श्रेणी लिपिक	—	7
चपरासी	—	1

(ग) उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता न होना ।

समुद्रपार व्यापार में लगे जहाज और अर्जित विदेशी मुद्रा

4505. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समुद्र व्यापार में कितने जहाज लगे हुए हैं;

(ख) वर्ष 1972 के दौरान इन जहाजों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) जहाज रखने वाले देशों में भारत का दर्जा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 1-8-1973 को 205 जहाज समुद्रपार के व्यापार में लगे हुए थे ।

(ख) 1971-72 में भारतीय जहाजों के समुद्रपार के व्यापार में कुल कमाई 174.89 करोड़ रुपये की थी। निवल विदेशी मुद्रा की अनुमानित कमाई कुल आमदनी का 50% है जो कि 87.40 करोड़ रुपये बनती है।

(ग) 1-7-72 को जहाज के स्वामित्व वाले देशों में भारत का सोलहवां स्थान था।

Appointment to Post of Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology

4506. **Shri Hemendra Singh Banera:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken in regard to the regular appointment for the post of Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology;

(b) if so, the time by which the new Chairman would take over the charge; and

(c) if no decision has since been taken, the reasons for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Depártment of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) A decision to fill the post on a regular basis already exists.

(b) Efforts are being made to fill the post as early as possible.

(c) Does not arise.

Ad-hoc Appointment in Cental Hindi Directorate

4507. **Shri Hemendra Singh Banera:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there are posts in the Central Hindi Directorate on which *ad-hoc* appointments have been made;

(b) if so, the names of such posts and the dates from which *ad-hoc* appointments have been made;

(c) the reasons for not making regular appointments on the said posts; and

(d) whether Government would take immediate steps to make regular appointments on these posts?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) Out of 439 posts in the Directorate *ad-hoc* appointments have been made in 45 cases. A statement giving the names of such posts and the dates from which appointments against these have been made on an *ad-hoc* basis is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 5510/73].

In most of the cases, the posts have been referred to the Union Public Service Commission for filling them on regular basis. As regular appointment was likely to take sometime, the vacant posts were filled on an *ad-hoc* basis with the concurrence of the Union Public Service Commission, where necessary. Also, in cases where the recruitment rules have not yet been finalised, the posts have been filled on *ad-hoc*

basis pending finalisation of these rules and regular appointment through the Department Promotion Committee or ad-hoc Selection Committee set up for the purpose.

(d) Efforts are already being made to fill up the posts on regular basis as early as possible.

Cases referred to Court by C.H.D.

4508. **Shri Hemendra Singh Banera:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a number of Officers and employees working in the Central Hindi Directorate have filed cases relating to their services in the courts;

(b) if so, the number of cases pending in the Courts in this regard and the issues involved in each of these cases;

(c) whether Government would make efforts to settle their issues outside the courts; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Seven such officers and employees have filed cases in courts which are pending.

(b) Five cases are pending in the Courts. The issues involved in the cases are contained in the enclosed statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. 5511/73]

(c) If the Officers and employees withdraw their cases from the Courts voluntarily, their cases will be disposed of according to rules. So long as the cases are subjudice, Government has to await the verdict of the Courts.

(d) Does not arise.

Implementation of Presidential Orders in respect of Hindi by Central Hindi Directorate

4509. **Shri Hemendra Singh Banera:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) to what extent the work entrusted to the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology in regard to the use of Hindi has been completed so far;

(b) whether the implementation of a number of important schemes in regard to Hindi has been suspended in Central Hindi Directorate; and

(c) if so, the names thereof, the date when these schemes were stated and since when the work on these schemes has been suspended and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 5512/73]

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

किराये और किराएदारी सुधारों का विनियमन

4510. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराए और किराएदारी सुधारों के विनियमन के लिए गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई;

(ख) इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :
दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में दिल्ली में किराये के नियंत्रण तथा किराएदारों की बेदखली की व्यवस्था है । इसी प्रकार के किराया नियंत्रण अधिनियम राज्यों में भी लागू हैं ।

समाज कल्याण के लिए सरकार और स्वयंसेवी संगठनों में सहयोग

4511. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण के कार्यों में सरकार और स्वयंसेवी संगठनों में अधिक सहयोग की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार नीचे दिए गए कुछ उपाय करके पांचवीं योजना में कार्यक्रमों को चलाने में स्वयंसेवी क्षेत्र की और अधिक सहायता प्राप्त करना चाहती है:—

(1) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को मजबूत करके;

(2) स्वयंसेवी कार्य को बढ़ावा देने के लिए जन सहकारिता में अनुसंधान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान का पुनर्गठन तथा उसे मजबूत करना;

(3) परियोजना निर्माण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को क्षेत्र परामर्श की व्यवस्था;

(4) स्वीकृत कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान;

(5) स्वयंसेवी एजेंसियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

परिवार नियोजन की तकनीकों का विकास

4512. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिवार नियोजन की तकनीकों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) सरकार देश में परिवार नियोजन की तकनीकों के विकास सम्बन्धी अनुसंधान के लिए विभिन्न संस्थानों को प्रोत्साहित कर रही है तथा उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

(ख) (1) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने एक योनिमार्गी गर्भनिरोधक— सेंटस्क्वायर तैयार किया है और इसका फील्ड में परीक्षण किया जा रहा है ।

(2) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने एक नान-स्टेरायडल खाये जाने वाला गर्भ-निरोधक सेंटक्रोमेन भी तैयार किया है ।

(3) दो आयुर्वेदिक औषधियां विदंग और ज़याकुसुम उर्वरता निरोधी गुणों वाली पाई गई है ।

(4) साइलेस्टिक इम्प्लांट में साइप्रोटेरान ऐसिटेट भरकर त्वचा के अन्दर डालने से पुरुषों की प्रजननशीलता को दीर्घावधि के लिए नियंत्रित किया जा सकता है । पुरुषों पर इसके परीक्षण किए जा रहे हैं ।

(5) प्रजननशीलता निरोधी क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्य से पता चला है कि स्त्रियों में प्रजननशीलता के नियंत्रण के लिए ल्यूटिनाइजिंग हारमोन (एल० एच०) के एन्टीसीरम तैयार किए जा सकते हैं और उनका स्त्रियों की प्रजननशीलता के नियंत्रण के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है । इस क्षेत्र में अनुसंधान के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं और उच्च वर्गीय जीवों में आगे परीक्षण किया जा रहा है ।

(6) त्वचा के अन्दर इम्प्लांट के रूप में हारमोन देना और महीने में एक बार तथा तीन महीने में एक बार इन्जेक्शन देना अधिक ग्राह्य हुआ है और अधिक मात्रा में गर्भनिरोधक क्रिया करने वाला मालूम हुआ है ।

(7) तांबे के गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरणों के प्रयोग के प्रारम्भिक परिणामों से पता चला है कि भारतीय स्त्रियों में लिप्पीज़ लूप की तुलना में इस उपकरण के अतिरिक्त प्रभाव कम पड़ते हैं ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान कार्यक्रम को और तेज करने का प्रस्ताव है ।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों का रिहायशी क्षेत्रफल

4513. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टरों का रिहायशी क्षेत्रफल इतना कम है कि उसमें छोटा परिवार भी नहीं रह सकता ;

(ख) क्या वर्तमान रिहायशी क्षेत्रफल के बारे में कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता के हिसाब से निर्णय नहीं किया जाता वरन् सरकारी सेवा में उनके ग्रेड तथा दर्जे के आधार पर किया जाता है ;

(ग) क्या उच्चतर ग्रेडों के कर्मचारियों को उनका परिवार छोटे होने पर भी अधिक स्थान दिये जाने से तथा निम्न ग्रेडों के कर्मचारियों को उनका परिवार बड़ा होने पर भी कम स्थान दिये जाने से विषम स्थिति उत्पन्न हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निम्न ग्रेडों के कर्मचारियों के बारे में इस विषमता तथा आय के आधार पर रिहायशी क्षेत्रफल की व्यवस्था को दूर करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) वर्तमान डिजाइन में 365 वर्ग फुट कुरसी क्षेत्र के अन्दर 2 अलग-अलग कमरे, एक स्नानघर, शौचालय तथा रसोईघर की व्यवस्था है। इसमें 54 वर्गफुट का आने-जाने का सांझा रास्ता और सीढ़ी तथा 60 वर्ग फुट क्षेत्र की सोने के लिए बालकनी शामिल नहीं है। निधियों की स्थिति तथा और अधिक मकानों की व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए इस वास-स्थान को बहुत छोटा नहीं कहा जा सकता।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) जी, हां। कुछ सीमा तक। तथापि, इस विषमता को यथासंभव दूर करने के लिए इस प्रश्न पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सरकारी मकानों के विभिन्न टाइपों के सभी कुरसी क्षेत्रों का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ उनके टाइपों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव है।

वेतन के नियमित भुगतान के लिए आन्ध्र प्रदेश में प्राईवेट कालेज अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन

4514. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन के नियमित भुगतान और सेवा की सुरक्षा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए आन्ध्र प्रदेश के प्राइवेट कालेज अध्यापकों ने अभी हाल में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिय गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापकों की अनिवार्य नियुक्ति के आदेश

4515. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उर्द के अध्यापक अनिवार्य रूप से रखने के आदेश दिए गए हैं

(ख) क्या उन आदेशों में यह भी लिखा गया है कि भले ही किसी स्कूल में उर्दू पढ़ने वाला एक भी छात्र न हो, फिर भी वहां उर्दू अध्यापक रखा जायें : और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (ग) उन छात्रों को, जो उर्दू अध्ययन अथवा उर्दू माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं, सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम एक उर्दू अध्यापक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं चाहे इन प्राथमिक स्कूलों में उर्दू अथवा उर्दू माध्यम से अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों की संख्या कितनी ही हो। यदि किसी प्राथमिक स्कूल में उर्दू अध्ययन का इच्छुक कोई छात्र न हो तो वहां नियुक्त उर्दू अध्यापक फिलहाल अन्य विषय पढाएंगे।

Fixation of Price for Sugarcane for next Crop

4516. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether he has fixed the price of sugarcane at Rs. 8 per quintal for the next crop;

(b) whether the prices of all commodities used by the farmers have increased so much that the price fixed for sugarcane will be totally inadequate; and

(c) the difficulty felt by the Government in fixing the price of sugarcane on the basis of market price of sugar?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes, Sir. The basic minimum price of sugarcane for 1973-74 season has been fixed at Rs. 8/- per quintal linked to a recovery of 8.5% or below, with a premium of 9.4 paise per quintal for every increase of 0.1% in recovery above 8.5 per cent.

(b) & (c) The basic minimum price of sugarcane is determined on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission and after consulting the State Governments and other concerned Organisations. While arriving at a minimum price, the Commission generally takes into account the factors such as estimated cost of production of sugarcane, the return to the grower from alternative crops, the general trend of prices of agricultural commodities, availability of sugar to the consumar at a fair price etc. Further, under the existing policy of partial control of sugar the statutory minimum price of cane is only a support price, and the majority of the factories are actually paying higher cane prices from the extra realisations made by them from the sale of 30% of sugar in the open market to attract sufficient quantities of cane.

Fire in Pine Forests in Bara-Gaddi, Uttarkashi

4517. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a big fire broke out in pine forests in Bara-Gaddi near Uttarkashi during the month of May, 1972; and

(b) if so, estimated loss incurred?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) & (b). Information is being collected from the Uttar Pradesh Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Research Facilities at Indian Pastures and Fodder Research Institute, Jhansi, U.P.

4518. **Dr. Govind Das Richhariya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether facilities are available for scholars for conducting research in Indian Pastures and Fodder Research Institute in Jhansi (U.P.) if so, the main features thereof;

(b) whether the said facilities have been provided to any of the scholars in the Institute so far and the number of applications received for conducting research in the Institute and the details thereof; and

(c) the decision taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Sinde): (a) Yes.

The Institute has adequate facilities for undertaking advance research work in the following disciplines:

(i) Genetics, plant breeding and cytogenetics of forage crops.

(ii) Agronomy and soil science rel. to forage crops.

(iii) Grassland ecology and management.

(iv) Weed control in forage crops.

(v) Animal nutrition and livestock management.

(b) 1. Yes. Shri S.C. Gupta of the Plant Animal Relationship Division in conducting research towards Ph. D degree of Punjab Agricultural University, Chandigarh, in the field of Animal Nutrition.

2. Four applications were received from outside candidates to carry out research in the Institute.

(1) Shri V.P. Varsney, Lecturer, Bipin Bihari College, Jhansi to work in Plant Pathology.

(2) Shri P. C. Singhal, Lecturer, Bipin Bihari College, Jhansi to conduct research in Organic Chemistry.

(3) Shri S. L. Agarwal, Lecturer, Bipin Bihari College, Jhansi to conduct research in Organic Chemistry.

(4) Shri J. S. Garcha, Research Assistant, Punjab Agricultural University, Ludhiana, to conduct research in Chemistry and Nutrition.

(c) Shri V. P. Varsney did not submit synopsis of the proposed research programme.

S/Shri P.C. Singhal and S.L. Agarwal could not be provided facilities to carry out research in synthetic organic chemistry which does not form part of the approved research programme of the Institute.

Shri J.S. Garcha's candidature was not accepted by Punjab Agricultural University for advance research leading to Ph. D. degree and therefore his application was not considered.

Rules Governing Appointment of Vice-Chancellor of Delhi University

4519. **Dr. Govind Das Richharia:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state whether in view of the fact that most of the student agitations in the Universities relate to the appointments or continuance of the Vice-Chancellors, do Government propose to bring a uniformity in the rules governing the appointment of Vice-Chancellors of Universities?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): According to the available information the student agitations in the Universities do not relate to appointment of Vice-Chancellors.

The appointment of a Vice-Chancellor in a University is made according to the provisions of the University Act/Statutes. The Gajendragadkar Committee on governance of Universities and Colleges, in their report on governance of Universities, has *inter alia* recommended that Vice-Chancellor may be appointed by the Visitor (President of India for Central Universities and Governors for the State Universities) out of a panel of names suggested by a duly constituted Committee. The recommendations of the Committee have been accepted in principle by the Government of India and circulated to all the Universities and State Governments.

दसवीं कक्षा की योजना को लागू करने के कारण हुई छंटनी

4520. **श्री गदाधर साहा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को फालतू कर्मचारियों का विवरण देना होता है और माध्यमिक विद्यालयों में 10 वीं कक्षा की योजना को लागू करने वाले राज्यों के जिला स्कूल निरीक्षकों को संस्थाओं के प्रधानों से इस तरह के विवरणों को प्राप्त करने के निदेश दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में शिक्षा की नई योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिये जाने की संभावना है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) माध्यमिक शिक्षा की नई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किस सीमा तक पूरा हो सकेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): स मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए देश के सभी भागों के लिए आमतौर पर शिक्षा की एक समान पद्धति अपनाना तथा (2) छात्रों द्वारा वैकल्पिक विषयों के चयन को दो वर्ष के लिए स्थगित करना ताकि वे अपनी आजीविका के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिक परिपक्व हो सकें।

सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लैंगवेजज मैसूर

4521. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन लैंगवेंजेंज मैसूर के कृत्य क्या हैं और क्या यह उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है ;

(ख) इस संगठन को केन्द्र से अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता मिली है ; और

(ग) क्या इस संगठन को विदेशी साधनों तथा पी० एल० 480 कोष से सहायता मिली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का एक "अधीनस्थ कार्यालय" है और इसकी स्थापना जुलाई 1969 में मैसूर में, भारतीय भाषाओं के विकास में सहायता और समन्वय करने, भाषाओं में विशुद्ध और प्रयुक्त अनुसन्धान का प्रवर्धन करने, वैज्ञानिक अध्ययन और अन्तर भाषा सम्बन्धी अनुसन्धान के जरिए भारतीय भाषाओं में आवश्यक एकता लाने, कबीली और सीमावर्ती भाषाओं का अध्ययन करने, इन भाषाओं को पढाने के लिए अनुदेशात्मक सामग्री विकसित करने, और भाषा सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करके तथा भाषाओं को पढाने की नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग करके शिक्षण की अवधि को कम करने की दृष्टि से की गई थी।

संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चार प्रादेशिक भाषा केन्द्रों की भी स्थापना की गई है, जो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करके त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वियन के लिए समान आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भाषा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे :—

(1) हिन्दी भाषी राज्यों को, अपने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को अहिन्दी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए, और

(2) अहिन्दी भाषी राज्यों के, अपने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को अपने राज्य की भाषा और हिन्दी के अलावा अन्य किसी भारतीय भाषा में प्रशिक्षण करने के लिए।

(ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के कार्य पर 1972-73 तक लगभग 23.86 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। वर्ष 1973-74 के लिए 16.20 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है।

(ग) उपस्कर के आयात, विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने, और विदेश में हमारे अध्येताओं को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान के पास 683,000 डालर की राशि का फोर्ड फाउंडेशन का अनुदान उपलब्ध है। जोकि 30-4-1975 तक वैध है। संस्थान को पी० एल० 480 कोष से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

डेरा इस्माइल खां (सहकारी) गृह निर्माण समिति के अंशधारियों को विकसित भूमि का आवंटन

4522. **श्रीमति मुकुल बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति मुबारकबाद, दिल्ली, के अंशधारियों को आवंटन के लिये भूमि के विकास में कितनी प्रगति हुई है :

(ख) (एक) सरकार तथा (दो) समिति द्वारा अंशधारियों को विकसित प्लाट देने के लिये क्या निश्चित तिथि निर्धारित की है ; और अंशधारियों को अनुसूची के अनुसार प्लाट दिये जायेंगे यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है तो अंशधारियों के हितों की रक्षा कैसे की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस सोसायटी की भूमि का ले-आउट प्लान दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, किन्तु इसका सर्विसस प्लान अभी तक इसके विचाराधीन है। इस बीच, सोसायटी ने भूमि का विकास करना आरम्भ कर दिया है और लगभग 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत विकास कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) और (ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि सोसायटी के अंशधारियों को किस तारीख तक प्लाट आवंटित कर दिये जायेंगे क्योंकि अभी तक सर्विसस् प्लान मंजूर नहीं हुआ है और सोसायटी ने नई आदर्श उप-विधियों को नहीं अपनाया है तथा अपने सदस्यों से प्लाट्स के आवंटन हेतु उनकी पात्रता का निश्चय करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर उनके हलफनामे नहीं लिए हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन मनीपुर में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति

4523. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मणीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित योजना के अधीन हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्रता से नहीं की है जिससे इस योजना के लिये मंजूर की गई राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और कितनी राशि मंजूर की गई है और इस योजना से कितने पद भरे जायेंगे ; और

(ग) हिन्दी अध्यापकों की संख्या क्या है और वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान मनीपुर में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित हिन्दी अध्यापक योजना का लाभ उठाने वाले कौन-कौन से स्कूल हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) अहिंदी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्यापक नियुक्त करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन मणिपुर की राज्य सरकार को 1972-73 के अंत तक लगभग 300 हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। बाद में इस मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस राशि को 1973-74 के दौरान उपयोग में लाने की अनुमति दे दी थी क्योंकि वे 1972-73 के दौरान अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर सके थे।

(ख) सूचना की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह योजना 1971-72 के दौरान मणिपुर में लागू नहीं थी।

बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में एक केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों के बारे में

RE-CERTAIN CHARGES AGAINST A CENTRAL MINISTER IN THE REPORT OF ESTIMATES COMMITTEE OF BIHAR ASSEMBLY

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको सूचना दी है। बिहार विधान-सभा की प्राक्कल समिति के 53वें प्रतिवेदन में केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध गबन और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी प्रश्न राज्य विधान सभा से सम्बन्धित है। उन्हें यहां मत उठाइये। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केन्द्रीय मंत्रालय के बारे में बात कर रहा हूं। यह श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध गबन के गंभीर आरोपों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने लिखित सूचना दी है। उस पर अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप इस प्रकार इसे नहीं उठा सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार विधान-सभा से सम्बन्धित मामला है। मैं इस की अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya): If any charge has been levelled against the hon. Minister, he should be given an opportunity to explain the position. This is a very serious question. It should be allowed.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह विधान-सभा के प्रतिवेदन से उत्पन्न मामला है (व्यवधान)

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मेरा औचित्य का प्रश्न है। यदि केन्द्रीय मंत्री का ऐसे सरकारी दस्तावेज में उल्लेख किया जाता है। जिसका समाचार-पत्रों में इतना प्रचार हो रहा है तो माननीय सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रक्रिया सम्बन्धि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे सम्बन्धित व्यक्ति की बात सुनी जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बगूसराय) : प्रो० मुकर्जी ने अभी जो कुछ कहा है, मैं भी वही कहना चाहता हूं। यह मामला केवल केन्द्रीय मंत्री से सम्बन्धित नहीं है आपितु केन्द्रीय परियोजना से भी सम्बन्धित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपनी सूचना में केन्द्रीय परियोजना के बारे में भी लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह केन्द्रीय परियोजना है तो राज्य विधान-सभा को उस पर चर्चा करने का क्या मतलब था ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राज्य के मंत्री महोदय भी इसमें अन्तर्ग्रस्त है। जहां तक केन्द्रीय मंत्री का सम्बन्ध है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। मंत्री महोदय को केन्द्रीय सरकार के अपने उपमंत्रियों को संरक्षण देना चाहिए। में इसे वैयक्तिक स्पष्टीकरण के द्वारा करना चाहता हूं क्योंकि परिवार के एक सदस्य को बदनाम किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय परियोजना है और समिति की यह मांग है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दूसरी जांच कराई जाय। केन्द्रीय जांच ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। चूंकि वह प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल की समिति का है इसलिए क्या संसद के लिये यह उचित नहीं है कि वह इस पर उचित ध्यान दे ?

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : जैसा कि आप जानते हैं, विधान सभा के नियम है और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये विधान-सभा स्वतंत्र है और सम्बन्धित व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण वहां दे सकते हैं।

श्री ज्योयिर्मय बसु : एक तो इसमें केन्द्रीय मंत्री अन्तर्ग्रस्त है तथा दूसरे कोसी परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित परियोजना है। अतः इस सभा को अधिकार है कि वह इस मामले पर विचार करे। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार केन्द्रीय मंत्री की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हैं अतः उन्हें यहां वक्तव्य देना चाहिये। तब हम इस पर विचार कर सकते हैं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): The news-reports which are being referred to by the hon. Member have been contradicted. Shri Shyamnandan Mishra has said that it is a Central Project, but that is a state project because no Central Minister is envolved in it. Therefore, it should not be allowed.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार बिहार विधान मंडल की प्राक्कलन समिति के प्राक्कलन हैं। दूसरे तकनीकी तौर पर यह परियोजना राज्य की परियोजना हो सकती है परन्तु

इसमें केन्द्र से धन लगाया गया है। तीसरे, केन्द्रीय मंत्री पर आरोप लगाया गया है। अतः हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय को इस पर स्पष्ट रूप से वक्तव्य देने को कहा जाय।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): There is a news report in today's newspaper that the report of the Estimate Committee would be refered to the Government and the Government would examine that as to how far that is correct. Then, what is the use of State Government?

अध्यक्ष महोदय : जब श्री ज्योतिमय बसु ने यह प्रश्न उठाया तो दो बातें मेरे दिमाग में थीं, अर्थात कोसी परियोजना केन्द्रीय परियोजना नहीं है और यह प्रश्न कि क्या यह सभा ऐसी समिति के निष्कर्ष पर ध्यान दे सकती है जो राज्य विधान मण्डल की समिति है। मान लीजिए, दोनों सदनों में इस निष्कर्ष पर मतभेद हो जाता है तब क्या होगा ? अतः हमें सावधानी बरतनी चाहिए। प्रो० मुकर्जी ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया है उस आधार पर इस पर विचार करने के लिये माननीय सदस्य मुझे थोड़ा समय दें और मुझे यह देखने दें कि स्थिति क्या है तथा क्या पूर्वोदाहरण है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी राय एकदम जानना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप अपना समय लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जब राज्य विधान सभा की समिति का प्रतिवेदन आता है और उसमें केन्द्रीय मंत्री अन्तर्ग्रस्त होता है तो तब क्या स्थिति है ? मंत्री क्या प्रक्रिया अपनायेगा ? और कुछ कहना है ?

श्री पीलू मोदी (गोदरा) : हम इस पर भी विचार करना चाहेंगे कि क्या केन्द्रीय मंत्री के लिये इस बात की अनुमति है कि गैर-केन्द्रीय परियोजनाओं के विषय में इन बातों को कहें क्योंकि उस पर भी आपको आखिर राय देनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। हम पूर्वोदाहरण देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत।

कुछ राज्य विधान सभाएं यह प्रश्न मेरे ध्यान में लाई हैं कि उस समय क्या स्थिति होगी जब राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों, मंत्रियों से सम्बन्धित या उनके क्षेत्राधिकार वाले कुछ मामले संसद में उठें। क्या वे भी जब भी विवाद हो तो ऐसे मामले अपने क्षेत्राधिकार में ला सकती है जो संसद के क्षेत्राधिकार में होते हैं। मैं उस पर भी विचार करने जा रहा हूं कि हमारी क्या स्थिति है। मैं इसे अध्यक्ष सम्मेलन को सौंपने जा रहा हूं।

श्री पीलू मोदी : इस प्रश्न पर........

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर नहीं, यह समाप्त हो चुका है।

श्री पीलू मोदी : मैं अन्य प्रश्न की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति से नहीं है। (व्यवधान) मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक मद की अनुमति दे दी थी। जब उचित समय आयेगा तो आपको बुलाया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बम्बइ पतन के कर्मचारियों को शताब्दी बोनस की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्कार किये जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1092 के उत्तर में शुद्धिकरण तथा आजीवन नाविक (अर्हताएं और प्रमाण-पत्र) नियम, 1973

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) बम्बई पत्तन के कर्मचारियों को शताब्दी बोनस की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्कार किये जाने के बारे में सर्वश्री मधु दंडवते और सुखदेव प्रसाद वर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1092 के 30 जुलाई, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आजीवन नाविक (अर्हतायें और प्रमाण पत्र) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 792 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5492/73]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों का विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और .महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एस० टी० 5493/73]

(2) अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 327(ङ), दिनांक 1 जुलाई, 1972; सा० सां० नि० 345 (ङ), दिनांक 19 जुलाई, 1972; सा० सां० नि० 362(ङ) दिनांक 28 जुलाई, 1972; और सा० सां० नि० 422(ङ) दिनांक 30 सितम्बर 1972* को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखें गए। देखिए संख्या एल० टी० 5494/73]

वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आंध्रप्रदेश पंचायत समितियां और जिला परिषद नियमों में संशोधन और उड़ीसा ग्राम पंचायत नियम आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) आन्ध्र प्रदेश पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 372(ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्मप्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 373 (ङ) में प्रकाशित हुये थे । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5495/73]**

(2) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश पंचायत समितियां और जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 248 की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जून, 1972 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा पंचायत समितियों और जिला परिषदों की प्राप्तियों सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना के हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5496/73]**

(3) (एक) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964, की धारा 150 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा अधिसूचना सां० नि० आ० संख्या 317/73 की एक प्रति जो उड़ीसा राजपत्र दिनांक 10 मार्च, 1973 में प्रकाशित की गई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा ग्राम पंचायत नियम, 1968 में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना के हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5497/73]**

विशाखापत्तनम और मद्रास पत्तनन्यास के वार्षिक लेखे, मोटरगाड़ी (राजनयिक तथा कोंसलीय आफीसर मोटर गाड़ी, पंजीयन, (संशोधन) नियम तथा आन्ध प्रदेश और उड़ीसा मोटर गाड़ी नियमो से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5498/73]**

(2) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5499/73]**

(3) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133, की उपधारा (3) के अन्तर्गत मोटर गाड़ी (राजनयिक तथा कौंसलीय आफिसर मोटर गाड़ी) पंजीयन (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1431 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-5500/73]**

(4) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० संख्या 1295 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटर गांड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ख) जी० ओ० एम संख्या 497 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटर गाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(ग) जी० ओ० एम० संख्या 515 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 7 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटर गाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5501/73]**

(5) (एक) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च 1973 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की

धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा अधिसूचना सां० नि० आ० संख्या 659/73 की एक प्रति जो उड़ीसा राजपत्र दिनांक 20 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5502/73**]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिये निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

(1) श्री के० गोपाल ;

(2) श्री बृजराज सिंह ;

(3) श्री ए० के० गोपालन ; और

(4) श्री एम० कतामुतु ।

मैं समझता हूं कि सभा इस समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

तमिलनाडु में कारखानों को पोटाशियम क्लोरेट का उपलब्ध न होना

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : पश्चिम रामनाथपुरम के शिवकासी और सत्तूर तथा तमिलनाडू के तिरुनेलवेली जिले के कोइलपट्टी तथा कालुगुमलाई एट्टयापुरम में दियासलाई के लगभग 300 छोटे कारखाने जिनमें 1.5 लाख श्रमिक काम करते हैं, पोटाशियम क्लोराइड बहुत कम मात्रा में मिलने के कारण बंद होने की स्थिति में हैं और उनमें काम करने वाले श्रमिकों के परिवार भुखमरी की हालत में होने वाले हैं ।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

पोटाशियम क्लोरेट का उत्पादन करने वाले तीन बड़े उत्पादकों ने दियासलाई बनाने वाले इन 300 छोटे कारखानों को इस पदार्थ की सप्लाई में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी है जिसके परिणाम-स्वरूप ये छोटे कारखाने और कुटीर उद्योग सप्ताह में तीन दिन कार्य कर रहे हैं ।

पोटाशियम क्लोरेट की नियंत्रित दर 3000 रुपये प्रति टन है परन्तु यह चोर बाजार में 30,000 रुपये प्रति टन की दर से बिक रहा है । विमको विदेशी पूंजी वाला एकाधिकार संस्थान है और वह न केवल भारत के समूचे बाजार को अपने हाथ में लेना चाहता है अपितु हड़ताल के कारण हाथ से निकल गये बाजार को भी वापस पाना चाहता है । अतः उसने इन छोट कारखानों को पोटाशियम क्लोरेट की सप्लाई लगभग बंद कर दी है ।

इन छोटे कारखानों को लगभग 3 करोड़ रुपये के निर्यात आदेश भी मिले हुए हैं । जबकि पोटाशियम क्लोरेट का स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त है जो आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो सरकार को कुटीर उद्योग के इस संकट को दूर करने के लिये कम से कम 750 टन पोटाशियम क्लोरेट *आयात* करने के लिये तुरंत कार्यवाही करनी होगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को चाहिए कि वह पोटाशियम क्लोरेट का उत्पादन करने वाले इन तीन बड़े उत्पादकों को निदेश दें कि वे इन 300 छोटे कारखानों को उतनी सप्लाई करें जितनी वे गत मई से पहले कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी कुछ कहना चाहते थे ।

बम्बई में डाक्टरों द्वारा हड़ताल के बारे में

RE-STRIKE BY DOCTORS IN BOMBAY

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : बम्बई में पिछले 11 दिनों से 2600 डाक्टरों की हड़ताल हो रही है जो एक अत्यंत दुखदायी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह प्रो० दंडवते मुझसे मिले थे और मैंने यह जानने का प्रयत्न किया था कि यह मामला संसद के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है।

श्री पीलू मोदी : जैसा कि आपको ज्ञात है, श्री खाडिलकर स्वयं उनसे मिलने और बातचीत करके निर्णय करने के लिये बम्बई गये हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के जाने से यह केन्द्र का विषय नहीं बन जाता है ।

श्री पीलू मोदी : आप डाक्टरों की हालत समझिए कि किस प्रकार उन्हें वेतन दिया जाता है । मेरे पास वे मदें हैं जिनमें उन्होंने ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ श्रम समझौता किया है जिनमें चपरासियों को 500 रुपये से 650 रुपये और क्लर्कों को 700 रुपये से 1000 रुपये तक दिये जाते हैं । इन डाक्टरों को, जो सप्ताह में 90 घंटे काम करते हैं, आधी तनख्वाह दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे संसद में कैसे उठा सकते हैं ।

श्री पीलू मोदी : यह समस्या सारे देश में पैदा होने वाली है । डाक्टर और इंजीनियर मिल रहे हैं । सारे देश में अव्यवस्था फैल रही है और आप कहते हैं कि संसद में इस मामले पर कैसे चर्चा हो सकती है । यदि यह महत्वपूर्ण समस्या न होती तो केन्द्रीय मंत्री वहां क्यों जाते ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री मधु दण्डवते : केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले डाक्टरों ने भी हड़ताल करने का फैसला किया है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय के आदेश के बावजूद रेजीडैंट डाक्टरों को बाहर निकाला जा रहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : दिल्ली के डाक्टरों द्वारा हड़ताल करने के लिए किए गये फैसले के बारे में हम ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी । इसके अतिरिक्त सरकार दिल्ली में अनाज की जमाखोरी करने वालों का समर्थन कर रही है । इस विषय में मंत्री महोदय वक्तव्य क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने दालों की कीमतों में धोखाधड़ी के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण मामले की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक

FOREIGN EXCHANGE REGULATION BILL

अध्यक्ष महोदय : 1 घंटा 35 मिनट तो बीत चुके हैं, अब 2 घंटे 25 मिनट का समय रहा है। 1 घंटे का समय खंडों तथा 1 घंटे का तृतीय वाचन के लिये है । श्री जगन्नाथ राव अनुपस्थित हैं । श्री महाजन ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । विदेशी-मुद्रा नियंत्रण भारत में सबसे पहले द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने पर अपनाया गया था । पहले तो यह गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र, विशेषकर अमरीकी डालर वाले देशों तक सीमित था, बाद में इसे स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों पर भी लागू कर दिया गया । वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार नियंत्रण का भी भारत में विदेशी-मुद्रा नियंत्रण अनुपूरक है । इतने अधिक नियंत्रण के बावजूद विदेशी-मुद्रा की काफी हेरा-फेरी हुई है । कौल समिति ने इस प्रकार हुई हानि का अनुमान 240 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लगाया है । आयातकों और निर्यातकों की गैर-कानूनी और घृणित गतिविधियों से हुई हानि का सही मूल्यांकन करना कठिन है । यदि सोने की तस्करी के माध्यम से हुई हानि का हम हिसाब लगाते हैं तो यह राशि बहुत अधिक हो जाती है ।

इस विधेयक के अनुसार विदेशी-मुद्रा सम्बन्धी सभी लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से होंगे । कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना विदेशी-मुद्रा का लेन-देन नहीं कर सकता ।

इस विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या कोई कम्पनी जो भारत के किसी कानून के अन्तर्गत निगमित नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत में किसी व्यक्ति या कम्पनी के तकनीकी या प्रबन्धकीय सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करेगी । इसी प्रकार कोई विदेशी या विदेशी कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत में कोई रोजगार स्वीकार नहीं कर सकती या कोई व्यापार नही कर सकती ।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब विदेशी नियंत्रण वाली सभी कम्पनियों को इस देश में व्यापार करने के लिये रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ेगी । इस प्रकार कोई भी विदेशी कम्पनी भारत के किसी उपक्रम को रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना आंशिक रूप से या पूर्णरूप से नहीं खरीद सकती ।

ये उपबन्ध इस देश में विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में हमारी नीति के अनुरूप हैं परन्तु वास्तविक प्रथा यह है कि इसका आशय विदेशी व्यक्तियों और विदेशी कम्पनियों के स्वीकृत वाणिज्यिक और औद्योगिक कामों के लिये अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण या नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाना नहीं है ।

इसके अतिरिक्त भारत में ऐसी कम्पनियां हैं जो व्यापार कर रही है । इन कम्पनियों को भविष्य में व्यापार करने के लिये रिजर्व बैंक के पास फिर आना पड़ेगा । हमारी कम्पनियां अपना स्वयं का विपणन करने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं । मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि विदेशी कम्पनियों को भविष्य में स्वयं को भारतीय कम्पनियों में बदलना होगा ।

कुछ विदेशी कम्पनियां हमारी लाइसेंस प्रक्रिया का पालन न करके भारतीय निर्माताओं से वस्तुएं खरीद कर उन्हें परिष्कृत करके ऊंचे दामों पर बेचती हैं और रायल्टी और मुख्यालय खर्च के नाम से उन मुनाफों को भारत से अपने देशों में भेजती हैं जिससे देश को विदेशी मुद्रा की हानि होती है ।

खंड 28 में "माल तैयार करना" की परिभाषा में पैकेट बनाना, पुनः लेबल चिपकाना या ब्रांड देना शामिल नहीं है । इस विधेयक के परिणामस्वरूप, साबुन तेल आदि बनाने वाली हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने का पहले ही निर्णय कर लिया है।

इस विधेयक के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं और सरकार के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार उसे उन शक्तियों का प्रयोग करना है परन्तु जब ये निदेश दिये जायें तो सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को ही विधेयक के इन तीन उद्देश्यो को ध्यान में रखना होगा अर्थात देश के विदेशी मुद्रा वाले दुर्लभ स्रोतों का परिरक्षण उनका समुचित लेखा और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिये उनका समुचित उपयोग ।

कुछ माननीय सदस्यों ने रिजर्व बैक को इतनी अधिक शक्तियां दिये जाने की अलोचना की है परन्तु इस विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि विदेशी मुद्रा के स्त्रोतों का पूरा-पूरा उपयोग हो और बीजकों में कम राशि दिखाने तथा अधिक राशि दिखाने के चलन को, जहां तक संभव हो कम किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : यद्यपि इस विधेयक के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं तथापि मेरा विश्वास है कि उनसे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी । संयुक्त समिति ने इस विधेयक के उपबंधों में दोषी व्यक्तियों के लिये कठोर दंड की व्यवस्था करके काफी अच्छा कार्य किया है ।

यदि संभव हो तो विदेशी-मुद्रा की बढ़ती हुई चोर-बाजारी को न केवल विदेशी मुद्रा के परिरक्षण के लिये अपितु स्त्रोतों को बढ़ाने के लिये भी रोका जाना चाहिये । विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी और तस्करी से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं । जिन पर काबू किया जाना चाहिये । यह भी आवश्यक है कि सरकार और उसकी एजेंसियां समस्याओं का गहन अध्ययन करके उनका पता लगायें तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझायें । हम सबको विदित है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ऐसे विधेयक लाने से काले बाजार की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा । देश को इस समय औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिये तकनीकी ज्ञान और विदेशी पूंजी की आवश्यकता है । लेकिन सरकार की वर्तमान नीति इस सम्बन्ध में सहायक नहीं है ।

कौल समिति ने 240 करोड़ रुपये की विदेशी-मुद्रा के अपव्यय का अनुमान लगाया है । गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार उक्त अनुमान 1,000 करोड़ रुपये का है । समिति ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गम्भीर आरोपों का भी उल्लेख किया है समिति ने विचार व्यक्त किये हैं कि समाज के हित में अपराधियों को सजा दी जानी चाहिये । देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये विदेशी मुद्रा के अपव्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ।

विधेयक के खंड 27 में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी भी ऐसी फर्म से सम्बन्ध रखने पर प्रतिबंध होगा जो किसी प्रकार का व्यापार आदि करती हो । उक्त खंड में किसी व्यक्ति के उस फर्म से पत्र-व्यवहार करने पर भी रोक है । इस बात को ध्यान में देखते हुए कोई भी भारतीय माल के निर्यात अथवा तकनीकी या सेवाओं के मामले में प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में पहल नहीं करेगा। अतः इस धारा की आवश्यकताएं अव्यवहार्य हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि भारत में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा विदेश में स्थित एक फर्म से पत्र-व्यवहार करने से विदेशी मुद्रा का कैसे दुरुपयोग होता है ? वित्त मंत्री को इस खंड में ऐसा संशोधन करना चाहिये जिससे लोगों के विदेशों में स्थित फर्मों से पत्र-व्यवहार करने पर कोई रोक न रहे । उक्त खंड से विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होता ।

विदेशी मुद्रा के वितरण के मामले राजनीतिज्ञ, मंत्री तथा विद्यार्थी में भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

लोगों का यह विश्वास है कि मंत्रियों को विदेशों में विदेशी मुद्रा में खाते रखने की अनुमति है । सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिये कि किस मंत्री का विदेशों में विदेशी-मुद्रा में खाता है और उसने विदेशों में विदेशी-मुद्रा कैसे एकत्र की ?

देश के सम्मुख एक महत्वपूर्ण समस्या तस्करी की है । सरकार ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि समुद्र के रास्ते पड़ौसी अरब देशों से लगभग 400 करोड़ रुपये के माल की तस्करी की जाती है । सीमा शुल्क विभाग को बहुत कम सुविधाएं प्राप्त हैं और इस कारण वे तस्करी का मुकबला नहीं कर पाते। यदि सीमा-शुल्क विभाग के पास तेज गति से चलने वाली नावें, कुछ हैलीकौप्टर हों और संचार व्यवस्था में सुधार किया जाये तो यह विभाग तस्करों का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर सकेगा ।

25 LSS/73—11.

सोना अब तस्करी की मुख्य वस्तु नहीं रही है। अब अधिकांशतया घड़ियों, शराब, सिगरेट, बलेडों, टेपरिकार्डरों और टेलीविज़न की तस्करी की जा रही है। सरकार को कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के प्रवाह का स्वागत करना चाहिये।

विदेशी सहायता के अब कम अवसर दिखाई दे रहे हैं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 3,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देश में विकास दर में कमी नहीं होनी चाहिये।

लोगों के दिमाग में यह भय है कि विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण से देश का विश्व से सम्पंक समाप्त हो जायेगा। अतः नई नियंत्रण व्यवस्था उदार और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिये।

यदि रिजर्व बैंक को दी गई शक्तियों का उचित उपयोग किया गया तो मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा। लेकिन हमें यह देखना है कि हम वास्तव में विदेशी-मुद्रा में काले बाजारी को रोकने में कहां तक सफल हुए हैं।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तरपूर्व) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन देश में आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार को विदेशी-मुद्रा के सौदों के मामले में अधिक सख्ती से काम लेना चाहिये।

देश की वर्तमान विदेशी-मुद्रा की स्थिति को और देश पर पड़े आयात के भारी दबाव को और औद्योगिक कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेशी-मुद्रा अर्जित करने के लिये और विदेशी-मुद्रा के अपव्यय को रोकने के लिये भरसक प्रयास किये जाने चाहियें।

कच्चे तेल के आयात में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार उर्वरकों के आयात के लिये 100 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। यह सच है कि हम निर्यात में वृद्धि के लिये भरसक प्रयास कर रहें हैं लेकिन इसकी भी कुछ सीमा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की स्थिति बहुत अनिश्चित है। इसका गत वर्ष अथवा गत दो वर्षों में हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है।

मूल्यों में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और विदेशी मुद्रा की दरों में अनिश्चितता के कारण हमारी निर्यात आय में वृद्धि सीमित रह गई है। अतः हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के नये-नये साधनों का पता लगाना चाहिये।

विदेशी कम्पनियों की कार्यप्रणाली पर उचित जोर दिया जा रहा है। गत 25 वर्षों के अनुभव के परिणामस्वरूप अब सब त्रुटियों का पता लग रहा है।

सरकार ने 1952 में उन विदेशी तेल कम्पनियों को जिन्होंने भारत में तेल शोधक कारखाने स्थापित किये थे विदेशी-मुद्रा में धन भेजने सम्बन्धी भारी रियायतें दी हुई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त रियायतें समाप्त करेगी ? उक्त कम्पनियां हमारे विदेशी मुद्रा को साधन समाप्त कर रही हैं। सरकार दो प्रकार की विदेशी फर्मों में भेद कर रही है : एक वे जो शाखाओं के

रूप में काम कर रही हैं और दूसरी वो जो निर्माण कार्य कर रही हैं। उक्त विभेद से हमारे प्रयास में सहायता नहीं मिलेगी। विदेशी फर्मों की लगभग 278 शाखाएं देश में काम कर रही हैं। उक्त कम्पनियां यह नहीं कहती कि वे कानून का उल्लंघन कर रही हैं लेकिन वे खातों में गड़बड़ी कर सकती हैं। वे अपनी आय छिपा रही हैं। ऐसा वे गत 25 वर्षों से कर रही हैं।

उक्त विदेशी कम्पनियां सहायक तेल कम्पनियों के रूप में कार्य कर रही हैं। अतः वे कच्चे तेल के मूल्यों में हेर-फेर कर सकती हैं। उन्हें पिछले मूल्यों पर बट्टा मिल रहा है।

ऐसा 15 वर्षों तक होता रहा और उसके बाद कच्चे तेल के बारे में विनियमन अथवा मूल्य नियंत्रण कानून लाया गया। अब समस्त स्थिति बदल गई है। ये कम्पनियां अपने सौदों में देश को धोखा दे रही हैं। ये तेल कम्पनियां ये जानकारी देने से इंकार करती हैं कि उन्हें देश में कच्चा तेल कितनी कीमत पर प्राप्त हो रहा हैं। इस प्रकार इन कम्पनियों को न केवल देश में एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को लाभ हस्तान्तरित करने में सहायता मिलती है बल्कि एक देश से दूसरे देश में लाभ हस्तान्तरित करने में भी सहायता मिलती है।

उक्त कम्पनियां भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को अपने ब्रांड का नाम देकर बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं। ये कम्पनियाँ अनधिकृत रूप से मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त कल पुर्जे बेच रही हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि प्रस्तावित विधेयक इसको प्रभावकारी ढग से नियंत्रित करने में कहां तक सफल होगा। इंडियन कैमिकल इंडस्ट्री निर्माण कार्य में लगी हैं। इन अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों को भारतीय कम्पनियों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है और इन्हें सब विनियमों का पालन करना चाहिये। इंडियन कैमिकल इंडस्ट्री ने 1961 में अपने को कैमिकल्स एण्ड फाइबर आफ इंडिया के नाम से रजिस्टर कराया। उक्त कम्पनी ने 1965 में निर्माण कार्य आरम्भ किया। चार वर्षों के दौरान उक्त कम्पनी ने 294 लाख रुपये लाभांश के रूप में दिये।

आई० सी० आई० ने डी० जी० टी० डी० विभाग पर प्रभाव डालकर अपनी कम्पनी का विस्तार किया है। जबकि अन्य भारतीय उद्यमकर्ताओं को पोलिस्टर फाइबर के निर्माण के लिये लाइसेंस उपलब्ध नहीं हो रहे हैं आई० सी० आई० ने अपनी क्षमता 2,000 टन से बढ़ाकर 6,100 टन कर ली है। अतः वर्तमान विधान में संशोधन कर इन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है। यह सर्वविदित है कि विदेशी मुद्रा के मामले में बहुत कदाचार होता है। प्रतिवर्ष लगभग 250 और 1,000 करोड़ रुपये के बीच विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair

हमारा मुख्य उद्देश्य न केवल विदेशी मुद्रा का सुरक्षित कोष बनाना है बल्कि इसका उपयोग आर्थिक विकास के कार्यों में करना भी है।

विधेयक में कुछ नये महत्वपूर्ण उपबन्ध रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध भी रखे गये हैं जिससे विधान का पूर्ण रूप से लागू करना व्यर्थ हो जाता है।

पहले यह उपबन्ध था कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी जिससे उस व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किये जाने वाले किसी व्यापार का नियंत्रण समाप्त होने की आशंका हो । इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विदेशों में किसी व्यापार में 49 प्रतिशत से अधिक शेयर लेने का अधिकार नहीं होगा भूतपूर्व विधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत था लेकिन वर्त्तमान विधेयक में उसे संकुचित कर दिया गया है ।

श्री गणेश को मैट्रो सिनेमा के हस्तान्तरण के मामले की पूरी जानकारी है । उन्होंने सदन में यह स्वीकार किया था कि यह गुप्त सौदा था । फिर भी यह कहा गया था कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । ऐसे मामलों में सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है । मंत्री महोदय को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये ।

विधेयक में पहली बार भारत निवासी की व्याख्या की गई है । यह बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू है ।

'अनिश्चित अवधि' की शर्त से विधेयक का प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा यदि कोई व्यक्ति भारत वापिस आता है और कहता है कि वह केवल दो महीने के लिये भारत आया है तो उक्त अवधि अनिश्चित अवधि नहीं होगी । इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । अतः मेरा यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में संभव-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये, चाहे वह एक महीने हो अथवा दो महीने अन्यथा इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

इस विधेयक में भारत में विशेष आस्तियों के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा स्वंय आदेश जारी करने की व्यवस्था है । अतः कोई भी विदेशी अथवा भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी आस्तियां हस्तान्तरित कर सकता है । रिजर्व बैंक किसी विशेष हस्तान्तरण की जानकारी पर ही कुछ शर्तें लागू करता है । इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा पहल की जानी चाहिये । अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना आस्तियां हस्तान्तरित नहीं की जा सकें यदि ऐसा हो जाता है तो किसी वास्तविक हस्तान्तरणकर्ता को कोई कठिनाई नहीं होगी । अन्यथा रिजर्व बैंक को देश में होने वाले सब हस्तान्तरण के सौदों की कैसे जानकारी हो सकती है? अतः इस विधेयक में ये त्रुटियां रह गई हैं और बड़े उद्योगपति, विदेशी बड़े उद्योगपति और उनके सहायक इसका अपने लाभ के लिये उपयोग करते हैं ।

अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि रिजर्व बैंक को अनुमति के बिना कोई भी भारतवासी भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को सम्पति हस्ततांरित नहीं कर सकता अथवा उससे सम्पत्ति का सौदा नहीं कर सकता ।

लेकिन विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि यदि रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं ली जाती तब भी सौदा गैर-कानून नहीं होता ।

खंड 25 में यह उपबन्ध है कि कोई भी भारतवासी भारत से बाहर सम्पत्ति नहीं रख सकता । लेकिन इस उपबन्ध का भी दुरुपयोग किया जा सकता है । अतः मेरा यह सुझाव है । कि इस सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये और वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये अथवा ऐसे मामले में रिजर्व बैंक की अनुमति ली जानी चाहिये । यदि रिजर्व बैंक किसी मामले में अनुमति देना चाहता है, तो उन्हें अनुमति लेनी चाहिये ।

एक मामले में 49 प्रतिशत और एक अन्य मामले में 40 प्रतिशत शेयर लेने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ? किसी भी मामले में शेयर लेने की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये, नहीं तो हमें अपने बहुमूल्य अधिकारों और हितों को विदेशियों को समर्पण करने के लिये तैयार रहना होगा ।

मंत्री महोदय को इस बारे में विचार करना चाहिये और शेयर लेने की प्रतिशतता को घटाना चाहिये । यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है । अनेक विदेशी बैंक इस बारे में अपनी स्थिति और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं । उनकी स्थापना देश में स्वतंत्रता से बहुत पूर्व हुई थी । भारतीय बैंकों को उनसे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिये । इसमें संदेह नहीं कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय बैंक प्रगति कर रहे हैं । विदेशी बैंकों को इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिये ।

नई शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए । हम जानते हैं कि लाभांश और संसाधनों का प्रत्यावर्तन किस प्रकार किया जा रहा है। इस सब की अनुमति नहीं होनी चाहिए, विधेयक में ये जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : विदेशी मुद्रा विनियमों में कमियों के कारण देश को करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध थी परन्तु वह घट कर नगण्य मात्र रह गई है। अतः हमें इसके संरक्षण के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए ;

इस देश में कार्य कर रही विदेशी कंपनियां बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं और धन का अपने देशों को प्रत्यावर्तन कर रही हैं। इनके द्वारा लाभ, लाभांश व स्वामित्व के रूप में ही धन का प्रत्यावर्तन किया जा रहा है, परन्तु विदेशी नामों मात्र के उपयोग से भी बहुत अधिक धन राशि का प्रत्यावर्तन किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यालय तथा प्रशासकीय कार्यालय के व्यय के भाग रूप में धन का प्रत्यावर्तन किया जाता है।

इस प्रकार धनराशि का प्रत्यावर्तन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से नहीं किया जाता। उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय उपयोग में लाये जाते हैं। सरकार को इन सब तरीकों की जांच करनी चाहिए जिससे कि पता चले कि इन उपायों से विदेशी मुद्रा की कितनी चोरी हो रही है ।

बीजकों में घटा-बढ़ाकर राशि दिखाना इस प्रकार का सबसे बड़ा उपाय है। बड़ी बड़ी कम्पनियों को भी ऐसा करते पकड़ा जाता है। परन्तु बाद में उनके विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही नहीं होती । वित्त विभाग को इस विषय में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। तत्संबंधी विनियमों की कमियों को भी दूर किया जाना चाहिए व रिजर्व बैंक को इस समस्या के प्रति अधिक जागरूकता दिखानी चाहिए ।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्यावर्तित धन का अलग अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता । विदेशी कम्पनियां इस का अनुचित लाभ उठाती हैं। धन के प्रत्यावर्तन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये और किसी विदेशी कम्पनी को उससे अधिक धन का प्रत्यावर्तन करने की अनुमति

नहीं दी जाय। इसके साथ ही विदेशी कम्पनियों को उपभोक्ता माल बनाने के क्षेत्र में कार्यवाहियों का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, विदेशी नाम के साथ माल की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

श्री कल्याण कुमार बसु के संबंध में प्रश्न पूछने पर हमेशा यही बताया जाता है कि जांच चल रही है। यह बताया जाये कि उक्त जांच कब तक पूरी होने की संभावना है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक अनुरोध है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवेयक पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु सदन में इस समय गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय। गणपूर्ति की घंटी बजायी जाए। अब गणपूर्ति हो गयी है।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, in my opinion the Foreign Exchange Regulation Bill introduced by the hon. Minister is incomplete and he should have brought forth a comprehensive Bill in this House. 26 Years have passed since we attained independence and we have been hearing during all these years that industrially developed countries of the world have been helping the undeveloped nations, but a French Author in his book has proved that for the last 26 years, the countries situated in the northern part of Northern hemisphere, from USA to Japan, have been helped by rather than helping the undeveloped nations. That is to say that our wealth has found its way in those countries. Through exports raw material and primary products are sent to them on a very large scale by the undeveloped countries and they are exploited thereby. The prices of the commodities imported from abroad are arbitrarily increased because they are powerful corporations, power ful countries. Thus they are exploited. Taking undue advantage of mutual conflicts among undeveloped countries, they sell such weapons to them as can be called Junk and worthless as have been given to Iran. After Vietnam War, USA did not require those weapons, they were not required to be used by her and they, therefore, found a good client in Iran for their disposal. Arms dealers and Capitalists, between the two World Wars used to be called 'Merchants of Death'. To-day, there are no such capitalists. So these countries themselves have become 'Merchants of Death' by undertaking such deals. The fourth method of exploitation is the repatriation of funds in the form of returns from the capital invested and the branches opened by developed countries in the undeveloped countries be they in Latin America, Africa of Asia. The fifth form of exploitation is the brain drain. We spend crores of rupees on the education and training of Engineers, Doctors, Scientists and others, who shift to those countries due to the fact that our economy is devoid of dynamism and the power to progress; we are unable to utilize the services of these people. So, they go out. Will the hon. Minister tell as to whether the Health Service of U.K. is not entirely dependent on Indian and Pakistani doctors and whther they were not trained by us? Similarly, there are various other ways in which the undeveloped countries are being exploited. We had hoped that some suitable programme would be chalked out to encourage Swadeshi industries and to curb the loot by foreign Companies after independence in the context of the Slogan of Swadeshi which was given to the nation. But it is regrettable that even after 26 years there is no such programme with our Government.

Last week I had posed two questions before the Finance Minister. Will you give us some protection. We ask one thing and the reply pertain to something else.

Here the cleverness of bureaucrats is evidenced. The Ministers have hardly any time to read our questions. To-day, Ministers are completely in the hands of bureaucrats. They do not have any grasp over their subjects neither they have time for that. Therefore, they have become the puppets of bureaucrats. My question was whether these exports plus funds repatriated constituted a drain on the country.

I had used the term 'drain on the country' not the term 'drain on foreign exchange resources'. You understand the difference well.

Now see the reply given. They said that the question of drain of foreign exchange did not arise as that would result in a net foreign exchange income of 20 per cent of export earnings after remittances on all accounts.

This shows that the person replying to my question has either not understood my question or he has understood it well and that is why he tried to evade the issue. What I wanted to ask was, taking the instance of Coca Cola, they are at present being given three types of licences. Users licences are given freely and their policy is to reduce the amount thereof by and by. Then, they used to give incentive to export trade. But after devaluation of Dollar, they adopted a new policy and started issuing export Replenishment licences. Moreover, *adhoc* licence has been given to the Coca Cola Company. That is to say that when the value of Replenishment licence was reduced to 4 1/2 per cent, Shri Subramanian Stated in the House that the Coca Cola Export Corporation has been given an *adhoc* licence worth seven lakh rupees. I mean to say that even when Government takes a right decision on the insistence of Members and the Members are assured that their plea has been accepted and the value of replenishment licence has been reduced from 20 to 4-1/2 per cent, in the meantime they issue an *ad hoc* licence.

After returning from Jaipur, it took my entire time to study this red book, and found that apart from Designs and consulting firms in the Engineering industry, Government did not issue *adhoc* Licence to any body else. The only exception being the Coca Cola company which appears to have become their favourite. Thus they are cheating the Members. Will the hon. Minister clarify this thing in his reply?

Now, I would like to draw your attention to my second question wherein I had asked for remittances made abroad under various heads. The reply makes a mention of profits, dividends, technical know-how, fees, Royalties and head office expenses. But these Companies have devised many other ways to repatriate foreign exchange besides these. The hon. Minister has not thrown any light on that. The Reserve Bank should know even if a single dollar, or foreign exchange, is sent abroad. Then how the hon. Minister has given this reply?

"Information regarding remittances made abroad under other heads is not readily available."

What does this mean? What the Reserve Bank is doing? Why the Bank and the Government have no knowledge of that? Why Government is not giving us this information?

Many issues have been included in the present Bill. I am thankful to the hon. Minister for accepting my amendment regarding brand names. But when I went to the hon. Minister to discuss this Amendment, he had three of his officers with him and I do not know how he tolerates their behaviour? If I were in his place I would have shown them the door at once ......(*Interruptions*). They do not know how to behave properly. They could not come out with a single argument against my amendment. At last the hon. Minister had to accept it and he said that he would consider that.

श्री यशवन्तराव चह्वाण्: जब माननीय सदस्य मेरे पास आये तो कुछ अधिकारी बैठे थे। माननीय सदस्य ने उन से हाथ भी मिलाये थे।

(*Intrruption*) The hon. Member said that I should have turned them out he had objection to their presence, he could have said so.

Shri Madhu Limaye: I have no objection to seeing the Officers, to their presence. I want to draw attention towards the way in which the Adminstration is working and the control of Ministers and Parliament is coming to nought. (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यहां किसी अधिकारी के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye : I did not mention anybody by name. I am talking of the attitude in general. This is a matter of principle (*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय: अपने अधिकारियों का ध्यान रखना सरकार का काम है।

Shri Madhu Limaye: No sir, it is for the Parliament also (*Interruption*).

उपाध्यक्ष महोदय. मैं किसी सरकारी अधिकारी को सभा में विवाद का विषय नहीं बनने दूंगा।

Shri Madhu Limaye: I did not mention anybody by name. I am speaking within my rights. (*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सरकार की भर्त्सना कर सकते हैं परन्तु अधिकारियों को सभा में विवाद का विषय नहीं बना सकते.......

श्री मधु लिमये .**

उपाध्यक्ष महोदय: अपने अधिकारियों को अनुशासन में रखना सरकार का काम है...

श्री मधु लिमये : **

Shri Madhu Limaye: I did not mention the name of any Officer. I am functioning within my rights. You should also function within yours.

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Sir, I was saying that these officers could not give even a single argument against my amendment. I want him to point out where I am wrong? I do not consider it an argument if it is simply said that no, we are right. But as I said I am happy that he has accepted my amendment.

Now, the reason behind my Amendment is that to-day there are many branches here of foreign Companies and their hold is very strong. For example, Colgate Palmolive invested rupees one and a half lakhs and earned 58 lakhs of Rupees as profit. What is happening? These Companies cannot finish Indian Companies directly, They are, therefore, using their capacity for getting their own goods manufactured. It is really a matter of shame that Tata Oil Company manufacturers soap for Colgate Palmolive. An eminent industrialist like Tata is manufacturing soap for Colgate Palmolive. Indian Tobacco Company is a branch, a subsidiary company or call it the way you like, of a multi-national company. What does this company do? Today, all the Indian Cigarette Manufacturing Companies, with the exception of one or two, manufacture cigarettes bearing ITC brand. I am talking about a matter of principle.

Singer Company manufactures sewing machines. You may be aware of the fact that Sansar Sewing Machine is manufactured in Shahdara and Sahara is manufactured in Hapur. Small entrepreneurs in Ludhiana are also manufacturing such sewing machines. What does this Singer Company do? They put their brand on all these machines. Is it not a fraud against the consumers? Singer, Indian Tobacco and Colgate Palmolive Companies are making enormous profits simply by putting their brand on indigenously manufactured items. It is the declared policy of the Government that the foreign collaboration agreement with the companies should be done away with gradually and the use of foreign brand names should not be allowed. There was a Tata Mercedez Benz truck. The Government disallowed the name Mercedez Benz. Even today, truck manufactured by Tata is selling at a premium of 12 or 13 thousands of rupees. Bajaj had a foreign collaboration agreement with Vespa. Although the name 'Vespa' is not there today, yet, the Bajaj Scooter is selling at a premium. Likewise, Premier Automobiles had a collaboration agreement with Fiat Company. The name Fiat is not there today, but the Premier President's Car is selling at a premium. So this is the position of brand names. The Government have not stopped the manufacture of Mopeds with foreign collaboration as they have done in the case of Automobiles and Trucks. A Coimbatore Company is manufacturing moped in collaboration with a French Firm. I had asked a Question in this regard as the mopeds are absolutely indigenously manufactured. There are several firms engaged in such a manufacture. But our Industrial Development Minister is probably very kind to this company of Coimbatore. That is why the Minister of Heavy Industries informed me in reply to my letter that the Government have permitted extension of their foreign collaboration agreement for a further period of four years. But, why? Has his Ministry got nothing to do with this? Will there be no repatriation of any amount to foreign countries if foreign collaboration agreements remain? I have given this instance of brand name so that the Government in order to promote indigenous industries, may liberate them from the pressure of foreign capital. So many other wrong things are going on, for example, Britannia Biscuit Company uses the names of Glaxo and Horlicks. I have written to the Hon. Minister in this regard also. Glaxo and Horlicks have not been issued biscuit manufacturing licences but names of

these companies are being regularly used and the biscuits manufactured by Britannia Biscuit Company in the name of these Companies are being sold and Glaxo and Horlicks are getting money for that. This is the leakage of foreign exchange on a large scale. It is for this reason that I moved my amendment.

There are various other methods that these Companies have resort to. These Companies should be registered in India under the Companies Act. Why did we move amendments in this regard ? Because these companies are able to find out various methods for the repatriation of foreign exchange. For instance, Coca Cola Company remitted large sums under the cover of different kinds of expenses, such as administrative office expenses and Head Office expenses. And what is the basis of all this? These remittances are permitted by the Reserve Bank on Income Tax Department's Certificate. Now, what does the Income Tax Department know about it ? This system of Internal revenue is prevalent only in America but we have put it into use in our country also. But what is happening here ? Foreign Exchange is being repatriated in the name of administrative expenses, Head Office expenses and regional office expenses. These expenses are shown in the name of the Office in a country where taxation is low. If taxation is low in Italy then expenses are shown in the name of Office situated in Italy. If it is so in Holland or in London, the expenses are shown in the name of office situated in Holland or in London. Let me have the definition of these expenses. Expenses are incurred only on supervision of the funds invested in India. Head Office expense is an alternative of Royalty. I have got the figures for four years since 1968 regarding Coca Cola. 9 per cent is being repatriated regularly. This is another form of Royalty. Administrative Office expense, which was 5 lakhs in 1970, increased to 42 lakhs in 1972, *i.e.* it increased from one and half per cent to eight per cent. It is not a trial thing and that is why I am taking it seriously. What is all this ? Can there be such an increase from 5 to 42 lakhs in supervision expenses. This is purely a loot and the Hon. Minister has not so far replied to this. Coca Cola Company had a licence for about less than one lakh but suddenly some officer, I would like to know who he was, granted *ad hoc* licences and the users licence which was granted one in a year were made two in a year. To how many companies two licences are issued ? With whose approval double licence was given to Coca Cola Company? This should also be clarified as to why an *ad hoc* licence of Rs. 7 lakh was given to Coca Cola.

I am bringing out these facts before you because in regard to my second amendment various aspersions were cast. The matter was discussed in a meeting with the Prime Minister and the assurance was given that at least the branches of foreign companies in the field of consumer industries will be forced to get themselves registered under Indian Companies Act and Hon. Finance Minister told me that Cabinet instructions to this effect would be issued. I have urged that these instructions should be placed before the House so that we may know of them. If the Reserve Bank or the Finance Ministry is given discretionary powers in this regard, I fear that these would be exercised indiscretely.........(*Interruptions*) Kindly extend my time. I have not yet covered up one fifth of my speech (*Interruptions*)......... All right, I will speak when my amendments are taken up and at the time of the third reading of the Bill.

I fail to understand as to why major foreign banks have been excluded from the purview of Bank Nationalisation Act, and from Foreign Exchange Regulations ?

It is understandable if the Minister says that this is the first step in this direction and a comprehensive Bill will be brought to cover all these things. But until such an assurance is given, discretionary powers should not be given. The word 'discretionary' is very embarrassing to me. This is my experience and as I have already stated, while third Pay Commission's Report was being discussed, that the strength of bureaucracy has overwhelmingly increased i.e. 222 per cent between the Second and the Third Pay Commission. That is why I am afraid of these discretionary powers to bureaucracy. What these bureaucrats think about the Ministers? They take them as casual labour who may come and go, and about themselves they know that they are permanent and being IAS, nobody can remove them. I am making efforts to enhance the dignity of the Parliament. Why don't you understand these things? For the better functioning of democracy, it is imperative for the Ministers to exercise better control over their departments and they and their departments to be further controlled by the Parliament.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात को गलत नहीं समझा जाय। सभा में किसी अधिकारी विशेष का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye: I did not name any individual officer. I am not concerned with them at all.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह सभी ने स्वीकार किया है कि विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस विधेयक पर विचार प्रकट करते समय सदस्यों ने इस विषय को देश की आर्थिक नीति से सम्बद्ध कर दिया है। परन्तु इस पर विचार करने से पूर्व हमें यह देख लेना चाहिए कि हमारी नीति देश को आर्थिक अलगाव की स्थिति में न ले जाये। आज बहुत से बड़े-बड़े बहु-राष्ट्रीय निगम हैं जिनके साथ रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी समझौते कर रहे हैं। चीन को भी जापान के उद्योगों के साथ समझौते की आवश्यकता पड़ रही है। अतः इन परिस्थितियों में औद्योगिकी अथवा उपकरणों के बारे में सहयोग प्राप्त करने की नीति के संबंध में जब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया जाता तब तक विदेशी पूंजी और विदेशी पूंजी तथा भारतीय उद्योग के बीच संबंधों के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से लाभ की पूंजी को विदेश भेजने के बारे में भी हमें अपना निर्णय तब तक नहीं करना चाहिए।

सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह विधेयक विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को समाप्त करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा। उच्च वर्गों के व्यक्ति "डाइनर्स क्लब" जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य बनकर विदेशी मुद्रा के बिना भी सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार की हेराफेरी को इस विधेयक के अनुसार कैसे रोका जा सकेगा।

एक अनुमान के अनुसार, देश में 1400 करोड़ रुपये का काला धन प्रचलन में है। इस प्रकार का कोई अनुमान नहीं कि विदेशी बैंकों और विशेष रूप से स्विश बैंकों में कितना गुप्त धन है। विदेशों से कोई भी माल खरीदा जाए उसके उपलक्ष में विदेशी बैंकों में कमीशन जमा हो जाती है। सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष शाखा व किसी अन्य संस्था द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवानी चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि हमारे देश के समृद्ध वर्ग ने विदेशी बैंकों में कितना

धन जमा कर रखा है। उसके पश्चात ही हम उस गुप्त धन के आंकड़े प्राप्त कर सकेंगे। इसी गुप्त धन को तस्करी के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन परिस्थितियों में यह विधेयक समयानुकूल है। परन्तु जब तक हम गुप्त धन के बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा लेते तब तक हम विदेशी मुद्रा के निरन्तर बाहर भेजे जाने को पूरी तरह से विनियमित नहीं कर सकते।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Such a Bill should have been brought forward earlier. Foreign exchange worth crores of rupees has been taken out of this country in the absence of such a Bill. These are Industrialists who are taking out money and depositing the same in foreign Banks. Many officers are in collusion with them. There have been instances that people caught violating the rules are allowed to go scot free. We will not be able to save Foreign exchange in this manner. Nor we shall be able to unearth black money in the country. There is a lot of black money in the country but its magnitude cannot be evalued.

But we are not making use of existing Acts. We do not know why they have proved inadequate. A provision to impose fine upto five times exists but there has not been any instance where such a fine had been imposed. Stringent measures have been proposed in many cases in Foreign Exchange Regulation Bill. It has been asid that period of imprisonment could be 2 years. But it has been further said that courts could award imprisonment upto 6 months. This provision is not proper. This loophole would open Floodgates of corruption. Raising of 10 per cent holding to 40 per cent is not proper. This should not be more than 25 per cent.

Foreign Banks are also indulging in leakage of Foreign Exchange resources. Government should think over the possibility of nationalising Foreign Banks as was done in case of 14 Banks. These Foreign Banks are the greatest source of leakage and if this source is plugged this out-flow would stop.

Over-invoicing and under-invoicing is another method of leakage of Foreign Exchange resources. The difference in invoices is deposited in Foreign Banks. This money belongs to the country but it cannot be utilized for the development of the country. The Government should collect information about leakage of Foreign Exchange due to over-invoicing and under-invoicing and provide it to the House.

Government treasuries are getting a lot of money as a result of information supplied by informers, but these persons are not getting fair treatment from the authorities. They should not be black listed.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का विनिमय और संरक्षण करना है जिससे कि उसका उपयोग देश में विकास कार्यों के लिए किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से विदेशी कम्पनियों ने अनेक क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया जोकि राष्ट्रीय हित में नहीं है। विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों में उनका कार्य तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। धोखाधड़ी के सहारे इन कम्पनियों ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर लिया है। औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा मीठी गोलियों, बिस्कुट, टेल्कम पाउडर जैसी वस्तुओं का उत्पादन प्रारंम्भ किया गया है। इस प्रकार के कार्यों के लिए अनुमति देने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता। ये कम्पनियां अपने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करती हैं। इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य हमारी मूल्यवान विदेशी मुद्रा को लाभ तथा अन्य

सेवा प्रभारों के रूप में बाहर ले जाना है। इनके द्वारा अपनी समता का दुरुपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि इनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता और स्थापित क्षमता में अन्तर है। ये कम्पनियां हमारी आयात व्यापार नियंत्रण नीति का भी उल्लंघन करती हैं। उन्होंने देश के कानून और विनियमों से बच निकलने के अनेक उपाय निकाल लिये हैं। कोका-कोला कम्पनी ने इस देश में 6.60 लाख रुपये की पूंजी लगाई। उन्होंने इस पर अब तक 43.2 प्रतिशत धन बाहर भेज दिया है। पिछले वर्ष सेवा-प्रभारों के रूप में उन्होंने 2.6 लाख रुपये बाहर भेजे परन्तु आयकर विभाग व रिजर्व बैंक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि विभिन्न विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में से कितना धन बाहर भेजा जा रहा है।

देश में 752 विदेशी कम्पनियों हैं। इनमें से 529 पंजीकृत हैं चौर 33 कम्पनियां इनकी अनुषंगी कम्पनियों के रूप में चल रही हैं। इन विदेशी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का मूल्य 2400 करोड़ रुपया है जबकि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में 8000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इन विदेशी कम्पनियों के उत्पादन का मूल्य 2500 करोड़ रुपया है जो कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के कुल उत्पादन का 33 प्रतिशत है। इसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। अतः विधेयक में बताये ढंग से इन के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना अत्यन्त आवश्यक है।

ये कम्पनियां भारतीय तैयार माल खरीद कर उसे अपने नाम से बेचती हैं। यह सब उन पर नियंत्रण न होने के कारण है। इस नियंत्रणहीनता का कारण यह है कि यह कार्य कई विभागों का है। लाइसेंस एक विभाग देता है। विदेशी मुद्रा से अन्य विभाग सम्बद्ध है, आयात-निर्यात की अनुमति देना किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत हैं। इन सब विभागों में समन्वय न होने का लाभ ये कम्पनियां उठा रही हैं। और बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं।

यह विधेयक एक सराहनीय प्रयास है परन्तु अभी भी यह अपूर्ण प्रयास है। मेरा अनुरोध है कि इन कम्पनियों की सभी शाखाओं को पंजीकृत किया जाये। जिन विदेशी कम्पनियों के नियंत्रण में 40 प्रतिशत से कम शेयर हैं उन कम्पनियों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। ऐसे भारतीयों की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए जोकि विदेशियों के सहयोग से विदेशों में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही विधेयक के नियम बन जाने पर इसके कार्यान्वयन की और विशेष ध्यान दिया जाना चहिए जिससे कि विदेशी कम्पनियां अन्य नियमों की कमियों की तरह इसका भी दुरुपयोग करने के उपाय न निकाल सकें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : यह ठीक है कि इस विधेयक में भी कुछ कमियां हैं और यह विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं परन्तु मैं यह भी समझता हूं कि यह इस दिशा में प्रारंभिक उपाय है। इसमें प्रकट होने वाले दोषों को समय-समय पर दूर किया जा सकता है।

कौल समिति के अनुसार देश से प्रतिवर्ष लगभग 214 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की चोरी होती है। परन्तु इसके विपरीत गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार यह चोरी इस से बहुत अधिक है। जो भी हो इतना तो अवश्य है कि विभिन्न तरीकों से देश से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।

इस संदर्भ में हमें विदेशी कम्पनियों की विभिन्न शाखाओं के कार्यकरण की जांच करनी चाहिए। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि वे देश से धन बाहर भेजने के लिए किन-किन

शीर्षों का उपयोग करते हैं। कोका कोला कम्पनी द्वारा मुख्यालय व्यय, प्रशासकीय कार्यालय व्यय, क्षेत्र व्यय, सेवा प्रभार निर्यात कमीशन आदि शीर्षों के अन्तर्गत धन बाहर भेजा जा रहा है। इसी प्रकार आटोमोबाइल टायर उद्योग द्वारा तकनीकी जनकारी फीस, क्रय कमीशन, निर्यात कमीशन, कच्चा माल एवं मशीनरी क्रय कमीशन और लाभांश आदि शीर्षों के अन्तर्गत धन बाहर भेजा जा रहा है। आज तक हम धन के इस प्रकार प्रत्यावर्तन को रोकने में असफल रहे। इस उद्योग के अन्तर्गत 80 प्रतिशत उत्पादन पर आज विदेशी कम्पनियों का नियंत्रण है। फॉयर-स्टोन में शत प्रतिशत पूंजी विदेशी है जबकि डनलप में 60 प्रतिशत एवं सीट तथा गुड ईयर में क्रमश: 50 तथा 55 प्रतिशत विदेशी पूंजी है। ये कम्पनियां अपना सामान काला बाजार में बेच कर काला धन कमा रही हैं।

जब वित्त मंत्रालय से इन कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी गई धन राशि के आंकड़े पूछे जाते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, डनलप कम्पनी ने स्वामित्व के रूप में 1968-69 में 38.52 लाख रुपये बाहर भेजे और 1970-71 में यह राशि 77.9 लाख रुपये हो गयी। तकनीकी जानकारी के लेखे में 1968-69 और 1970-71 में क्रमश: 44.05 लाख रुपये तथा 51-6 लाख रुपये बाहर भेजे गये। इसी प्रकार फायर-स्टोन ने 1968-69 और 1970-71 में क्रमश: 81.17 लाख और 235.10 लाख रुपये बाहर भेजे। इस के अतिरिक्त, अन्य लेखों के अन्तर्गत भेजी गयी राशि के आंकड़े नहीं उपलब्ध किए गए। रिजर्व बैंक के पास यह सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

इन विदेशी कम्पनियों के विस्तार कार्यक्रम पर विदेशी मुद्रा अधिनियम एवं औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत नियंत्रण होना चाहिए। इन कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों को दी जा रही सुविधाओं से अधिक सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिएं। इन्हें भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए। इन्हें अनियन्त्रित स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।

ये बहु-राष्ट्रीय निगम भारतीय विनियमों का अतिक्रमण कर सकते हैं। रिजर्व बैंक को इन विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं पर नियंत्रण करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बताए जाएं और उनकी प्रति सभा को उपलब्ध की जानी चाहिए। इन कम्पनियों को विदेशी ट्रेडमार्कों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस विधेयक को सामान्यत: सदन का समर्थन ही प्राप्त हुआ है। हालांकि कुछ सदस्यों ने इसकी आलोचना भी की है। तथापि, हमें यह देखना है कि इतने व्यापक आधार पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का संशोधन करने का यह प्रयास काफी समय के पश्चात किया गया है। यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हों, परन्तु अनुभव के आधार पर सरकार जब भी आवश्यक समझा जायेगा संशोधन प्रस्तुत करती रहेगी। वास्तव में यह एक बहुत ही जटिल समस्या है और इसका संबंध एक बहुमूल्य वस्तु अर्थात विदेशी मुद्रा संसाधन से है।

यह कहा गया है कि कौल समिति का अनुमान ठीक नहीं। यह अनुमान गलत भी हो सकता है परन्तु फिर भी हमने प्रयास किया है और जो भी सुझाव दिये गये हैं एवं दोष बताये जायेंगे उन पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। इस समस्या पर दो-तरफा कार्यवाही की जरूरत है। सब से पहले इस बारे में कुछ विधायी उपायों की आवश्यकता है जो कि इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा उपाय कम्पनियों की कार्यवाहियों पर प्रतिबंध व नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक को मार्गदर्शी सिद्धांत देना है।

रिजर्व बैंक को इस बारे में पहिले ही कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं: किसी को भी पूर्ण विश्वास के साथ स्वविवेकी शक्तियां देना बहुत ही कठिन होता है। इस बारे में मेरा किसी से मतभेद नहीं। परन्तु फिर भी जटिल आर्थिक क्रियाकलापों के देखते हुए स्वविवेक के उपयोग की शक्तियां किसी न किसी को देनी ही पड़ती हैं हां, इतना अवश्य है कि इस बारे में पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी और देखा जायेगा कि स्वविवेक भी शक्ति का प्रयोग विशेष सिद्धांतों व नीतियों के अनुसार ही किया जाये। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार मंत्रिमण्डलीय स्तर पर कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने का है: जब इनका निर्धारण कर लिया जायेगा तो उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा :

Shri Madhu Limaye: It is all right if you want to keep Discretionary powers in the interest of development and nation but at least consumer industries should be asked to get themselves registered under Companies Act.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: उपभोक्ता उद्योग एक बहुत ही भ्रामक शब्द है। इस संबंध में कोई निर्धारण किया जा सकता है। यह भी स्वीकार किया जाना होगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कम से कम कुछ समय के लिए तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए निर्यात व्यापार के लिए उक्त सहयोग आवश्यक है। परन्तु इसका उपयोग केवल निर्यात उद्देश्यों से होना चाहिए। दूसरी व्यापारिक कार्यवाहियों पर कठोर नियंत्रण रखा जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ विशेष कम्पनियों का उल्लेख करके उनके बारे में जानकारी मांगी है। यह सारी जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं। कुछ बातों के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर पहिले ही दिये जा चुके हैं। यह समझा जाना चाहिए कि सरकार कोई बात छिपाना नहीं चाहती। वास्तव में जानकारी एकत्र करके उसके संकलन में समय लगने के कारण इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं की जा सकती।

इस विधेयक का वास्तविक स्तर धारा 26, 27, 28 और 29 में है। इनके कार्यकरण से ही विधेयक की सफलता सिद्ध होगी। यदि पर्याप्त सफलता प्राप्त न हुई तो इस विधेयक पर पुनः विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने आरोप लगाया है कि विदेशी कम्पनियां अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है। फरवरी 1970 में संशोधित औद्योगिक नीति लागू करने के पश्चात् सभी विदेशी कम्पनियों के लिए नया व्यापार आरम्भ करने व विविधता लाने अथवा नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हैं। अतः अब किसी भी कम्पनी के लिए किसी अनुसूचित उद्योग में विविधता लाना संभव नहीं होगा जब तक उसे इसके लिए अनुमति न प्राप्त हो जाये।

जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमों की बात है, यह विधेयक विदेशी बैंकों पर भी पूरी तरह लागू होगा। हां, अन्य किसी रूप में यह उन पर लागू नहीं है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये। कि किसी मुद्रा के लेने-देन कार्य केवल विदेशी बैंकों में ही नहीं होता। 69.2 प्रतिशत लेने-देन के कार्य राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनके सहयोगी बैंकों द्वारा किया गया कुछ सदस्यों ने भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों द्वारा आयकर के अपवंचन सहित कुछ कदाचारों का उल्लेख किया है। इस बारे में मैंने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इसी मास की 17 तारीख को सभा को बताया था कि रिजर्व बैंक द्वारा और आयकर विभाग द्वारा इस की जांच की जा रही है।

भारत में विदेशी बैंकों के कार्यकरण के संबंध में श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि इनकी पूंजी अर्थात शुद्ध अंश पूंजी केवल 1.72 करोड़ रुपया है, जबकि इन के पास जमा राशि 291 करोड़ रुपया है। जब यह बात संयुक्त समिति में उठायी गयी थी, तो रिजर्व बैंक से इस बारे में पूछा गया था। रिजर्व बैंक ने संयुक्त समिति को अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि यह पूंजी वह है जो सांविधिक जमा के रूप में विदेशी बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों को अपने पास जमा राशि का कम से कम 3.5 प्रतिशत भाग भारतीय व्यापार में लगाना पड़ता है।

श्री बसु ने विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। धारा 30 के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिक की नियुक्ति के लिये रिजर्व बक की अनुमति लेनी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विधेयक के खण्ड 74 के अंतर्गत रिजर्व बक द्वारा शक्ति वे प्रत्यायोजन का उल्लेख किया है। इस समय भी रिजर्व बैंक ने अधिकृत व्यापारियों को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की है और खण्ड 74 को पुनः स्थापित भी किया गया है ताकि प्रचलित प्रथा को कानूनी समर्थन दिया जा सके। मैं यह बताना चाहता हूं कि मुद्रा नियंत्रण के काम को सुचारु रूप से करने के लिये किसी न किसी प्रकार का प्रत्यायोजन आवश्यक है। वर्तमान प्रत्यायोजन की सीमा को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

निर्यात किये गये माल के मूल्य की जांच सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाती है। इस बंध में प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने संयुक्त उद्यमों पर नियंत्रण लागू करने के संबंध में एक बहुत ही उपयोगी सुझाव दिया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक बहुत ही विस्तृत उपबन्ध अर्थात खण्ड 27 की व्यवस्था की गयी है। मैं केवल यह कहूंगा कि भारत का संयुक्त उद्यमों में भाग लेना सामान्यतः तकनीकी जानकारी और मशीनों तथा अन्य पूंजीगत माल की सप्लाई करने के रूप में होता है। खण्ड 27 से उनके कार्यकरण के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त करने और लाभांश आदि के भेजने को सुनिश्चित करने में हम समर्थ हो जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने वित्त मंत्रालय के एक सचिव के एक पुत्र का उल्लेख किया है जो नेशनल ग्रिंडले बैंक में कर्मचारी है। यह बात ठीक है कि एक सचिव का पुत्र इस बैंक में कार्य करता है। उसकी नियुक्ति इस सचिव के वित्त मंत्रालय में नियुक्त होने से बहुत पहले हो गयी थी जिस ढंग से माननीय सदस्य ने यह बात कही है, मेरे विचार में इस प्रकार से कहना उस अधिकारी के प्रति अन्याय करना है।

श्री मधु लिमये ने कोका कोला के बारे में कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने उपभोक्ता लाइसेंस अथवा तदर्थ लाइसेंस की बात कही है। इन मामलों का निपटान सामान्यतया वाणिज्य मंत्रालय करता है। इस समय मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka): These matters are connected with your Ministry as well as Commerce Industry Ministries.

Shri Yashwantrao Chavan: At present I have got no information.

मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक निश्चित रूप से उठाया गया एक पग है जो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा के बाहर ले जाने और अन्य देशों पर निर्भर करने से देश को बचायगा। मेरे विचार में यह सभा निशिचित रूप से इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण पग का स्वागत करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान् जी, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है खण्ड 26, 28 और 29 इस विधेयक के बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड हैं जो वर्तमान अधिनियम में शामिल नहीं हैं। किन्तु बैंककारी कम्पनियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। यह बात खण्ड 26, 28 और 29 से प्रमाणित हो जाती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि निर्माता कम्पनियों और व्यापारिक कम्पनियों को शामिल किया गया है। यह बात सही है कि खण्ड 26, 28 और 29 में बैंककारी कम्पनियां शामिल नहीं हैं। इस में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इस लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि देश के विदेशी मुद्रा के स्त्रोतों के संरक्षण के लिये और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिये कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डशः विचार करेंगे।

खण्ड 2 से 25 तक के लिये कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 से 25 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 25 were added to the Bill.

खण्ड 26

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 26 श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी द्वारा दो संशोधनों की सूचना दी गयी है। वह यहां नहीं हैं। श्री वयालार रवि, क्या आप न्हें पेश कर रहे हैं ?

श्री वयालार रवि : श्रीमान् जी, मैं इन्हें पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस खण्ड को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

25 LSS/73—12.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 26 was added to the Bill.

खंड 27

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 27 was added to the Bill.

खंड 28

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 28 अनेक संशोधनों की सूचना दी गयी हैं । श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी यहां नहीं है । श्री वयालार रवि ।

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये । क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्याम सुन्दर महापात्र उपस्थित नहीं हैं । मंत्री महोदय ने कुछ संशोधनों की सूचना दी है । क्या वह उन्हें पेश कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 22—

पंक्ति 40 से 44 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये।

"Bank,—

(a) act, or accept appointmènt, as agent in India of any person or company, in the trading or commercial transactions of such person or company; or

(b) act, or accept appointment, as technical or management adviser in India of any person or company; or

(c) permit any trade mark, which he or it is entitled to use, to be used by any person or company for any direct or indirect consideration."

["अनुज्ञा के बिना,—

(क) किसी व्यक्ति या कम्पनी का उस व्यक्ति या कम्पनी के व्यापारिक या वाणिज्यिक संव्यवहारों में अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगी या नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगी; या

(ख) किसी व्यक्ति या कम्पनी का भारत में तकनीकी या प्रबन्ध सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करेगी या नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगी; या

(ग) किसी व्यापार चिन्ह का जिसके प्रयोग करने का अधिकार उस व्यक्ति अथवा कम्पनी को हो, किसी भी व्यक्ति अथवा कम्पनी को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगी।"]

(संशोधन संख्या 8)

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 47 और 48 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:—

"or technical or management adviser, or permits the use of any such trade mark, without the permission of the Reserve Bank, such acting, appointment or permission, as the case may be, shall be void".

["या तकनीकी अथवा प्रबन्ध सलाहकार अथवा रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यापार चिन्ह के प्रयोग की अनुमति देती है तो ऐसी कार्यवाही नियुक्ति अथवा अनुमति जैसा भी मामला हो अवैध होगी"]

(संशोधन संख्या 9)

पृष्ठ 22, पंक्ति 52,—

"इस अधिनियम के लागू होने पर" ("at the commencement of this Act") के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"or where a permission for the use of such trade mark granted by such person or company (including its branch) continues to be valid at such commencement."

["या जहां ऐसे व्यक्ति या कम्पनी (उसकी शाखा सहित) द्वारा ऐसे किसी व्यापार चिन्ह के प्रयोग के लिये दी गयी अनुमति इस अधिनियम के लागू होने पर भी वैध रहती है",]

(संशोधन संख्या 10)

पृष्ठ 23, पंक्ति 5,—

"इस प्रकार" ("as such") के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:—

"or, as the case may be, to continue to permit the use of any such trade mark"

["अथवा जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी व्यापार चिन्ह के प्रयोग के लिये अनुमति दी जाती रहेगी"]

(संशोधन संख्या 11)

पृष्ठ 23, पंक्ति 14, —

"नियुक्ति" ("appointment") के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—
"or appointment or permission, as the case may be,"

["नियुक्ति अथवा अनुमति जैसा भी मामला हो,"]

(संशोधन संख्या 12)

पृष्ठ 23, पंक्ति 21, —

"या नियुक्ति" ("or appointment") के स्थान पर निम्नलिखत प्रतिस्थापित किया जाये :—
"or appointment or, as the case may be, from permitting the use of any *such* trade mark"

["या नियुक्ति या, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी व्यापार चिन्ह के प्रयोग के लिये अनुमति देने से"]

(संशोधन संख्या 13)

पृष्ठ 23, पंक्ति 29, —

"या नियुक्ति" ("or appointment") के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—
"appointment or permission, as the case may be,"

["नियुक्ति अथवा अनुमति जैसा भी मामला हो,"]

(संशोधन संख्या 14)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किये गये खण्ड 28 के संशोधन 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि:—

पृष्ठ 22, —

पंक्ति 40 से 44 के स्थान पर निम्निलिखत प्रतिस्थापित किया जाये :—

"Bank,—

(a) Act, or accept appointment, as agent in India of any person or company, in the trading or commercial transactions of such person or company ; or

(b) act, or accept appointment, as technical or management adviser in India of any person or company ; or

(c) permit any trade mark, which he or it is entitled to use, to be used by any person or company for any direct or indirect consideration."

["अनुज्ञा के बिना, —

(क) किसी व्यक्ति या कम्पनी का उस व्यक्ति या कम्पनी के व्यापारिक या वाणिज्यिक संव्यवहारों में अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगी या नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगी; या

(ख) किसी व्यक्ति या कम्पनी का भारत में तकनीकी या प्रबन्ध सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करेगी या नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगी; या

(ग) किसी व्यापार चिह्न का, जिसके प्रयोग करने का अधिकार उस व्यक्ति अथवा कम्पनी को हो, किसी भी व्यक्ति अथवा कम्पनी को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगी"।]

(संशोधन संख्या 8)

पृष्ठ 22 —

पंक्ति 47 और 48 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :-

"or technical or management adviser, or permits the use of any such trade mark, without the permission of the Reserve Bank, such acting, appointment or permission, as the case may be, shall be void."

["या तकनीकी अथवा प्रबन्ध सलाहकार, अथवा रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यापार चिह्न के प्रयोग की अनुमति देती है तो, ऐसी कार्यवाही नियुक्ति अथवा 'अनुमति जैसा भी मामला हो, अवैध होगी"]

(संशोधन संख्या 9)

पृष्ठ 22, पंक्ति 52, —

"इस अधिनियम के लागू होने पर," ("at the commencement of this Act,") **के पश्चात** निम्नलिखित **जोड़ दिया जाये** :-

"or where a permission for the use of such trade mark granted by such person or company (including its branch) continues to be valid at such commencement,"

["या जहां ऐसे व्यक्ति या कम्पनी (उसकी शाखा सहित) द्वारा ऐसे किसी व्यापार चिह्न के प्रयोग के लिये दी गयी अनुमति इस अधिनियम के लागू होने पर भी वैध रहती है"]

(संशोधन संख्या 10)

पृष्ठ 23, पंक्ति 5, —

"इस प्रकार" ("as such") **के पश्चात** निम्नलिखित **जोड़ दिया जाये**

"or, as the case may be, to continue to permit the use of any such trade Mark"

["अथवा, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी व्यापार चिह्न के प्रयोग के लिय अनुमति दी जाती रहेगी"]

(संशोधन संख्या 11)

पृष्ठ 23, पंक्ति 14, —

"नियुक्ति" ("appointment") **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :-

"appointment or permission, as the case may be,"

["नियुक्ति अथवा अनुमति जैसा भी मामला हो"]

(संशोधन संख्या 12)

पृष्ठ 23, पंक्ति 21, --

"या नियुक्ति" ("or appointment") **के स्थान पर** . निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"or appointment or, as the case may be, from permitting the use of any such trade mark,"

["या नियुक्ति या जैसा भी मामला हो ऐसे किसी व्यापार चिह्न के प्रयोग के लिये अनुमति देने से"]

(संशोधन संख्या 13)

पृष्ठ 23, पंक्ति 29, —

"या नियुक्ति" ("or appointment") **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :-

"appointment or permission, as the case may be,"

["नियुक्ति अथवा अनुमति जैसा भी मामला हो,"]

(संशोधन संख्या 14)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये । क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

Shri Madhu Limya : I am withdrawing my amendment.

तत्पश्चात संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, then withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 28 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने," ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 29

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Speaker, Sir, the adoption of this amendment is very necessary as without it, we would not have effective control on the foreign companies.

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुये]

Dr. Saradish Roy in the Chair

The Government allowed the Coca Cola Company to export a number of things. In that way we suffered a loss of physical resources. After that 80 per cent of foreign exchange was allowed to be sent out to other countries. In this way, we are incurring double loss. The Government should take note of this and then take their decision.

These foreign companies are drawing out foreign exchange on the pretext of head office expenses or regional office expenses. The Government do not get tax on this amount. If this amount is increased, the country would suffer very much. The new technology can be imported, but it should be seen whether foreign collaboration agreement would be helpful in the economic as well as scientific development of the country. The Government should not show favour to a particular country while importing technology. We should import a particular technology from such country as is the most advanced in that technology.

So far as consumer industries are concerned, foreign collaboration should not be allowed, because there leads to the leakage of foreign exchange due to foreign collaboration.

As far as diversification and expansion of companies is concerned, the foreign companies should be brought within the ambit of company law. I would request the Minister to accept this amendment. If he wants to have any change in this amendment, we can think over it. If the minister thinks that its purpose is good, he should consider over it and accept the amendment.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह नहीं कहता हूं कि जो सदस्य महोदय ने बातें कहीं हैं, वे महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें से अनेक सुझाव वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। यदि हम कानून में अनिवार्य उपबन्ध कर देते हैं, तो सरकार के साथ धोखा बिल्कुल नहीं होगा।

यह कहा गया है कि विदेशी सहयोग के संबंध में हमें अपनी रुचि-अरुचि नहीं देखनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास उतना प्रोद्योगिकीय ज्ञान हो जितना हम चाहते हैं। यह भी आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति हम से इस प्रोद्योगिकीय ज्ञान को प्राप्त करे और जो उसके पास इसका ज्ञान है, वह हमें दे सके। इस मामले में हमारी कोई पूर्व शर्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, जो कोई भी हमें प्रोद्योगिकीय ज्ञान देना चाहता है, वह उसे हमारे अनुकूल शर्तों पर दे सकता है। इस मामले में हमारा मुख्य उद्देश्य किसी पक्षपात पूर्ण रवैये या किसी इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं है। जब हम सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे तो यह प्राद्योगिकी के गुण-दोषों, इस प्रोद्योगिकी के ज्ञान के लेने-देने की इच्छा और उन शर्तों पर, जो हमारे पक्ष में है, आधारित होगा। मेरे विचार में यह बहुत ही प्रासंगिक बातें हैं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री मधु लिमयें द्वारा रखे गये खण्ड 29 के संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29 was added to the Bill.

खण्ड 30 से 80 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 30 to 80 were added to the Bill.

Clause 81

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इस खण्ड का एक संशोधन पेश करना है जिसके द्वारा मुद्रक की गलती को सुधारने का प्रयास किया गया है।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 49, पंक्ति 45, "Section 23 D" ("धारा 23 घ") **के स्थान पर** "Section 23" ("धारा 23") **प्रतिस्थापित** किया जाये । (**श्री यशवन्तराव चह्वाण**)

(**संशोधन संख्या** 1)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 81, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 81, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 81, as amended, was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गयें ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : मेरा विचार है कि यह विधेयक इस बात का द्योतक है कि सरकार देश का आर्थिक पुनर्गठन करने के बारे में कोई ठोस कार्य करने में असमर्थ है । विदेशी

मुद्रा के चोरी-छिपे बाहर भेजे जाने की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने गंभीर रूप से कोई प्रयास नहीं किया है। जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। सरकार को देश से बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा का कम अनुमान लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरन उसे देश को यह बताना चाहिए कि यह मामला बड़ा गंभीर मामला है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वह इस संबंध में कौन से ठोस पग उठाने जा रही है। कुछ उपबन्ध ऐसे किये जा सकते हैं जिनसे इस विधान के उपायों को और कड़ा बनाया जा सके। किन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि यह काफी नहीं है। इसके कुछ उपबन्ध तो अच्छे हैं, किन्तु, समूचे रूप से यह विधेयक संतोषजनक नहीं है। हम तब तक इस मूल बुराई को नहीं रोक सकते जब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया जाता ।

अब वित्त मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि विदेशी वाणिज्यिक बैंक इस संविधि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । उपबन्धों को पढ़ने से मुझे यह मालूम होता है कि इसमें कुछ दोष हैं। इन विदेशी बैंकों के संबंध में जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे व्यावहारिक होने की बजाय प्रक्रियात्मक अधिक हैं। अतः, वे देश की प्रगति में बाधक बने हुए हैं। इन विदेशी वित्तीय एजेन्सियों का खतरा बना ही रहेगा ।

सरकार को निश्चित रूप से आश्वासन देकर आगे कार्यवाही करनी चाहिए कि इस देश में विदेशी कम्पनियों के स्वरूप में वह क्या परिवर्तन करने जा रही है। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विदेशी कम्पनियां 40 प्रतिशत इक्वीटी पूंजी से अपना कारबार मूल रूप से कर सकती है जो देश के हितों के लिए हानिकारक है।

सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं कि विदेशियों को रायल्टी के रूप में दी जाने वाली राशि श्रम लागत से किसी भी रूप में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जा सकता है। सरकार को स्पष्ट रूप से देश को बताना चाहिए कि इस मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस संबंध में वह कुछ उपाय करने जा रही है ।

इस मामले में सरकार का नियंत्रण लगभग न के बराबर ही है और हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि विदेशी मुद्रा को किस प्रकार गुप्त सौदों के जरिये बाहर भेजा जाता है। अमरीका, कनाडा, आदि में जो भारतीय तथाकथित धन कमाता है उसे हमें अपने देश में नहीं लाने दिया जाता । जिस तरीके से ये विदेशी ठग देश से विदेशी मुद्रा बाहर भेजते हैं, उसे रोका भी नहीं जा सकता । ये विदेशी धोखेबाज अपने भारतीय सहयोगियों के साथ यह कार्य करते हैं, यदि सरकार के कल्याणकारी अर्थ-व्यवस्था जैसे मामलों के संबंध में ठोस विचार हैं तो उसे विदेशी मुद्रा को बाहर भेजने के और इस देश में विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के मामले के संबंध में अधिक कड़ाई से नियंत्रण रखना चाहिए ।

यह विधेयक शायद अच्छा हो, किन्तु इससे वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जो होना चाहिए । यही कारण है कि मैं इस विधान के बारे में सन्तुष्ट नहीं हूं।

Shri Madhu Limaye : I want to raise the following six points. My first point is that the hon. Minister has declared a policy that a new licence is required to be obtained before production capacity is increased or manufacture of new items is started. May I know whether the hon. Minister is going to announce that this policy will be strictly adhered to ? Indian Tobbaco Company have recently increased their production capacity but no action has been taken against them. Secondly, certain items like tooth pastes etc. have been reserved for Small Scale Industries. May I know whether in pursuance of this policy there will be any check on illegal extention of the branches of foreign companies and whether he proposes to advise Defence and other Ministries to encourage the items of small industries if they are found better in quality? Thirdly, Chocolate, Ice Cream, Biscuits, Ladies Garments, Mopeds are manufactured by Indian Companies without any foreign collaboration. Will the Government declare such a policy by which agreements of collaboration with foreign Companies may be revoked ? Fourthly, principle of Indianisation in the recruitment of Officers in Foreign Companies has been accepted. I have been raising this question for quite a long time. There has been some progress in this direction. Will you frame a time-bound programme regarding this process ? Progress has been made but at a very slow pace. Fifthly, the process of Indianisation of foreign capital has started but will this policy be implemented through a phased programme in a planned manner ? Sixthly, you have advanced a new proof regarding progress made by banks in export trade and earning of foreign exchange. You have given statistics for four years. My friends had protested strongly against discrimination when four or five foreign banks were not nationalised and reasons were advanced for the same. Why these foreign banks are not being nationalised. . . (*Interruptions*) Shri Piloo Modi had protested against this discrimination. Foreign Banks should not be excluded from nationalisation. You have agreed that there is increase in foreign exchange earnings of these bank. May I know whether in view of this, the Government propose to nationalise these four or five major foreign banks ?

These are my six questions. The hon. Minister should give a clear reply to these Questions so that Foreign Exchange Regulation Bill is clarified.

श्री पीलू मोदी (गांधार) : विधेयक के उद्देश्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं, परन्तु विधेयक को पढ़ने तथा वाद-विवाद में भाग लेने के पश्चात मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य इस विधेयक से पूरे नहीं होंगे । मैंने संयुक्त समिति में भी बार-बार कहा था कि यदि सरकार विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना चाहती है तो सरकार को वर्तमान उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी करने होंगे, प्रक्रिया को जटिल नहीं बल्कि सरल बनाना ही ठीक रहेगा। सरकार जितनी कठिनाइयां उत्पन्न करेगी उतनी ही चोरी अधिक होगी। सरकार देश के विकास के लिए ही विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना चाहती है। अतः महत्वपूर्ण बात देश के विकास की है। इस विधेयक से देश के विकास में कोई योगदान मिलेगा या नहीं, यही एक बात है जिस पर इस विधेयक की असफलता अथवा सफलता निर्भर करती है, हम न तो यह चाहते हैं कि कोई विदेशी हमारे देश में पूंजी निवेश करे और न ही हम यह चाहते हैं कि हमारे लोग किसी अन्य देश में पूंजी निवेश करें। प्रश्न यह है कि फिर हम चाहते क्या हैं।

यह ठीक है कि बीजक बनाने, ब्रांड के नाम पर तथा मुख्य कार्यालय व्यय के बहाने कुछ व्यापार हो रहे हैं। इनको अवश्य रोका जाना चहिए, परन्तु इनको रोकने के उपाय करते समय बुद्धि

का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेरे विचार में इन सदाचारों को रोकने के लिए विधेयक आवश्यक नहीं है।

जो तकनीकी ज्ञान देश में उपलब्ध हो उसे आयात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु हमने देखा कि प्लेट मिल लगाने के लिए हमें तकनीकी ज्ञान आयात करना पड़ा हालांकि हमारे पच्चास इंजीनियर इस बारे में विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके आये थे। इन सभी बातों से प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है। इस विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अधिकांश वक्ताओं ने वही बातें कहीं हैं जो उन्होंने विधेयक पर विचार के प्रस्ताव के समय कही थीं। श्री मधु लिमये ने सदन के विचारार्थ कुछ सुझाव रखे हैं।

विदेशी बैंकों सम्बन्धी हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य सुझावों को हम ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य रिजर्व बैंक को यह शक्ति देना है कि वह भारत के विदेश व्यापार सबंधी सौदों के लेखों के निपटान तथा क्लीयरिंग के प्रबन्ध कर सकें। इससे वह केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय क्लीयरिंग यूनियन का सदस्य बन सकेगा।

अप्रैल, 1973 में टोकयों में हुए 'इकेफे' के वार्षिक सत्र में एशियन क्लीयरिंग यूनियन की स्थापना का निर्णय किया गया था। इसके पश्चात् ईरान तथा श्री लंका द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

हम एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग सम्बन्धी योजनाएं बनाने में बहुत रूचिकर है। हम में इन देशों के आर्थिक विकास को तेज करने में सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में एशियन क्लीयरिंग

यूनियन की स्थापना एक छोटा परन्तु महत्वपूर्ण कदम है। भारत भी अब इस यूनियन का सदस्य बनना चाहता है तथा करार पर हस्ताक्षर करेगा।

यह यूनियन सदस्य देशों के बीच सौदों के लेन-देन का लेखा रखेगी और एक देश को दूसरे देश को अन्त में जो शेष बचेगा उसी का भुगतान करना होगा। इससे विदेशी मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययता आयेगी और सदस्य देशों की मुद्रा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

करार के एक नियम के अन्तर्गत एशियन क्लीयरिंग यूनियन की सदस्यता क्षेत्रीय सदस्यों तथा 'इकेफे' से सम्बद्ध सदस्यों के सेन्ट्रल बैंकों तथा धन सम्बन्धी अधिकारियों के लिए खुली है। भारत की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक इस यूनियन का सदस्य बनेगा और इसी कारण यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा है कि विधेयक का सभी ओर से समर्थन किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

***श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) :** वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक न तो एशियन क्लीयरिंग यूनियन का सदस्य बन सकता है और न ही इसके साथ किसी करार पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है ताकि वह इस यूनियन का सदस्य बन सके। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों में यह शंका है कि कुछ राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियो तथा मिल मालिकों के विदेशों में लेखे हैं। साम्यवादी दल में विभाजन के समय यह कहा गया था कि श्री डांगे का भी किसी स्विस बैंक में खाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार भारतीयों द्वारा विदेशों में बैंकों में खाते रखने से विदेशी मुद्रा की चोरी होती है। कौल समिति के अनुसार यह चोरी लगभग 240 करोड़ रुपये की है। मैं चाहता हूं कि रिजर्व बैंक इस मामले की जांच कराये। यदि आवश्यक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में और आगे संशोधन किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है तो वह हमें दे सकते हैं। केवल किसी के विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं है। परन्तु उन्होंने विधेयक का जो समर्थन किया है मैं उसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*SUMMARISED TRANSLATED VERSION BASED ON ENGLISH TRANSLATION OF THE SPEECH DELIVERED IN TAMIL

सभापति महोदय: इसमें केवल खण्ड (2) है। इस पर कोई संशोधन नहीं आया है। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा), 1973-74

Supplementary Demands for Grants (Orissa), 1973-74

सभापति महोदय : अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों (उड़ीसा) पर चर्चा होगी।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हों, वे अपनी पर्चियां सभा-पटल पर भेज दें। उनको प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (उड़ीसा) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1.	**श्री पी० के० देव** :	शीघ्र चुनाव कराना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
11	2.	**श्री पी० के० देव**:	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें।	,,
	3.	**श्री बक्शी नायक** :	उड़ीसा के फूलबनी जिले में शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें।	,,
23	4.	**श्री पी० के० देव** :	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में लोक स्वास्थ्य की समस्यायें।	,,
	5.	**श्री बक्शी नायक** :	उड़ीसा के फूलबनी जिले में लोक स्वास्थ्य की समस्यायें।	,,
24क	6.	**श्री पी० के० देव** :	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उत्थान सिंचाई की समस्यायें और बागनदी सिंचाई परियोजना।	,,
	7.	**श्री बक्शी नायक** :	उड़ीसा के फूलबनी जिले में उत्थान सिंचाई समस्यायें और बागनदी सिंचाई परियोजना।	,,
31	8.	**श्री पी० के० देव०** :	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में झूम (शिफ्टिंग) खेती की समस्याओं और वन कर्मचारियों को तंग किया जाना।	,,
	9.	**श्री बक्शी नायक** :	फूलबनी जिले में झम (शिफ्टिंग) खेती की समस्यायें और वन कर्मचारियों को तंग किया जाना।	,,
55	10.	**श्री पी० के० देव** :	राजकीय भूमि विकास बैंक के बोर्ड को शीघ्र गठित करने की वांछनीयता।	,

श्री चिंतामणि पाणिगुही (भुवनेश्वर) : यह बड़ी अच्छी बात है कि इन अनुपूरकों मांगों में उठाऊ सिंचाई विभाग के लिये भी धनराशि रखी गई है। 1972-73 में 1000 पम्पिग सटों को बिजली दी जानी थी परन्तु 611 पम्पिग सैटों को ही बिजली दी गई। चालू वर्ष में केवल 50 उठाऊ सिंचाई प्वायंटों को ही बिजली दी गई है। इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिये।

ऐसा सुना गया है कि इस विभाग को निगम में बदलने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा प्रस्ताव है तो मेरा निवेदन है कि वहां पर पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की छटंनी न की जाये।

चिल्का झील के विकास संबंधी योजनाएं सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी है। सरकार को इसे राष्ट्रीय झील घोषित करना चाहिए। यहां पर दस बारह पहाड़ियां हैं और इनपर बंगले बनाने का प्रस्ताव था। मुझे आशा है कि सरकार योजना अवधि में इन परियोजनाओं पर ध्यान देगी। इस झील में मत्स्य पालन विकास संबंधी कार्यक्रम में विश्व बैंक ने भी रुची दिखाई थी। यह परियोजना 13 करोड़ रुपये की है। इस परियोजना पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस से वहां के गरीब मछुओं को जिनकी संख्या लगभग 65,000 है, लाभ होगा।

चिल्का झील के निकट भुसन्दपुर नामक क्षेत्र में लगभग 6000 शरणार्थी परिवार बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में पानी भर जाता है और इससे वहां के शरणार्थी निवासियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इन लोगों के प्रति केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है क्योंकि यह बस्ती केन्द्रीय सरकार ने ही बसाई थी। इस क्षेत्र को पानी में डूबने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी गई थी। यह योजना अब परामर्शदात्री समिति को सौंपी गई है। मेरा अनुरोध है कि इस योजना पर शीघ्र काय आरम्भ किया जायें। एक अन्य क्षेत्र राजुआ गाई, दपा और माकोरा में वर्षा तथा बाढ़ का पानी भर जाता है। इससे लगभग 100 गांवों पर प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र के लिए भी एक योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई थी, इसको भी शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए।

उड़ीसा के गैर-सरकारी कालेजों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने कालेजों को तदर्थ अनुदान की राशि अभी नही दी है। इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। वहां के 65 प्रतिशत लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर पर रह रहे हैं। उड़ीसा की कुल आबादी का 40 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का है। रोजगार कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 1972 को 2,43,587 लोगों के नाम रजिस्टर थे। उनमें से पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 94,923 है। अतः उड़ीसा में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है और इस वर्ष में कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

उड़ीसा सरकार ने जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा की अधिक सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। मुझे आशा है कि इस ओर भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): तूफानग्रस्त क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिए चार लाख रुपये रखे गये हैं और इन क्षेत्रों के बचाव के लिए 3.33 लाख रुपये रखे गये हैं। वास्तव में इन क्षेत्रों में पीने के लिए एक बुन्द पानी भी नहीं मिलता है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए अधिक धनराशि रखी जानी चाहिए थी।

राज्य में सहकारी औषधालयों की स्थापना के लिए 4.68 लाख रुपये रखे गये हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सहकारी औषधालय क्या चीज होती है। इसका अर्थ क्या है? इस बारे में इस सभा को कुछ ब्यौरा दिया जाना चाहिए था मेरे विचार में इनकी वास्तविकता कुछ नहीं है।

उठाऊ सिंचाई के लिए 15 लाख रुपये रखे गये हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उठाऊ सिंचाई के नये प्वांयट नहीं बनाये जायेंगे। अतः मेरे विचार में 15 लाख रुपये की राशि बहुत कम है।

विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के लिए कमरों के निर्माण तथा उनको उपकरण सप्लाई करने हेतु 61.84 लाख रुपये रखे गये हैं। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उपकरणों की सप्लाई से बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार हल होगी।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी के शासन के दौरान उड़ीसा में भ्रष्टाचार के अनेक मामले जिनमें 66 लाख रुपये अन्तर्गस्त थे, वापस ले लिए गये थे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के कार्यों में पार्टी न बने।

प्रतिदिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि खर्च को कम किया जाये परन्तु अभी कुछ दिन हुए उड़ीसा में 80 अधिकारी यहां पर बातचित करने आये थे। श्रीमती नन्दिनी सत्पथी भी यहां पर आई थी। मेरे विचार में इनका दैनिक तथा यात्रा भत्ता एक लाख रुपये से अधिक होगा। क्या सरकार इसी प्रकार वहां पर शासन चलाएगी? अतः इन मांगों को देखकर मैं अपना असंतोष व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : पिछली बार हमने यह सुझाव दिया था कि भूमि सुधार अधिनियम को 2 अक्तूबर, से लागू किया जाए। परन्तु अनुपूरक बजट में इस उद्देश्य हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि दूसरे अनुपूरक बजट में इस प्रयोजन हेतु व्यवस्था की जायें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन से यह पता लगता है कि उड़ीसा में विश्वविद्यालय शिक्षा सबसे कम है। अतः उड़ीसा में कालेज स्तर की शिक्षा में विस्तार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के कालेजों को 5 लाख प्रति एकक की दर में सहायता देने की सिफारिश की है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार समान सहायता नहीं दे सकती और इसी कारण उड़ीसा के कालेज आयोग की उक्त सिफारिश का नाम नहीं उठा सके।

श्री महन्ती ने स्कूल भवनों के विस्तार तथा निर्माण पर आपत्ति की है। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि कोरापुर और फूलबनी जिलों में कोई स्कूल नहीं है। जब तक स्कूलों के लिए इमारतें नहीं बनाई जातीं तब तक शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता। मेडिकल कालेजों में 100 स्थान कम कर दिये गये हैं। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में अनेक डाक्टर बेरोजगार हैं। मेरे विचार में यह स्थिति केवल डाक्टरों तक ही सीमित नहीं है। राज्य में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है। डाक्टर तो अपना निजी व्यवसाय कर सकते हैं परन्तु अनेक अन्य व्यवसायों के लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बजट में स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मेडिकल कालेजों का विस्तार किया जा सके और लोगों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा सकें। मेडिकल कालेजों में स्थान कम नहीं किये जाने चाहिऐ।

कृषि पुनर्वित निगम से उड़ीसा को केवल एक करोड़ रुपया ही मिला है। राज्य सरकार को सक्रिय बनाया जाना चाहिए और योजनाएं बनाने के लिए उसे विशेषज्ञों राय लेनी चाहिए, तभी उड़ीसा राज्य पुनर्वित निगम से पूरा लाभ उठा सकेगा इस निगम की सहायता में राज्य में डेरो विकास वन विभाग तथा अन्य ऐसी अनेक योजनाएं आरम्भ की जा सकती हैं। राज्य में विकास योजनाएं बनाने हेतु एक विशेष सेल बनाया जाना चाहिए।

कोरापुर जिले के जयपुर क्षेत्र में कागज़ मिल की स्थापना के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। उड़ीसा में पहले ही तीन अथवा चार कागज मिलें हैं। ये मिलें नहीं चाहती कि वहां पर कोई और मिल स्थापित की जाये। पहले मंत्रालय ने लाइसेंस के साथ यह शर्त लगा दी थी कि वह मिल गुद्दा बाहर नहीं भेजेगी। मुझे अभी बताया गया है कि उक्त पेपर मिल को बिजली की लाइन नहीं दी गई है। यदि बिजली नहीं दी जायेगी तो मिल काम किस प्रकार करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिल की स्थापना में कोई कठिनाई है। वहां पर मिल के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है।

इसी प्रकार फेरोमिलीयान प्लांट का जो कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विस्तार के लिए लाइसेंस तो दे दिया गया है परन्तु बिजली नहीं दी गई है। यदि प्लांट का विस्तार होता है तो इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

* **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** (औसग्राम): इसमें कोई सन्देह नहीं कि उड़ीसा की 40 प्रतिशत जन-संख्या जनजाति तथा पिछड़े हुए लोगों की है। आजादी के 26 वर्ष बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाये।

शिक्षा के फैलाव के लिए एक करोड़ रुपये रखे गये हैं। ऐसा लगता है कि यह धनराशि स्कूलों के लिए इमारतें बनाने पर व्यय की जाएगी। लोगों के पिछड़ेपन को देखते हुए, इस कार्य के लिए और अधिक धनराधि रखी जानी चाहिए थी। योजनाओं को अत्यधिक सावधानी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

उड़ीसा में किसानों की दशा दयनीय है, हालांकि वहां की भूमि उपजाऊ है। काश्तकारी अधिनियम में सुधार के लिए वहां की विधान सभा में एक विधेयक रखा गया था जोकि पास नहीं हो सका। अब यह मामला उड़ीसा के परामर्शदात्री समिति के समक्ष आया है। मेरा निवेदन है कि काश्तकारी सुधार सम्बन्धी उपाय तुरन्त किये जाने चाहिए। काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाया जाना चाहिए। केवल इसी एक उपाय से बहुत अन्तर पड़ेगा।

उड़ीसा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 14,58,000 रुपये रखे गये हैं। परन्तु यह राशि बहुत कम है और इसमें अधिक लाभ होने वाला नहीं है। उड़ीसा में कृषि की स्थिति उस समय तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वहां सिंचाई की सुविधाएं न बढ़ा दी जायें। उड़ीसा में उर्वरक की भी भारी कमी है। इसलिए यदि उड़ीसा में कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो वहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और उवर्रक उपलब्ध कराये जाने चाहिए। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण के अभाव से वहां की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अतः इन दोनों राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए। जहां तक तूफानों और बाढ़ों से उड़ीसा राज्य को होने वाली हानि का प्रश्न है, वहां प्रतिवर्ष लोगों को जान-माल की बहुत अधिक हानि होती है। उनकी कृषि की

* बंगाली में दिये गये भाषणों के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

25 LSS/73—13.

भूमि जलमग्न हो जाती हैं। इस दृष्टि से वहां बाढ़ से रक्षा के लिए एक वृहद् योजना तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए 60 लाख रुपये की राशि बहुत कम है। उड़ीसा में महामारियां भी अधिक फैलती हैं और वहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। जो चिकित्सा केन्द्र हैं उनमें अपेक्षित उपकरणों और औषधियों का प्रायः अभाव रहता है। अतः विशेषकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य की सेवा के लिए अधिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने चाहिए। राज्य की उपर्युक्त सभी समस्याओं का समाधान वहां की स्थानीय सरकार अधिक सुविधा से कर सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि राज्य में चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराये जायें जिससे वहां लोकप्रिय सरकार अस्तित्व में आ जाये।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर) : सभापति महोदय, उड़ीसा भारत में निर्धन राज्यों में से एक है। वहां के लोगों के तन पूरे ढके तक नहीं मिलते। वहां सभी बड़े शहर अविकसित अवस्था में ह । कटक वहां का सबसे गन्दा शहर है। उड़ीसा राज्य को शहरों के विकास हेतु बहुत कम राशि दी जा रही है। रूरकेला स्टील टाउन की दशा भी खराब है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उड़ीसा सरकार इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को भूमि का स्थानान्तरण शीघ्र कर दे जिससे वहां उपयुक्त सुधार शीघ्र किया जा सके।

उड़ीसा में शिक्षा के सुधार और प्रसार के लिए भी बहुत कम कार्य किया गया है। वहां आज भी साक्षरता की प्रतिशत 28 है । अतः शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन अध्यापकों के सेवाकाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान विस्तार किया जाना चाहिए जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं, क्योंकि राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा उसके लिए अनुदेश दिये गये थे। उड़ीसा के पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अतः उसे कम किया जाना चाहिए। वहां के गोदाम में वनस्पति के 5000 डिब्बे पड़े हैं जबकि लोगों को वह उपलब्ध नहीं है। अन्त में मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण की मध्यम दर्जे की परियोजनाएं ली जायें। बालासौर जिले में स्वर्णरेखा बहु-उद्देश्यीय योजना विभिन्न चरणों से गुजर चुकी है और अभी तक कोई ठोस रूप सामने नहीं आया है। इसके लिए नियुक्त एक विषेशज्ञ समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है । सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे यह परियोजना शीघ्र ली जा सके और जिससे उड़ीसा के कम से कम उत्तरी भाग की बाढ़ से रक्षा हो सके।

सभापति महोदय : इस पर आगे चर्चा कल होगी।

---

* केरल में राशन की बिगड़ती हुई स्थिति

DETERIORATING RATIONING CONDITIONS IN KERALA

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : श्रीमन्, 23 जुलाई, 1973 के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि मई में केरल राज्य को 85,300 टन और जून में 86,100 टन अनाज दिया गया। यह वक्तव्य देकर मंत्री महोदय ने सभा को गुमराह किया है। इसीलिए यह आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है। इस बात से तो कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य में खाद्यान्न के वितरण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, किन्तु केरल के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है। वर्ष 1963

---

*आधे घन्टे की चर्चा।

Half-an-Hour-Discussion.

में केन्द्रीय सरकार ने जब दक्षिण खाद्य जोन को समाप्त करके एकल राज्य खाद्य जोन बनाया तब उन्होंने केरल सरकार को यह आश्वासन दिया था कि केरल में प्रति व्यस्क को 12 औंस प्रतिदिन राशन मिलेगा और इसके लिए उन्होंने 80,000 टन चावल और 80,000 टन गेहूं प्रति माह देने का आश्वासन दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार अपने आश्वासन को पूरा करने में असफल रही है। और इस प्रकार केरल में खाद्य स्थिति की समस्या विकट बन गई है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां अनाज की हमेशा कमी बनी रहती है। केरल में केवल 13.5 लाख टन अन्न पैदा होता है जबकि वहां की आवश्यकता 27 लाख टन प्रतिवर्ष है। आज वहां राशन की दुकानों पर चावल उपलब्ध नहीं है। केरल में आन्ध्र प्रदेश से चावल आता था। किन्तु अब वहां राष्ट्रपति शासन है और स्थिति ऐसी है कि वहां से चावल नहीं उठने दिया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र जिम्मेदार है। राशन में लोगों को 160 ग्राम चावल के बजाय 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं के बजाय 80 ग्राम गेहूं दिया जा रहा है क्योंकि केन्द्र से केरल को अन्न की पूर्ति लगभग 50 प्रतिशत कम की गई। अन्न की कमी जून, जुलाई, और अगस्त् में अधिक अनुभव की जाती है। इस बार केरल में ओणम जैसा खुशियों का त्यौहार भी भुखमरी में मनाया जायेगा। मैं श्री शिन्दे से अनुरोध करता हूं कि वह अपने वायदे के अनुसार केरल को ओणम त्यौहार के लिए 10,000 टन अवश्य भेजें। केरल की खाद्य समस्या के स्थायी हल के लिए केन्द्रीय सरकार को नीति बदलनी होगी। सरकार को न केवल वह अनाज खरीदना है जो बाजार में बिकने के लिए आता है बल्कि उस सभी को खरीदना होगा जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार सरकार द्वारा खरीदा गया अन्न उन राज्यों में भेजा जाना चाहिए जहां अन्न का अभाव रहता है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय सभा में अभी यह आश्वासन दें कि अन्न के मामले में सरकार अपना वायदा निभायेगी और केरल को अपेक्षित मात्रा में अन्न भेजेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, यह विचित्र बात है कि खाद्य मंत्री और प्रधान मंत्री आदि ने केरल के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में आये शिष्टमण्डल को यह आश्वासन दिया था कि केरल को अपेक्षित मात्रा में अन्न भेजा जायेगा। किन्तु आश्वासन पूरे नहीं किये गये। केरल राज्य की अनाज की आवश्यकता कितनी है और उसे कितना अनाज दिया गया। ऐसा लगता है कि केरल की गैर-कांग्रेसी सरकार के साथ केन्द्र सौतेला व्यवहार कर रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : केरल में खाद्य स्थिति चिन्ताजनक है और यह स्थिति मई से चल रही है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सरकार ने 50 प्रतिशत आवश्यकता पूरी की है। क्या यह सच है ? क्या सरकार को पता है कि अन्न के अभाव में वहां लोगों ने 'टोडी' जैसे नशीले पदार्थ पीने शुरू कर दिये हैं ? क्या वहां कुछ लोग भोजन न मिलने से कमजोर होकर मर गये हैं ? क्या सरकार को पता है कि इस महीने की 30 तारीख को केरल के लोग दिल्ली में धरना देने आ रहे हैं ? क्या सरकार वहां राशन में की गई कटौती को समाप्त करेगी और प्रति व्यक्ति पुनः उतना ही राशन दिया जायेगा जितना उन्हें मई महीने से पहले मिलता था ? अन्नाभाव की इस विकट स्थिति में केन्द्रीय सरकार केरल को अनुदान आदि देकर किस हद तक सहायता करेगी ?

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, केरल में अनाज की कमी और केन्द्र की केरल के प्रति उपेक्षा वास्तव में चिन्ता का विषय है। केरल से मुख्य मंत्री के नेतृत्व में

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

25 LSS/73—14.

आये शिष्टमण्डल को प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री आदि ने **आश्वासन दिया था कि केरल को 5000 टन** चावल शीघ्र भेज दिया जायेगा और इतना ही चावल केरल आन्ध्र से स्वयं खरीदेगा। केरल ने आन्ध्र से चावल खरीदा किन्तु अब आन्ध्र से वह चावल केरल नहीं भेजा जा रहा है जबकि आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। मैं अनुरोध करता हूं कि श्री शिन्दे इस मामले पर विचार करें और ऐसी कार्यवाही न करें जिससे देश में कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। केरल में खाद्य स्थिति चिन्ताजनक है और अकाल की स्थिति है। केरल सरकार इस स्थिति से बड़ी ईमानदारी और समझदारी से निपट रही है। वह केरल के मजदूरों को अनाज कम कीमत पर दे रही है। केन्द्रीय सरकार इसमें राज्य की किस हद तक सहायता करेगी? मेरे विचार से देश में अनाज का इतना अभाव नहीं है जितना कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी अन्न खरीद नीति के कारण पैदा कर दिया है। यह सरकार की दोषपूर्ण नीति का परिणाम है। यदि देश को अन्नाभाव के संकट से बचाना है, तो उसे अपनी अन्न खरीद नीति में सुधार करना चाहिए। सरकार ने ओणम के अवसर पर केरल को पर्याप्त मात्रा में अन्न भेजने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम): श्रीमान्, केरल में अनाज की अत्यधिक कमी है और तटीय क्षेत्रों में कमी की स्थिति और भी विकट है। केरल से एक सर्वदलीय शिष्टमण्डल ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था और केन्द्रीय नेताओं को इस स्थिति से अवगत कराया था और उन्होंने केरल को सहायता देकर संकट को दूर करने का आश्वासन दिया था। वहां 5000 टन चावल शीघ्र देने का भी वचन दिया गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी मात्रा में चावल ओणम से पूर्व वहां पहुंच जायेगा। मैं केन्द्रीय नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वह देश या विदेश से चावल खरीदकर केरल में शीघ्र भेजे ताकि वहां के लोगों का कष्ट दूर हो। हां, उन लोगों से मेरा विचार भिन्न है जो केन्द्रीय सरकार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वह संकट के मुकाबले के लिए प्रयास नहीं कर रही है। यह कहना भी गलत है कि केरल में भुखमरी से मौतें हो रही हैं। हां, लोगों को अन्नाभाव के कारण दुख भोगना पड़ रहा है और लोग इस संकट का धैर्य और साहस से मुकाबला कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): सभापति महोदय, इस प्रश्न पर केरल के लोग उत्तेजित हैं और इस पर सभा और सभा से बाहर भी चर्चा की जा रही है। लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि केन्द्रीय सरकार केरल के लोगों और केरल सरकार की उपेक्षा कर रही है। किन्तु यह धारणा सही नहीं है। जहां तक केरल में खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, केरल को खाद्य के नियतन के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि केन्द्र की ओर से केरल के प्रति किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

श्री चन्द्रप्पन आदि ने यह कहा है कि केरल को उतना अन्न नहीं दिया गया जितने का उन्हें आश्वासन दिया गया था। यह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। तत्सम्बन्धी महीनेवार आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं:

महीना	नियतन की मात्रा	सप्लाई की मात्रा	केरल द्वारा मांगी गई मात्रा
	टन	टन	टन
जनवरी . . .	77,000	80,200	90,000

महीना	नियतन की मात्रा	सप्लाई की मात्रा	केरल द्वारा मांगी गई मात्रा
फरवरी . . .	67,000	65,700	95,400
मार्च	67,000	69,200	87,000
अप्रैल . . .	74,000	69,400	85,000
मई	83,000	85,300	85,000
जून	85,000	86,100	105,000
जुलाई	80,000	87,000	
	5,33,000	5,42,000	

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि किसी महीने में नियत मात्रा से कुछ अधिक दिया गया और किसी में कुछ कम। किन्तु नियत मात्रा में कमी नहीं की गई । हां, चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की मात्रा बढ़ा दी गई थी। केरल के मुख्य मंत्री आदि हाल ही में दिल्ली आये थे और उन्होंने यह अनुरोध किया था कि ओणम के अवसर पर केरल को 10,000 टन चावल भेजा जाये । हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं । सौभाग्य से इस वर्ष उचित समय पर वर्षा अच्छी हो गई है। खरीफ की फसल बहुत अच्छी हो रही है और खाद्य स्थिति 6 या 8 सप्ताह में सुधर जायेगी। फिर हम केरल और पश्चिम बंगाल की और अधिक सहायता कर सकेंगे। अब संकट समाप्तप्राय है। मैं आशा करता हूं कि श्री चन्द्रप्पन केरल के लोगों के सामने यह स्थिति स्पष्ट करेंगे। जहां तक हेनरी आस्टिन के सुझाव का प्रश्न है, हम केरल सरकार को यह अनुमति देंगे कि जहां भी फालतू चावल उपलब्ध हो, वह वहां से ले ले।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 28 अगस्त, 1973 के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 28th August, 1973.

MGIPRRND—25 LSS/73—III-(N.S,)—21-11-73—490